रिपब्लिक ऑफ फीजी
का
संविधान

रिपब्लिक ऑफ फीजी का संविधान

विषय-सूची

प्रीएम्बल

चेप्टर 1-राज्य

1 रिपब्लिक ऑफ फीजी
2 संविधान की सर्वोच्चता
3 संवैधानिक व्याख्या के सिद्धांत
4 सेक्युलर राज्य
5 नागरिकता

चेप्टर 2-अधिकारों का बिल

6 एप्लीकेशन
7 इस चेप्टर की व्याख्या
8 जीवन का अधिकार
9 व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
10 गुलामी, दासता, बेगार और मानव तस्करी से स्वतंत्रता
11 क्रूर और अपमानजनक व्यवहार से स्वतंत्रता
12 अनुचित खोज और जब्ती से स्वतंत्रता
13 गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के अधिकार
14 अभियुक्त व्यक्तियों के अधिकार
15 कोर्ट या ट्रायब्यूनल तक पहुँच
16 एग्जीक्यूटिव और प्रशासनिक जस्टिस
17 स्पीच, एक्सप्रेशन और प्रकाशन की स्वतंत्रता
18 एकत्र होने की स्वतंत्रता
19 संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता
20 रोज़गार के संबंध
21 मूवमेंट और निवास की स्वतंत्रता
22 धर्म, विवेक और विश्वास की स्वतंत्रता
23 राजनीतिक अधिकार
24 प्राइवेसी का अधिकार

25 जानकारी तक पहुँच
26 समानता का अधिकार और भेदभाव से स्वतंत्रता
27 संपत्ति के अनिवार्य या मनमाने अधिग्रहण से स्वतंत्रता
28 इतोकई, रोतूमन और बानाबन जमीनों की सुरक्षा
29 जमीन में अधिकारों और हितों की सुरक्षा
30 मिनरल्स को निकालने के लिए रॉयल्टी का उचित हिस्सा प्राप्त करने के लिए जमीन मालिकों का अधिकार
31 शिक्षा का अधिकार
32 आर्थिक भागीदारी का अधिकार
33 काम और एक उचित न्यूनतम मज़दूरी का अधिकार
34 परिवहन के लिए उचित एक्सेस का अधिकार
35 आवास और स्वच्छता का अधिकार
36 पर्याप्त भोजन और पानी का अधिकार
37 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अधिकार
38 स्वास्थ्य का अधिकार
39 मनमाने ढंग से बेदखली से स्वतंत्रता
40 वातावरण संबंधी अधिकार
41 बच्चों के अधिकार
42 विकलांग व्यक्तियों के अधिकार
43 आपातकाल स्थितियों में अधिकारों की सीमा
44 एनफोर्समेंट
45 ह्यूमन राइट्स एंड एंटी-डिस्क्रिमिनेशन कमीशन

चेप्टर 3-संसद

पार्ट A-लेजिस्लेटिव अथॉरिटी

46 लेजिस्लेटिव अथॉरिटी और संसद की शक्ति
47 लेजिस्लेटिव शक्तियों का प्रयोग
48 राष्ट्रपति की सहमति
49 कानूनों का लागू करना
50 रेगुलेशन और इसी तरह के कानून
51 अंतर्राष्ट्रीय संधियों और कॉन्वेन्शन्स पर संसदीय अधिकार

पार्ट B–संरचना

52 संसद के सदस्य
53 आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली
54 संसद की संरचना
55 मतदाता योग्यता और रजिस्ट्रेशन
56 संसद के लिए चुनाव के लिए उम्मीदवार
57 उम्मीदवार जो पब्लिक अफ्सर हैं
58 संसद की अवधि
59 चुनाव के लिए रिट्स
60 नॉमिनेशन की तारीख
61 मतदान की तारीख
62 संसद का जल्द भंग होना
63 संसद के सदस्य की सीट खाली
64 खाली सीट को भरने के लिए दूसरा उम्मीदवार
65 सदस्यता में रिक्तियाँ
66 कोर्ट ऑफ डिस्प्यूटेड रिटर्न्स
67 संसद के सत्र
68 कोरम
69 मतदान
70 समितियाँ
71 स्टैंडिंग ऑर्डर्स
72 पेटिशन्स, पब्लिक एक्सेस और भागीदारी
73 शक्तियाँ, विशेषाधिकार, इम्युनिटी और अनुशासन
74 सबूत के लिए बुलाने की शक्ति

पार्ट C–इंस्टिट्यूशन्स और ऑफिसस

75 इलेक्टोरल कमीशन
76 सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शन्स
77 संसद के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर
78 विपक्ष का नेता
79 संसद के सेक्रेटरी–जनरल
80 रिम्यूनरेशन

चेप्टर 4–एग्जीक्यूटिव

पार्ट A – राष्ट्रपति

81 फीजी का राष्ट्रपति
82 राष्ट्रपति सलाह पर कार्य करता है
83 नियुक्ति की योग्यता
84 राष्ट्रपति की नियुक्ति
85 ऑफिस की अवधि और रिम्यूनरेशन
86 ऑफिस की शपथ
87 इस्तीफा
88 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में चीफ जस्टिस उनका कार्य करेगा
89 ऑफिस से हटाया जाना

पार्ट B–मंत्रिमंडल

90 जिम्मेदार सरकार
91 मंत्रिमंडल
92 प्रधान मंत्री का ऑफिस
93 प्रधान मंत्री की नियुक्ति
94 अविश्वास का प्रस्ताव
95 मंत्रियों की नियुक्ति
96 अटॉर्नी–जनरल

चेप्टर 5–जुडिशरी

पार्ट A–अदालतें और जुडिशल अफ्सर

97 जुडिशल अथॉरिटी और स्वतत्रंता
98 सुप्रीम कोर्ट
99 कोर्ट ऑफ अपील
100 हाई कोर्ट
101 मजिस्ट्रेट्स कोर्ट
102 अन्य कोर्ट
103 कोर्ट के नियम और प्रक्रियाएं
104 जुडिशल सर्विसेज़ कमीशन

105 नियुक्ति की योग्यता
106 जजों की नियुक्ति
107 अन्य नियुक्तियाँ
108 जुडिशल विभाग के कर्मचारी
109 ऑफिस की शपथ
110 ऑफिस की अवधि
111 चीफ जस्टिस और कोर्ट ऑफ अपील के अध्यक्ष को किसी कारण से हटाना
112 जुडिशल अफ्सरों को किसी कारण से हटाना
113 जुडिशल अफ्सरों का रिम्यूनरेशन

पार्ट B–स्वतंत्र जुडिशल और कानूनी संस्थाएं

114 इंडिपेंडेंट लीगल सर्विसेस कमीशन
115 फीजी इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन
116 सोलिसिटर–जनरल
117 डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसेक्यूशन्स
118 लीगल एड कमीशन
119 मेर्सी कमीशन
120 पब्लिक सर्विस डिसिप्लिनरी ट्रायब्यूनल
121 एकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी कमीशन
122 मौजूदा नियुक्तियाँ

चेप्टर 6–राज्य सेवा

पार्ट A–पब्लिक सर्विस

123 मूल्य और सिद्धांत
124 पब्लिक अफ्सर देश के नागरिक होने चाहिए
125 पब्लिक सर्विस कमीशन
126 पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्य
127 परमानेंट सेक्रेटरीस
128 राजदूतों की नियुक्ति

पार्ट B–डिसिप्लिन फोर्सेज़

129 फीजी पुलिस फोर्स

130 फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस
131 रिपब्लिक ओफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़

पार्ट C–कोन्स्टिट्यूशनल ऑफिसस कमीशन

132 कोन्स्टिट्यूशनल ऑफिसस कमीशन
133 कोन्स्टिट्यूशनल ऑफिसस कमीशन के कार्य

पार्ट D–पब्लिक ऑफिसस से संबंधित सामान्य प्रावधान

134 एप्लीकेशन
135 ऑफिस के नियम और शर्तें
136 रिम्यूनरेशन और अलाउंसस
137 किसी कारण से पद से हटाया जाना
138 कमीशन्स और ट्रायब्यूनल्स के कार्यों का किया जाना

चेप्टर 7 – रेवेन्यू और खर्च

139 रेवेन्यू को बढ़ाना
140 कंसॉलिडैटड फंड
141 कानून द्वारा अधिकृत किए जाने वाले अप्रोप्रिएशन्स
142 अप्रोप्रिएशन के एडवांस में खर्च की स्वीकृति
143 अप्रोप्रिएशन और टेक्सिंग कार्यवाहियों के लिए मंत्री की सहमति आवश्यक
144 वार्षिक बजट
145 सरकार द्वारा गारंटीस
146 पब्लिक धन का लेखा–जोखा ज़रूरी
147 निश्चित वेतन और अलाउंसस के पेमेंट के लिए कंसॉलिडैटड फंड के स्टेंडिंग अप्रोप्रिएशन
148 अन्य प्रयोजनों के लिए कंसॉलिडैटड फंड के स्टेंडिंग अप्रोप्रिएशन

चेप्टर 8–एकाउंटेबिलिटी

पार्ट A–आचार संहिता

149 आचार संहिता

पार्ट B–जानकारी की स्वतंत्रता

150 जानकारी की स्वतंत्रता

पार्ट C–ऑडिटर–जनरल

151 ऑडिटर–जनरल
152 ऑडिटर–जनरल के कार्य

पार्ट D–रिज़ेर्व बेंक ऑफ फीजी

153 रिज़ेर्व बेंक ओफ फीजी

चेप्टर 9–आपातकालीन शक्तियाँ

154 आपात स्थिति

चेप्टर 10–इम्युनिटी

155 1990 संविधान के तहत दी गई इम्युनिटी जारी
156 लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी फॉर प्रिस्क्राइब्ड पोलिटिकल इवेंट्स डिक्री 2010 के तहत दी गई इम्युनिटी जारी
157 अतिरिक्त इम्युनिटी
158 इम्युनिटी सुरक्षित

चेप्टर 11–संविधान का संशोधन

159 संविधान का संशोधन
160 संशोधन की प्रक्रिया
161 31 दिसम्बर 2013 से पहले संशोधन

चेप्टर 12–प्रारंभ, व्याख्या, रिपील और संक्रमणकालीन

पार्ट A–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

162 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

पार्ट B–व्याख्या

163 व्याख्या

पार्ट C–रिपील

164 रिपील

पार्ट D–संक्रमणकालीन

165 राष्ट्रपति का ऑफिस
166 प्रधान मंत्री और मंत्री
167 पब्लिक या कोन्स्टिट्यूशनल अफ्सर
168 फाइनेंस
169 संसद और स्पीकर के कार्य
170 चुनाव
171 इंस्टिट्यूशन्स का उत्तराधिकारी
172 अधिकारों और दायित्वों का संरक्षण
173 कानूनों का संरक्षण
174 जूडिशल कार्यवाहियाँ

अनुसूची

———

रिपब्लिक ऑफ फीजी का संविधान

प्रीएम्बल

हम, फीजी निवासी,

आदिवासी लोग या इतोकई, उनकी इतोकई ज़मीनों के स्वामित्व, उनकी अनोखी संस्कृति, रिवाज़, परम्परा तथा भाषा को मान्यता देते हुए;

आदिवासी लोग या रोतूमा द्वीप से रोतूमन, उनकी रोतूमन ज़मीनों के स्वामित्व, उनकी अनोखी संस्कृति, रिवाज़, परम्परा तथा भाषा को मान्यता देते हुए;

ब्रिटिश इन्डिया और प्रशान्तीय द्वीपों से शर्तबद्ध मज़दूरों की संतानों, उनकी संस्कृति, रिवाज़, परम्परा तथा भाषा को मान्यता देते हुए; तथा

फीजी में इमिग्रेंट्स और उपनिवेशिकों की संतानों, उनकी संस्कृति, रिवाज़, परम्परा तथा भाषा को मान्यता देते हुए;

घोषित करते हैं कि हम सभी फीजियन्स सामान्य और समान नागरिकता से संयुक्त हैं;

मानते हैं कि संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है जो सरकार तथा सभी फीजियन्स के आचार-व्यवहार के लिए एक ढाँचा प्रदान करता है;

अपने आपको मानवाधिकारों की मान्यता और सुरक्षा, तथा मानव मर्यादा के सम्मान के लिए वचनबद्ध करते हैं;

न्याय, राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा, सामाजिक और आर्थिक भलाई, और अपने वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए अपनी वचनबद्धता घोषित करते हैं;

इस तरह से रिपब्लिक ऑफ फीजी के लिए इस संविधान को स्थापित करते हैं ।

चेप्टर 1–राज्य

रिपब्लिक ऑफ फीजी

1. रिपब्लिक ऑफ फीजी एक प्रभुत्व–सम्पन्न लोकतान्त्रिक राज्य है जो इन मूल्यों पर आधारित है –

(a) सामान्य और समान नागरिकता और राष्ट्रीय एकता;

(b) मानव अधिकारों, स्वतंत्रता और कानून के आधिपत्य के लिए सम्मान;

(c) एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुयोग्य और सुलभ न्याय प्रणाली;

(d) इस सेक्शन और चेप्टर 2 में निहित अधिकारों के बिल में निहित मूल्यों के आधार पर सभी के लिए समानता और कम भाग्यशाली के लिए देखभाल;

(e) मानव मर्यादा, हर व्यक्ति के लिए सम्मान, व्यक्तिगत ईमानदारी और जिम्मेदारी, नागरिक भागीदारी और पारस्परिक सहयोग;

(f) अच्छी शासन–विधि, जिसमें शक्तियों का परिसीमन और पृथक्करण और अन्य प्रकार का नियंत्रण और संतुलन शामिल हैं;

(g) पारदर्शिता और जवाबदेही; और

(h) प्रकृति के साथ एक विवेकी, कार्यकुशल और स्थिर संबंध ।

संविधान की सर्वोच्चता

2.–(1) यह संविधान राष्ट्र का सर्वोच्च कानून है ।

(2) इस संविधान के प्रावधानों के तहत, इस संविधान से असंगत कोई भी कानून असंगति की हद तक अमान्य है ।

(3) इस संविधान का समर्थन और सम्मान सभी फीजियन्स और राज्य करेगा, पब्लिक ऑफिस में पद ग्रहण किए हुए सभी व्यक्ति सहित, और इस संविधान द्वारा लागू दायित्वों को पूरा करना होगा ।

(4) यह संविधान अदालतों द्वारा लागू किया जाएगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि –

(a) कानून और आचार-व्यवहार संविधान से सुसंगत हैं;

(b) अधिकार और स्वतंत्रता सुरक्षित हैं; और

(c) संविधान के तहत कर्त्तव्यों को पूरा किया जा रहा है ।

(5) यह संविधान किसी व्यक्ति द्वारा रद्द या सस्पेंड नहीं किया जा सकता, और चेप्टर 11 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार ही संशोधित किया जा सकता है ।

(6) इस संविधान के अनुपालन को छोड़कर किसी सरकार को स्थापित करने की कोई भी कोशिश गैरकानूनी होगी, और -

(a) उस कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करना अमान्य होगा और बलहीन या प्रभावहीन होगा; और

(b) इस तरह की कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति को किसी भी कानून के तहत कानूनी रूप से इम्युनिटी नहीं दी जाएगी ।

संवैधानिक व्याख्या के सिद्धांत

3.-(1) इस संविधान की व्याख्या करने वाले या काम में लाने वाले व्यक्ति को सम्पूर्ण रूप से संविधान के मनोभाव, प्रयोजन और लक्ष्य को तथा मानव मर्यादा, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित एक लोकतांत्रिक समाज के मूल्यों को बढ़ावा देना होगा ।

(2) यदि कोई कानून इस संविधान के किसी प्रावधान से अंसगत है, तब अदालत को उस कानून के एक उचित अर्थ को अपनाना होगा जो इस संविधान के प्रावधानों से सुसंगत हो ।

(3) यह संविधान अंग्रेज़ी भाषा में अपनाया जाएगा तथा इतोकई और हिन्दी भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध होंगे ।

(4) यदि इस संविधान के एक प्रावधान के अंग्रेजी टेक्स्ट के अर्थ तथा इतोकई और हिन्दी भाषाओं के टेक्स्ट के अर्थ के बीच स्पष्ट अंतर है तब अंग्रेजी टेक्स्ट के अर्थ को मान्य स्वीकार किया जाएगा ।

सेक्युलर राज्य

4.-(1) धार्मिक स्वतंत्रता, जैसा कि अधिकारों के बिल में मान्यता दी गई है, इस राज्य का एक बुनियादी सिद्धांत है ।

(2) धार्मिक विश्वास व्यक्तिगत है ।

(3) धर्म और राज्य अलग-अलग हैं, जिसका मतलब है कि –

(a) राज्य और पब्लिक ऑफिस में पद् संभाल रहे सभी व्यक्तियों को सभी धर्मों को समान मानना होगा;

(b) राज्य और पब्लिक ऑफिस में पद् संभाल रहे सभी व्यक्तियों को किसी धार्मिक विश्वास का दबाव नहीं डालना होगा;

(c) राज्य और पब्लिक ऑफिस में पद् संभाल रहे सभी व्यक्तियों को किसी अन्य धार्मिक या गैर-धार्मिक विश्वास पर किसी भी रूप से किसी विशेष धर्म, धार्मिक वर्ग, धार्मिक विश्वास, या धार्मिक प्रचलन को प्रधानता नहीं देनी होगी या आगे बढ़ाना नहीं चाहिए; और

(d) कोई भी व्यक्ति इस संविधान या किसी भी कानून की उपेक्षा करने के लिए किसी धार्मिक विश्वास पर कानूनी तर्क देकर जोर नहीं डाल नहीं सकता है ।

नागरिकता

5.-(1) फीजी के सभी नागरिकों को फीजियन्स के नाम से जाना जाएगा ।

(2) इस संविधान के प्रावधानों के तहत, सभी फीजियन्स को समान दर्जा और पहचान मिलेगी, जिसका मतलब है कि वे समान रूप से –

(a) नागरिकता के सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों और लाभों के हकदार होंगे; और

(b) नागरिकता के कर्त्तव्यों और ज़िम्मेदारियों के अधीन रहेंगे ।

(3) फीजी की नागरिकता केवल जन्म, रजिस्ट्रेशन या देशीकरण से प्राप्त होगी ।

(4) फीजी के नागरिक बहुल नागरिकता के अधिकारी होंगे, जिसका मतलब है कि –

(a) एक व्यक्ति किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता स्वीकार करने पर फीजी का नागरिक बना रह सकता है जब तक वह स्वयं इस दर्जे का त्याग न करे;

(b) फीजी का एक भूतपूर्व नागरिक जिसने विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर अपनी

नागरिकता खो दी है, फीजी की नागरिकता वापस पा सकता है यदि उस विदेशी राष्ट्र का कानून इसकी स्वीकृति देता है; और

(c) फीजी का एक नागरिक बनने पर एक विदेशी अपनी मौजूदा नागरिकता रख सकता है यदि वह विदेशी राष्ट्र इसकी स्वीकृति देता है ।

(5) एक लिखित कानून –

(a) फीजी की नागरिकता प्राप्त करने और फीजी का नागरिक बनने की शर्तों को निर्धारित करेगा;

(b) रजिस्ट्रेशन या देशीकरण के द्वारा नागरिकता की अर्ज़ियों को बनाने से संबंधित प्रक्रियाओं को निर्धारित करेगा;

(c) फीजी में प्रवेश पाने और निवास करने के अधिकार से संबंधित शर्तों को निर्धारित करेगा;

(d) नागरिकताहीन की अवस्था को रोकने के प्रावधानों को निर्धारित करेगा;

(e) नागरिकता तय करने के प्रयोजन से फीजी में एक व्यक्ति की कानूनी उपस्थिति की अवधियों के हिसाब के लिए नियमों को निर्धारित करेगा;

(f) नागरिकता को त्यागने और वंचित करने से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करेगा;

(g) नागरिकता के देने को विनियमित करने के लिए ऐसे अन्य आवश्यक मामलों को निर्धारित करेगा ।

चेप्टर 2–अधिकारों का बिल

एप्लीकेशन

6.–(1) यह चेप्टर सरकार के लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशल विभागों को सभी स्तरों पर, और पब्लिक ऑफिसों के कार्य को पूरा करने वाले सभी व्यक्तियों को बाँधता है ।

(2) राज्य और पब्लिक ऑफिसों में पद संभाल रहे सभी व्यक्तियों को इस चेप्टर में प्रस्तुत अधिकारों और स्वतंत्रताओं का सम्मान करना होगा, उनकी रक्षा करनी होगी, उनको बढ़ावा देना होगा और उन्हें पूरा करना होगा ।

(3) इस चेप्टर का एक प्रावधान एक नैसर्गिक या कानूनी व्यक्ति को बाँधता है –

(a) उस प्रावधान में मान्यता प्राप्त अधिकार या स्वतंत्रता के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए; और
(b) उस प्रावधान द्वारा लागू किसी नियंत्रण या कर्त्तव्य के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए ।

(4) इस चेप्टर में एक कानूनी व्यक्ति के लिए अधिकार और स्वतंत्रताएँ स्वीकृत हैं, अधिकार या स्वतंत्रता के स्वरूप और विशेष कानूनी व्यक्ति के स्वरूप के अनुसार आवश्यक सीमा तक ।

(5) इस चेप्टर में निर्धारित अधिकार और स्वतंत्रताएँ अपने आशय के अनुसार लागू हैं और इनके द्वारा सीमित हैं –

(a) इस चेप्टर में किसी एक विशेष अधिकार या स्वतंत्रता के संबंध में स्पष्ट रूप से निर्धारित या प्राधिकृत या स्वीकृत (एक लिखित कानून के द्वारा या तहत) सीमाओं के द्वारा;

(b) इस संविधान के अन्य प्रावधानों में निर्धारित या दी गई, या प्राधिकृत या स्वीकृत सीमाओं के द्वारा; या

(c) इस चेप्टर में किसी एक विशेष अधिकार या स्वतंत्रता के संबंध में अस्पष्ट रूप से निर्धारित या प्राधिकृत (एक लिखित कानून के द्वारा या तहत) सीमाओं के द्वारा; लेकिन जो ज़रूरी हैं और एक कानून द्वारा निर्धारित हैं या एक कानून द्वारा प्रदान किए गए हैं या कानून द्वारा या एक कानून की अथॉरिटी के तहत लिए गए कदमों द्वारा प्राधिकृत या स्वीकृत हैं ।

(6) इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, यह चेप्टर इस संविधान के प्रारंभ के समय जारी सभी कानूनों पर लागू होता है ।

(7) इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, बनाए गए कानून, और लिए गए प्रशासनिक और जुडिशल कदम, इस संविधान के प्रारंभ के बाद, इस चेप्टर के प्रावधानों के अधीन हैं ।

(8) एक सीमा तक कि ऐसा करने में सक्षम हो, यह चेप्टर फीजी से बाहर किए गए कार्य या लिए गए कदमों पर लागू है ।

इस चेप्टर की व्याख्या

7.-(1) सेक्शन 3 का पालन करने के साथ, इस चेप्टर की व्याख्या करते समय और प्रयोग करते समय, एक कोर्ट, ट्रायब्यूनल या कोई अन्य अथॉरिटी -

(a) मानव मर्यादा, समानता और स्वतंत्रता के आधार पर आधारित एक लोकतांत्रिक समाज के मूल्यों को बढ़ावा देगी; और

(b) यदि प्रासंगिक हो तो, इस चेप्टर में शामिल अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए उचित अन्तर्राष्ट्रय कानून पर ध्यान देगा ।

(2) यह चेप्टर आम अधिकार या लिखित कानून द्वारा स्वीकृत या प्रदत्त किसी अन्य अधिकार या स्वतंत्रता को इनकार नहीं करता है, या मान्यता देने से नहीं रोकता है, इसको छोड़कर कि यह इस चेप्टर से असंगत है ।

(3) एक कानून जो इस चेप्टर में लागू एक अधिकार या स्वतंत्रता को सीमित करता है पूरी तरह अमान्य नहीं है क्योंकि यह कानून इस चेप्टर में लागू सीमाओं से बाहर जाता है, अगर कानून एक अधिक नियंत्रित व्याख्या के लिए यथोचित योग्य है जो उन सीमाओं से बाहर नहीं जाता है, और उस मामले में, कानून का अर्थ अधिक नियंत्रित व्याख्या के तहत समझा जाएगा ।

(4) साधारण कानून के अनुसार जब किसी मामले पर निर्णय लिया जाता है, एक अदालत को लागू करना होगा और, जहाँ आवश्यक हो, साधारण कानून को इस तरह से विकसित करना जिसमें इस चेप्टर में शामिल अधिकारों और स्वतंत्रताओं को सम्मानित करे ।

(5) किसी भी विशेष कानून को लागू करते वक्त ध्यान देना होगा कि इस चेप्टर एक कोर्ट इस का अर्थ संदर्भ में रख कर करे, विषय और कानून के परिणामों को ध्यान में रखे, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह पर इस का प्रभाव शामिल हो ।

जीवन का अधिकार

8.-(1) प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, और एक व्यक्ति को विवेकाधीन जीवन से वंचित नहीं करना चाहिए ।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

9.-(1) एक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए इन को छोड़कर -

(a) कोर्ट का दण्डादेश या आदेश कार्यान्वित करने हेतु, यदि फीजी में या अन्यत्र मिला हो, किसी अपराध के संबंध में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया गया हो;

(b) कोर्ट का आदेश कार्यान्वित करने हेतु एक व्यक्ति जिस ने कोर्ट या अन्य कोर्ट का या ट्रिब्यूनल का तिरस्कार किया हो;

(c) कोर्ट का आदेश कार्यान्वित करने हेतु एक व्यक्ति पर किसी दायित्व को पूरा करने के लिए मजबूत /सुरक्षित करने के लिए लागू किया गया हो;

(d) कोर्ट का आदेश कार्यान्वित करने हेतु व्यक्ति को कोर्ट के सामने लाने का आदेश हो;

(e) यदि व्यक्ति पर तर्कसंगति से किसी अपराध के लिए संदेह किया गया हो;

(f) व्यक्ति के माता-पिता या कानूनी अभिभावक या कोर्ट के आदेश देने पर, व्यक्ति के शिक्षण या कल्याण हेतु उस अवधि तक के लिए जब तक उस का अट्ठारहवाँ जन्मदिन पूरा न हो;

(g) किसी संक्रामक या छूतहा रोग को फैलने से रोकने हेतु;

(h) व्यक्ति की सावधानी, इलाज हेतु, या समाज की सुरक्षा हेतु यदि वह तर्कसंगति से दोषी होने का संदेह हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो; ड्रग्स या शराब का आदी हो, या एक आवारा हो; या

(i) फीजी में गैर कानूनी ढंग से प्रवेश लेने को रोकने के लिए या फीजी से व्यक्ति को बहिष्कार वापसी या कोई और कानूनी तौर पर बरखास्त करने के लिए ।

(2) सब्सेक्शन (1) (c) यह इज़ाजत नहीं देती कि एक कोर्ट किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाए इस बुनियाद पर कि वह भरण-पोषण-भत्ता देने में असफल है या कर्जदार है, या जुरमाना नहीं भर पाता या टैक्स नहीं भर पाता, जब तक कोर्ट यह नहीं समझता कि इस व्यक्ति के पास सभी साधन मौजूद होते हुए भी जान- बूझकर ऐसा करने से इनकार किया हो ।

(3) यदि व्यक्ति जो आपात्काल के अनुरूप एक रोका हुआ या हवालात का अनुसारी हो -

(a) व्यक्ति को तर्कसंगति रूप से जितनी जल्दी साध्य हो अवश्य और किसी भी हालत में 7 दिनों के अन्दर जो रोके हुए या हवालात में रखे जाने के बाद शुरू होती है, लिखित रूप में अभ्युक्ति दी जानी चाहिए, ऐसी भाषा में जिस में वह व्यक्ति समझ सके, विशेष रूप में जिन कारणों से वह हवालात में है;

(b) व्यक्ति को अवश्य मौका देना चाहिए ताकि वह अपने मिलने वालों और मुलाकातियों से सम्पर्क कर सके -

(i) व्यक्ति का पति या पत्नी, साथी या सगा-संबंधी;

(ii) एक लीगल प्रैक्टिशनर;

(iii) एक धार्मिक सलाहकार या सामाजिक कार्यकर्त्ता; और

(iv) एक डाक्टरी सलाहकार;

(c) व्यक्ति को अपनी पसन्द के कानूनी सलाहकार को चुनने में तर्कसंगति रूप से सभी सुविधाएँ अवश्य देनी चाहिए;

(d) हवालात में रोकना अवश्य, एक महीने के अन्दर और उस के बाद एक महीने के अन्तराल से ज्यादा नहीं, एक कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए; और

(e) पुनर्विचार करते वक्त एक कोर्ट को, व्यक्ति संभवत: स्वयं उपस्थित हो सकता है या उस का कानूनी सलाहकार उस का प्रतिनिधित्व कर सकता है ।

(4) सब्सेक्शन (3) के नीचे किसी पुनर्विचार करते वक्त, एक कोर्ट संभवत: इस प्रकार उपयुक्त आदेश ले सकता है कि व्यक्ति को हवालात में रोका जाना जारी रखा जाए ।

गुलामी, दासता, बेगार और मानव तस्करी से स्वतंत्रता

10. – (1) एक व्यक्ति को गुलामी या दासता, या बलपूर्वक श्रम करवाने के अधीन या मानव व्यपार करने के लिए कैद में नहीं डालना चाहिए ।

(2) इस सेक्शन में, "बलपूर्वक श्रम करवाने" में यह शामिल नहीं है –

(a) एक कोर्ट के आदेश या दण्डादेश के परिणाम में लिया गया श्रम;

(b) व्यक्ति जब कारावास के सत्र काट रहा हो तो तर्कसंगति से लिया हुआ श्रम, चाहे या कैदखाने के स्वास्थ्य या रखरखाव के लिए लिया हुआ श्रम हो;

(c) अनुशासित सेना के सदस्य से लिया हुआ श्रम जिस से वह अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सके ।

क्रूर और अपमानजनक व्यवहार से स्वतंत्रता

11.– (1) प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिकार है कि वह किसी प्रकार की यातना, चाहे शारिरीक, मानसिक या भावात्मक हो, और क्रूर, अमानवीय, अपमानजनक या असंगतिपूर्ण कठोर व्यवहार न किया जाए या दण्डित हो ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति के पास सुरक्षा–संबंधी अधिकार है, जिस में किसी भी प्रकार की हिंसा कोई भी स्रोत से हो, घर पर, पाठशाला में, काम पर या कोई अन्य स्थान पर हो की स्वतंत्रता शामिल है ।

(3) प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिकार है कि एक कोर्ट के आदेश के बिना या उस के सह मति के बिना या अगर वो सहमति न दे सके तो अस के कानूनी गुयार्डियन के सहमति के बिना वहवैज्ञानिक या डाक्टरी चिकित्सा या इलाज न करवाने के लिये स्वतंत्र है ।

अनुचित खोज और जब्ती से स्वतंत्रता

12.–(1) प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिकार है कि उसे सुरक्षा प्राप्त हो किसी भी असंगति छानबीन चाहे अपनी स्वयं की हो या अपनी जायदाद की हो या असंगति रूप से जायदाद की जब्ती हो ।

(2) छानबीन या गिरफ्तारी या जब्ती की इज़ाजत नहीं है जब तक कानूनी अधिकार प्राप्त न हो ।

गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के अधिकार

13.-(1) प्रत्येक व्यक्ति जो गिरफ्तार हो या हवालात में रखा गया हो के पास अधिकार है -

(a) तुरन्त सूचित किया जाए, ऐसी भाषा में जिसे व्यक्ति समझ सके कि -

(i) गिरफ्तारी या हवालात में रखे जाने का कारण और उस व्यक्ति के खिलाफ जो भी आरोप लगाए जा सकते है के तत्व;

(ii) मौन रहने का अधिकार; और

(iii) मौन न रहने के परिणाम;

(b) मौन रहना;

(c) अपने पसन्द के कानूनी सलाहकार से सम्पर्क करना किसी ऐकान्तिक स्थान पर जहाँ वह हवालात में रखा गया हो, उस बारे में तुरन्त सूचित किया जाए और, यदि कानूनी सलाह लगाने के लिए उस के पास पर्याप्त साधन नहीं है और न्याय की मांग हो, कानूनी सलाहकार की सेवाएँ लिगल ऐड कमीशन से दी जाए एक कानूनी योजना के नीचे;

(d) किसी बात को मानने के लिए बाध्य न किया जाए या ऐसा स्वीकरण लिया जाए जो सबूत के तौर पर उस व्यक्ति के खिलाफ में इस्तेमाल हो;

(e) अन्य व्यक्तियों से अलग रखा जाए जिन्हें दण्डादेश मिला हो, और एक बच्चे के मामले में, व्यस्क लोगों से अलग रखा जाए जब तक कि उस बच्चे के हित में न हो;

(f) तर्कसंगति से जल्द से जल्द जैसे साध्य हो कोर्ट के सामने पेश किया जाए, लेकिन किसी भी हालत में गिरफ्तारी के 48 घण्टों की देरी के बाद नहीं, या यदि किसी तर्कसंगति पूर्ण कारणवश न हो सके तो उस के बाद जल्द से जल्द;

(g) कोर्ट की पहली पेशगी, आरोप लगने या हवालात में रूकना जारी रखने के कारणों को सूचित करना, या छोड़ देना;

(h) तर्कसंगतिपूर्ण हालातों में छोड़ना, विचाराधीन आरोप या मुकद्मा चलाना जब

तक न्याय के हित की मांग न हो;

(i) कोर्ट में व्यक्ति को हवालात में रखने के कानून को चुनौति देना और, यदि हवालात में रखना गैर कानूनी हो, छोड़ देना;

(j) हवालात में रोकने के हालात मानव मान-मर्यादा से सुसंगति में हो, इस में कम से कम नियमित रूप से व्यायाम करने का मौका और सुविधा शामिल हो, राज्य के खर्चे पर, उचित आवास, आहार, और डाक्टरी इलाज; और

(k) सम्पर्क कर सके, और मिलने वाले आ सके, -

(i) उस के पति या पत्नी, साथी या रिश्तेदारो; और

(ii) एक सामाजिक कार्यकर्त्ता या, एक धार्मिक सलाहकार,

(2) जब भी इस सेक्शन की जानकारी व्यक्ति को चाहिए होगी उसे दी जाए, वह जानकारी सरलता और स्पष्टता से ऐसी भाष में दी जानी चाहिए जिसे व्यक्ति समझ सके ।

(3) किसी भी कानून के नीचे एक व्यक्ति जो हवालात या हिरासत में रखा गया है, या कैद है को पूरी स्वतंत्रता है कि वह इस चेप्टर में अंकित सभी अधिकार और स्वतंत्रताएँ बनाए रख सकता है, केवल उस सीमा तक कि कोई विशेष अधिकार या स्वतंत्रता स्पष्ट रूप से असंगतिपूर्ण न हो कि उसे स्वतंत्रता से वंचित हो ।

अभियुक्त व्यक्तियों के अधिकार

14.- (1) एक व्यक्ति पर इस लिए मुकदमा नही चलाया जा सकता है -

(a) किसी अधिनियम या अनाचरण जो एक अपराध नहीं था, दोनों में से कोई घरेलु या अंतरराष्ट्रीय कानून के निचे किया हो उस समय जब अपराध किया गया था या छोड़ा गया था; या

(b) एक अधिनियम या अनाचरण अपराध जिस के लिए व्यक्ति ने पहले ही दोनों में से कोई विमुक्ती मिली हो या दोषी पाया गया हो ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिस पर आरोप लगा हो के पास अधिकार है कि -

(a) निर्दोष माना जाए जब तक उसे कानूनी तौर पर दोषी नहीं साबित किया जाए;

(b) किए गए अपराध और उस के तत्वों को सुवाच्य या स्पष्ट लिखित रूप में सूचित किया जाए, ऐसी भाषा में जिस में व्यक्ति समझ सके,

(c) अपने बचाव की तैयारी के लिए पर्याप्त समय और सुविधाएँ दी जाए, यदि वह गवाहओ के बयान को देखने का आग्रह करे तो उसे सुलभ किया जाए;

(d) अपने बचाव के लिए वह स्वयं या अपनी पसंद के प्रतिनिधित्व के लिए किसी कानूनी सलाहकार को अपने खर्चे पर, और अपने इस अधिकार के बारे में तुरन्त सूचित किया जाए या, यदि उस के पास कानूनी सलाहकार के लिए पर्याप्त

साधन न हो और न्याय के हित की माँग हो तो, उसे कानूनी योजना के नीचे एक कानूनी सलाहकार की सेवाएँ लिगल ऐड कमिशन से दिलवाई जाए और उसे अपने इस अधिकार की जानकारी तुरन्त दी जाए;

(e) पहले से ही सूचित किया जाए किस प्रमाण पर अभियोगपक्ष निर्भर या भरोसा करने का विचार करता है, और वह इस प्रमाण को संगतिपूर्ण प्राप्त कर सकता है;

(f) एक सामान्य कोर्ट में सार्वजनिक मुकदमा चलाए जाए, जब तक न्याय के हित की माँग इस के विपरीत न हो;

(g) बिना किसी असंगतिपूर्ण विलम्ब के मुकदमा शुरू और समाप्त किया जाए;

(h) मुकदमा चलने पर उपस्थित रहना, जब तक कि –

(i) कोर्ट संतुष्ट न हो कि व्यक्ति को सम्मन मिल चुके हैं या उस की उपस्थिति या इस जैसी प्रक्रिया का पालन हुआ हो जिस से वह मुकदमा चलते उपस्थित हो, और उस ने स्वयं न आने का चुनाव किया हो ; या

(ii) व्यक्ति का व्यवहार ऐसा हो कि कार्यवाही को जारी रखने में अव्यवहारिक हो तो और कार्ट ने उसे हटाने का आदेश दिया हो और मुकदमा उस की अनुपस्थिति में जारी हो ;

(i) ऐसी भाषा में मुकदमा चलाया जाए जिस की समझ व्यक्ति को हो, या यदि ऐसा साध्य न हो तो कार्यवाही का अनुवाद राज्य के खर्च पे हो ;

(j) मौन रहना, कार्यवाही के दौरान प्रमाणित नहीं करना, और बाध्य किया जाए कि वह स्वअभियंशी है, और कोई भी प्रतिकूल अनुमान नहीं लगाना अपने किसी भी अधिकार के बारे में

(k) गैरकानूनी तौर पर उस के खिलाफ सबूत प्रस्तुत नहीं किया जाए जब तक कि न्याय की माँग उस के हित में न हो;

(l) गवाहों को बुलाना, और सबूत पेश करना, और उपस्थित सबूत को उस के खिलाफ चुनौति देना;

(m) संगतिपूर्ण समय में कार्यवाही कि रिकोर्ड की एक प्रतिलिपि प्राप्त करना और संगतिपूर्ण फीस जो निर्धारित की गई हो का भुगतान करना;

(n) हित के लिए कम से कम निर्धारित दण्ड को काटने में यदि आरोप के लिए निर्धारित दण्ड को आरोप के समय से दण्डादेश देते समय तक बदल दिया गया हो; और

(o) अपील के लिए, या पुर्णविचार के लिए, एक उच्च कोर्ट,

(3) जब भी इस सेक्शन की जानकारी की जरूरत हो व्यक्ति को देनी चाहिए, वह जानकारी सरल और स्पष्ट व्यवहारिक भाषा में हो, जिसे वयक्ति समझ सकता है ।

(4) एक कानून असंगतिपूर्ण नहीं है इस सबसेक्शन (1)b से इस सीमा तक कि –

(a) एक कोर्ट को अधिकार है कि अनुशासित सेना का एक सदस्य किसी अपराधी के दोषी होते हुए भी मुकदमा चलाए और आरोप लगाए या मुक्ति दिलाए एक अनुशासित कानून के नीचे; और

(b) कोर्ट को चाहिए कि, दण्डादेश देते समय, किसी भी दण्ड का निर्णय लेने से पहले इस बात को ध्यान में रखे कि अनुशासित कानून के निचे उसे कोई दण्ड मिल चुका हो ।

कोर्ट या ट्रायब्यूनल तक पहुँच

15.– (1) प्रत्येक व्यक्ति जिस पर किसी अपराध के लिए आरोप लगा हो के पास अधिकार है कि कोर्ट में उस पर न्यायोचित मुकदमा हो;

(2) सिविल झगड़े में प्रत्येक पार्टी के पास अधिकार है कि मामला कानूनी कोर्ट में निर्णय लिया जाए, या यदि उचित हो तो, किसी स्वतंत्रत और निष्पक्ष ट्रिब्यूनल द्वारा ।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जिस पर किसी अपराध के लिए आरोप लगा हो और प्रत्येक पार्टी जिस पर सिविल झगड़े का आरोप लगा हो के पास अधिकार है कि निर्धारित समय में जो संगतिपूर्ण हो में निर्णय हो ।

(4) कोर्ट की सुनवाई (मिलिट्री कोर्ट के अलावा) और ट्रिब्यूनल जो कानूनी तौर पर स्थापित की गई हैं को जनता के लिए खुली रहनी चाहिए जब तक कि न्याय की मॉग हो या वह ऐसा ठीक न समझे ।

(5) सब्सेक्शन (4) रोक नहीं लगाती –

(a) किशोर अपराधियों के मुकदमों से संबंधित कानूनों को बनाने में, या परिवार या घरेलु झगड़ों के फैसले लेने में, एक बन्द कोर्ट में

(b) एक कोर्ट या ट्रिब्यूनल को विशेष कार्यवाही से बेदखल करना (कोर्ट या ट्रिब्यूनल के फैसले की घोषणा के अलावा)पार्टी के अलावा एक व्यक्ति और उन के कानूनी प्रतिनिधियों यदि एक कानून ऐसा करने के लिए अधिकार देता है तो न्याय के हित के लिए, जनता की नैतिकता, 18 वर्ष की आयु से कम के व्यक्तियों की कुशला के लिए, व्यक्तिगत एकांत, राष्ट्रीय सुरक्षा, जनता की सुरक्षा या पब्लिक व्यवस्था के लिये ।

(6) प्रत्येक व्यक्ति जिस पर किसी अपराध के लिए आरोप लगा हो और प्रत्येक पार्टी सिविल कार्यवाहियों में, और प्रत्येक गवाह क्रिमिनल या सिविल कार्यवाहियों के पास गवाह पेश करने का अधिकार है और प्रशन पूछे जाएँ जिस भाषा में वह समझ सके का अधिकार है ।

(7) प्रत्येक व्यक्ति जिस पर किसी अपराध के लिए आरोप लगा हो और प्रत्येक पार्टी उस सिविल कार्यवाहियों मे जो समिल है के पास अधिकार है कि वह इन कार्यवाहियों को अपनी समझ में आने वाली भाषा में सुने ।

(8) सबसेक्शन (6) और (7) को प्रभाव देने के लिए अधिकार है कि, कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो इस से संबंध रखते हैं, जब न्याय के हित की माँग हो, प्रप्ति हो, संबंधित व्यक्ति को बिना किसी खर्च के, दुभाषिया या व्याख्याता की सेवाएँ, या एक योग्य इंगित भाषाकार (इशारों की भाषा) की सेवाएँ प्राप्त हो ।

(9) यदि एक बच्चे को अपराधी के मुकदमे की कार्यवाही में गवाही के लिए बुलाया गया, बच्चे की गवाही लेते समय उस की उम्र को ध्यान में रखना चाहिए ।

(10) राज्य, कानून और अन्य तरीकों द्वारा, उन व्यक्तियों को कानूनी सहायता लिगल ऐड कमिशन द्वारा अवश्य देनी चाहिए जो स्वयं के साधनों की ताकत पर न्याय की कार्यवाही जारी रखने के लिए असमर्थ हो, यदि अन्याय इसका परिणाम न हो ।

(11) कोर्ट या ट्रिब्यूनल के लिए यदि कोई फीस की जरूरत हो तो, उसे अवश्य संगतिपूर्ण और किसी न्याय में बाधा नहीं पहुँचनी चाहिए ।

(12) किसी भी कार्यवाही में, सबूत प्राप्त करने में जिस में इस चेप्टर का या किसी अन्य कानून का उल्लंघन होता हो, को अस्वीकार किया जाये जब तक कि न्याय के हित के लिये ज़रूरी न हो ।

एग्जीक्यूटिव और प्रशासनिक जस्टिस

16.-(1) इस संविधान की प्रावधानो के नीचे और ऐसी अन्य सीमाएँ जो संभवत: कानून द्वारा निर्धारित की गई हो -

(a) प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रशासक और प्रशासनिक कार्य का कानूनी अधिकार है जो विवेकपूर्ण, यथानुपात, न्यायोचित कार्यवाही, और संगतिपूर्ण तात्कालिक हो;

(b) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी प्रशासक और प्रशासनिक कार्य से विपरीत रूप से प्रभावित हुआ हो के पास अधिकार है कि उसे इस कार्य के लिए लिखित रूप में दिया जाए; और

(c) सम्भवत: एक कोर्ट द्वारा किसी प्रशासक और प्रशासनिक कार्य पर पुर्नविचार हो, या यदि उचित हो, अन्य स्वतंत्रत और निष्पक्ष ट्रिब्युनल, कानून के अनुसार हो ।

(2) यह सेक्शन किसी कम्पनी जो एक कानून द्वारा संचालित शासकीय कम्पनी के नीचे रैजिस्टर्ड हो के उपर नहीं लागू होती ।

(3) इस सेक्शन का रेट्रोस्पैक्टीव या अनुदर्शी प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इस संविधान के नीचे केवल प्रशासक और प्रशासनिक कार्यों के लिए संसद की पहली बैठक के बाद लिया गया हो ।

स्पीच, एक्सप्रेशन और प्रकाशन की स्वतंत्रता

17.-(1) प्रत्येक व्यक्ति के पास स्पीच, एकस्प्रेश्न, विचार, राय और प्रकाशन की स्वतंत्रता है, जिस में शामिल है -

(a) खोजने, प्राप्त करने, जानकारी देने, ज्ञान और विचार देने की स्वतंत्रता;

(b) प्रेस, प्रकाशन, ऐलेक्ट्रोनिक और अन्य मीडीया की स्वतंत्रता;

(c) कल्पना और सर्जनात्मक स्वतंत्रता; और

(d) शैक्षिक और वैज्ञानिक शोध-खोज की स्वतंत्रता ।

(2) स्पीच एकस्प्रेश्न और प्रकाशन की स्वतंत्रता में ये सुरक्षित नहीं है -

(a) युद्ध के लिए प्रचार करना;

(b) हिंसा के लिए उकसाना, या संविधान के खिलाफ विद्रोह करना; या

(c) नफरत का समर्थन करना कि -

(i) सेक्शन 26 के नीचे निर्धारित है कि भेदभाव करना मना; और

(ii) संघटित कर के चोट पहुँचाने के लिए उकसाना ।

(3) एक कानून सम्भवत: सीमित हो, या अधिकार की सीमा निर्धारित करे, अधिकार और स्वतंत्रताओं को जो इस सब्सेक्शन (1) में अंकित हैं, परन्तु केवल इस की जरूरत और भलाई के लिए -

(a) राष्ट्रीय सुरक्षा, जनता की सुरक्षा, जनता की व्यवस्था, जनता की नैतिकता, जनता के स्वास्थ्य या व्यवस्थित चुनावों के व्यवहार के लिए;

(b) प्रतिष्ठा, गोपनियता, मान-मर्यादा, अधिकार या अन्य लोगों की स्वतंत्रताओं की सुरक्षा या रखाव के लिए, जिस में शामिल है -

(i) नफरत भरी बोली से स्वतंत्र होने का अधिकार, चाहे वह सीधे रूप से व्यक्तियों पर या समूह पर हो; और

(ii) अयथार्थ या असंगति रूप से घायल व्यक्ति या आरोपित प्रकाशित मीडीय रिपोर्टों को सुधार कर के सुसंगति रूप से कानून द्वारा प्रकाशित करवाने का अधिकार;

(c) प्राप्त गुप्त जानकारी को प्रकट करने से संगतिपूर्ण रोकना;

(d) व्यक्तियों की मान-मर्यादा पर हमला होने से रोकना, व्यक्तियों के समूह या संबंधित कार्यालयों या संस्थाओं में व्यवहार से अवनति फैलाना जिस से जातीय या धार्मिक समूहों में, या अत्याचार, या भेदभाव किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के खिलाफ;

(e) कोर्ट के अधिकार और स्वतंत्रता को कायम रखते हुए;

(f) पब्लिक ऑफिसो के पद अधिकारियों पर प्रतिबन्ध लागू करना;

(g) टेलेकम्मुनिकेशन के टेक्निकल प्रशासनिक पर नियंत्रण रखना;

(h) मिडिया के स्तर की प्रावधानो के बाध्यकरण के लिए व्यवस्था करना और मिडिया की संस्थाओं के लिए नियंत्रण, पंजीकरण और व्यवहार की व्यवस्था करवाना;

(4) इस सेक्शन में "नफरत की बोली" का अर्थ है कोई भी रूप जो उत्साह दिलाती हो, या भेदभाव को बढ़ावा देने का प्रभाव हो अंकित किसी भी पृष्ठभूमि पर हो या, धारा 26 के नीचे अंकित हो ।

एकत्र होने की स्वतंत्रता

18.- (1) प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिकार है कि वह शांतिपूर्वक और निरस्त्र हो कर सभा के लिए एकत्र हो, प्रदर्शित करे, धरना दे और पिटिशन दे ।

(2) एक कानून सम्भवत: सीमित हो, या अधिकार की सीमा निर्धारित करे, अधिकार और स्वतंत्रताओं को जो इस सबसेक्शन (1) में अंकित हैं, परन्तु केवल उस जरूरी सीमा तक के लिए ही -

(a) राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा, जनता की व्यवस्था, जनता की नैभि तकता, जनता के स्वास्थ्य या व्यवस्थित चुनावों के व्यवहार के लिए;

(b) अन्य लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के हेतु;

(c) पब्लिक ऑफिस के पदाधिकारियों पर प्रतिबन्ध लागू करने के हेतु ।

संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता

19.-(1) प्रत्येक व्यक्ति के पास संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता है ।

(2) एक कानून सम्भवत: सीमित हो, या अधिकार की सीमा निर्धारित करे, अधिकार और स्वतंत्रताओं को जो इस सब्सेक्शन (1) में अंकित हैं,को सीनित करे -

(a) राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा, जनता की व्यवस्था, जनता की नैतिकता, जनता के स्वास्थ्य या व्यवस्थित चुनावों के व्यवहार के लिए;

(b) अन्य लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के हेतु;

(c) पब्लिक ऑफिस के पदाधिकारियों पर प्रतिबन्ध लागू करने के हेतु;

(d) ट्रेड युनियन के पंजीकरण को नियंत्रण करने के हेतु, या किसी फेडरेशन, कोंगरेस, काउन्सल या मालिकों का अफिलिएशन;

(e) सामूहिक सौदाकारी की प्रक्रियाओं के नियंत्रण के हेतु, नौकरी से संबंधित विवादों और शिकायतों के प्रस्ताव की क्रियाविधियों को उपलब्ध करवाने के, और हड़ताल और तालाबन्दियों; या

(f) अत्यावश्यक सेवाओं और उद्योगों के नियंत्रण के हेतु, फीजीयन एक्नोमी और फीजी के नागरिकों के समस्त हित के लिए ।

रोज़गार के संबंध

20.-(1) प्रत्येक व्यक्ति के पास उचित रोज़गार की प्रक्रियाओं का अधिकार है, इन में शामिल हैं मानवीय व्यवहार और उचित रोज़गार के हालात ।

(2) प्रत्येक कर्मचारी के पास ट्रेड युनियन संगठित करने और शामिल होने का और इन के कार्यों और प्रोग्राम में भाग लेने का, और हड़ताल करने का अधिकार है ।

(3) प्रत्येक मालिक के पास मालिकों की संस्थाओं को संगठित करने और शामिल होने का और इन के कार्यों और प्रोग्राम में भाग लेने का, और हड़ताल करने का अधिकार है ।

(4) ट्रेड युनियन और मालिकों के पास सामूहिक सौदाकारी का अधिकार है ।

(5) एक कानून सम्भवत: सीमित हो, या अधिकार की सीमा निर्धारित करे, अधिकार और स्वतंत्रताओं को जो इस सेक्शन में अंकित हैं, को सीनित करे –

(a) राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा, जनता की व्यवस्था, जनता की नैतिकता, जनता के स्वास्थ्य या व्यवस्थित चुनावों के व्यवहार के लिए;

(b) अन्य लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के हेतु;

(c) पब्लिक ऑफिस के पदाधिकारियों पर प्रतिबन्ध लागू करने के हेतु;

(d) ट्रेड युनियन के पंजीकरण को नियंत्रण करने के हेतु, या किसी फेडरेशन, कोंगरेस, काउन्सल या मालिकों का अफिलिएशन;

(e) सामूहिक सौदाकारी की प्रक्रियाओं के नियंत्रण के हेतु, नौकरी से संबंधित विवादों और शिकायतों के प्रस्ताव की क्रियाविधियों को उपलब्ध करवाने के और हड़ताल और तालाबन्दियों; या

(f) अत्यावश्यक सेवाओं और उद्योगों के नियंत्रण के हेतु, फीजीयन एक्नोमी और फीजी के नागरिकों के समस्त हित के लिए ।

मूवमेंट और निवास की स्वतंत्रता

21.-(1) प्रत्येक व्यक्ति के पास घूमने-चलने-फिरने की स्वतंत्रता है ।

(2) प्रत्येक नागरिक के पास पासपोर्ट के लिए आवेदन करने का और इस्यू या जारी करने या ऐसे ही यात्रा संबंधी कागज़ात, जो किसी शर्त के साथ जो लिखे हुए निर्धारित कानून के अनुसार हो ।

(3) प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक वह व्यक्ति जो फीजी में कानूनी तौर पर है, के पास फीजी भर में घूमने-चलने-फिरने और फीजी को छोड़ने का अधिकार है ।

(4) प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास फीजी में कानूनी तौर पर निवास करने का अधिकार है, वह फीजी के किसी भी भाग में निवास कर सकता है ।

(5) प्रत्येक व्यक्ति जो फीजी का नागरिक नहीं है परन्तु कानूनी तौर पर फीजी में है के पास अधिकार है कि फीजी से नही निकाला जाए सिवाये कोर्ट के ऑर्डर या निर्धारित कानून के अनुसार जो मिनिस्टर ऑफ इम्मीग्रेशन की जिम्मेदारी है के फैसले पर हो ।

(6) एक कानून, या कुछ भी जो कानून के अधिकार के नीचे किया गया हो, इस सेक्शन के नीचे अधिकार असंगतिपूर्ण नहीं है –

(a) कोर्ट के सामने लाने को निश्चित करना या व्यक्ति के घूमने–चलने–फिरने पर प्रतिबन्ध लगा जा सकता है, यदि –

(i) कोर्ट में मुकदमे के दौरान और अन्य कार्यवाहियों में उपस्थित होना निश्चित करने के हेतु;

(ii) किसी एक अपराध के लिए आरोपित होने के परिणामों में; या

(iii) किसी अन्य व्यक्ति को आशंकित हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने के हेतु ।

(b) एक व्यक्ति जो फीजी का नागरिक नहीं है लेकिन फीजी में प्रवेश करता है, बिना प्रवेश पाने के कागज़ात के, को कारावास में रखने या प्रतिबंध लगाने का अधिकार है ।

(c) हाई कोर्ट के आदेश पर फीजी के एक व्यक्ति को वापसी के लिए प्राप्त करवाना;

(d) हाई कोर्ट से फीजी से निकलवाने का आदेश प्राप्त करवाना, किसी बच्चे को जो पहले किसी अन्य देश से निकाला गया हो, बच्चे को कानूनी हिरासत से उस के माता–पिता या कानूनी गार्डियन को लौटाना;

(e) फीजी से निकलवाना उस व्यक्ति को जो फीजी का नागरिक नहीं है क्योंकि वह अपने फीजी में किए गए अपराध को अपने नागरिकता वाले देश में रह कर उस अपराध की सज़ा काट सके; या

(f) किसी अन्य व्यक्ति की ज़मीन, जायदाद, या अधिकार प्राप्त स्थान पर नियंत्रण करना, व्यवस्थि करना, या मना करना ।

(7) एक कानून सम्भवत: सीमित हो, या अधिकार की सीमा निर्धारित करे, अधिकार और स्वतंत्रताओं को जो इस धारा में अंकित हैं, परन्तु केवल इस की जरूरत के लिए –

(a) राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा, जनता की व्यवस्था, जनता की नैतिकता, जनता के स्वास्थ्य या व्यवस्थित चुनावों के व्यवहार के लिए;

(b) अन्य लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के हेतु;

(c) किसी भी इलाके की परिस्थितिकी या इकॉलजी की सुरक्षा हेतु;

(d) किसी व्यक्ति पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु जिस से उस पर संगतिपूर्ण कानून के दायित्व की पूर्ति के लिए; या

(e) पब्लिक ऑफिस के पदाधिकारियों पर जो नौकरी की शर्तों का एक हिस्सा हो पर संगतिपूर्ण प्रतिबन्ध लगाने हेतु ।

(8) सेक्शन 9 के सब्सेक्शन (3) और (4) एक व्यक्ति पर लागू होते हैं जिस के घूमने-चलने-फिरने के अधिकार पर आपातकालीन स्थिति में प्रतिबन्ध हो, ठीक उसी तरह जिस तरह एक रोके हुए व्यक्ति पर लागू होते हैं ।

धर्म, विवेक और विश्वास की स्वतंत्रता

22.- (1) प्रत्येक व्यक्ति के पास धार्मिक, अन्त:करण या विवेक और विश्वास करने की स्वतंत्रता है ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिकार है कि, चाहे व्यक्तिगत या दूसरों के साथ सामूहिक, किसी अलग स्थान पर, अपने धर्म को व्यक्त करे और आचरण करे या पूजा-उपासना, रिवाज का पालन और शिक्षण का अभ्यास करे ।

(3) प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिकार है कि उसे मजबूर न किया जाए -

(a) अपने धर्म या विश्वासों पर आचरण करने के लिए;

(b) शपथ ले, या इस प्रकार शपथ ले जिस से -

(i) व्यक्ति के अपने धर्म या विश्वास के खिलाफ हो;

(ii) व्यक्ति ऐसे विश्वास को व्यक्त करे जिसे वह नहीं मानता ।

(4) प्रत्येक समाज या सम्प्रदाय, और हर सांस्कृतिक या सामाजिक समुदाय के पास अधिकार है कि वह स्थापित करे, जारी रखे, शिक्षण-केन्द्रों को सम्भाले या राज्य से आर्थिक सहायता मिले या नहीं, इस शर्त पर कि वह शिक्षण संस्था कानूनी स्तर का पालन करे ।

(5) सब्सेक्शन (4)के पालन करते समय, एक धार्मिक समाज या समप्रदाय, के पास अधिकार है कि वह धार्मिक उपदेश किसी भी शिक्षण का अंग बना सकता है, चाहे या उसे इस के लिए राज्य से आर्थिक सहायता मिले या नहीं ।

(6) केवल उस की सहमति से, या जो व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम हो उसके माता-पिता या कानूनी गुयाडिर्यन की सहमाती सै, एक व्यक्ति को अपने शिक्षण स्थान पर प्राप्त धामिर्क उपदेश या भाग लेने या उपस्थित होने या उपदेश-पालन करने, समारोह, रिवास-प्रथा जो धर्म से संबंधित हो और उस की मान्यता की न हो मे भाग लेने कि अवशक्ता नही है ।

(7) एक कानून सम्भवत: सीमित हो, या अधिकार की सीमा निर्धारित करे, अधिकार और स्वतंत्रताओं को जो इस धारा में अंकित हैं, परन्तु केवल इसकी जरूरत -

(a) सुरक्षा के लिए -

(i) अन्य व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रताओं; या

(ii) पब्लिक सुरक्षा, पब्लिक व्यवस्था, पब्लिक नैतिकता, और पब्लिक स्वास्थ्य; या

(b) पब्लिक उपद्रव को रोकने के लिए ।

राजनीतिक अधिकार

23.- (1) प्रत्येक व्यक्ति के पास राजनीतिक चुनाव करने का अधिकार है और अधिकार है कि -

(a) राजनीतिक पार्टी को बनाना या संगठित करना या शामिल होना;

(b) राजनीतिक पार्टी के कार्यों में शामिल होना, सदस्यों को शामिल करना, और

(c) राजनीतिक पार्टी, उम्मीदवार या कारण का प्रचार करना ।

(2) प्रत्येक नागरिक के पास स्वतंत्रत, न्यायोचित, और नियमित तौर किसी चुनावी संस्था या ऑफिस के लिए इस संविधान के नीचे चुनाव करने का अधिकार है ।

(3) प्रत्येक नागरिक जिस की उम्र 18 वर्ष की है के पास अधिकार है कि -

(a) वह एक रेजिस्टर्ड वोर्टर रहे;

(b) इस संविधान के नीचे सिकरेट बैलट द्वारा किसी भी चुनाव में वोट करे, या रेफरेन्डम द्वारा;

(c) पब्लिक ऑफिस का उम्मीदवार बन सके, या राजनीतिक पार्टी के ऑफिस का सदस्य बन सके जिस का वह सदस्य हो, इस शर्त पर कि वह ऑफिस की योग्यताओं की पूर्ति कर सके; और

(d) यदि चुन लिया जाए तो ऑफिस को सम्भाले ।

(4) एक कानून सम्भवत: सीमित हो, या अधिकार की सीमा निर्धारित करे, अधिकार और स्वतंत्रताओं को जो इस धारा में अंकित हैं, परन्तु केवल इस की जरूरत के लिए –

(a) वोटों के पंजीकरण को नियंत्रण में रखने के हेतु, और निर्धारित व्यक्ति जिन के रेजिस्ट होने के अधिकार रूक गई हो ;

(b) राजनीतिक पार्टी के पंजीकरण को नियंत्रण में रखने के हेतु, और निर्धारित व्यक्ति जिन के पास इस सबसेक्शन (1) और सबसेक्शन 3 (c) और (d) के नीचे अधिकार न हो;

(c) जिन व्यक्तियों के पास संसद में स्थान पाने के लिए या पब्लिक ऑफिस में, या किसी राजनीतिक पार्टी में उम्मीदवारी के लिए योग्य नहीं है पर नियंत्रण में रखने के हेतु;

(d) पब्लिक ऑफिस के पदाधिकारियों पर नियंत्रण में रखने के हेतु, (जैसा कि ऐसे किसी कानून में परिभाषित है) इस धारा में अधिकारों में अंकित है ।

प्राइवेसी का अधिकार

24.– (1) प्रत्येक व्यक्ति के पास व्यक्तिगत एकान्तता का अधिकार है, जिस में शामिल है –

(a) निजी जानकारी की गोपनीयता;

(b) सूचना सम्पर्क या सम्प्रेषण की गोपनीयता; और

(c) उन की निजी और पारिवारिक जिन्दगी का आदर–सम्मान करना ।

(2) एक कानून सम्भवत: सीमित हो, या अधिकार की सीमा निर्धारित करे, अधिकार और स्वतंत्रताओं को जो इस सबसेक्शन (1) में अंकित हैं, परन्तु केवल इस की जरूरत के लिए ।

जानकारी तक पहुँच

25.– (1) प्रत्येक व्यक्ति के पास जानकारी प्राप्त करने के अधिकार है –

(a) किसी भी पब्लिक ऑफिस की जानकारी; और

(b) किसी अन्य व्यक्ति के पास की जानकारी, और किसी कानूनी अधिकार को पालन करने या उस की सुरक्षा के लिए ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति के पास असत्य या भ्रम में डालने वाली जानकारी जो उस पर असर करे को सुधारने या निकाल देने का अधिकार है ।

(3) एक कानून सम्भवत: सीमित हो, या अधिकार की सीमा निर्धारित करे, अधिकार और स्वतंत्रताओं को जो इस सबसेक्शन (1) में अंकित हैं, और सम्भवत: नियंत्रण करने की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जानकारी एक पब्लिक ऑफिस से प्राप्त हो परन्तु केवल इस की जरूरत के लिए ।

समानता का अधिकार और भेदभाव से स्वतंत्रता

26.- (1) प्रत्येक व्यक्ति के पास कानून के सामने बराबरी का और समानता से सुरक्षा पाने का, व्यवहार और कानूनी लाभ का अधिकार है ।

(2) बराबरी में पूर्ण और समाना से अधिकार का आनन्द उठाना शामिल है और स्वतंत्रताएँ जो इस चेप्टर में या किसी अन्य लिखित कानून में अंकित हैं ।

(3) एक व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अनुचित भेदभाव का व्यवहार नहीं होना चाहिए इस कारण से कि वह -

(a) वास्तव में, कल्पित व्यक्तिगत चारित्रिक विशेषताओं या हालातों में, जाति, संस्कृति, प्रजाति या सामाजिक स्रोत, रंग, जन्म का स्थान, सेक्स, जेन्डा, सेक्सुल ओरियंटेशन, जेन्डा पहचान और एकस्प्रेश्न , जन्म, प्राथमिक भाषा, आर्थिक या सामाजिक या स्वास्थ्य की स्थिति, असमर्थता, उम्र, धर्म, अन्त: करण या विवेक, वैवाहिक स्थिति या गर्भावस्था; या

(b) राय या विश्वासों, केवल उस सीमा तक कि वे राय या विश्वासों से किसी अन्य को हानि या चोट नहीं पहुँचती हो का अधिकार और स्वतंत्रताएँ है,

या किसी अन्य कारण से इस संविधान द्वारा वर्जित है ।

(4) अत:, दोनों में से कोई नहीं एक कानून या प्रशासनिक कार्यवाही एक कानून के नीचे सम्भवत: प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में एक असमर्थता या पाबन्दी किसी व्यक्ति पर एक वर्जित कारण से लागू हो ।

(5) प्रत्येक व्यक्ति के पास बिना भेदभाव के सदस्येता या प्रवेश के , दुकान, होटल, लोजिंग-हाऊस, पब्लिक रेस्तौरंटस, पब्लिक एंटर्टेमंट के जगाहें, क्लूब्स, शौक्षिक संस्थानो, पब्लिक ट्रांस्पोर्टेशन की सर्विसेस और पब्लिक स्थानों की प्राप्ति या आगमन का अधिकार है ।

(6) एक स्थान के मालिक को या सेवाएँ जो सबसेक्शन (5) में अंकित है को संगतिपूर्ण अशक्त व्यक्तियों को उपलब्ध करवानी चाहिए जैसा कि निर्धारित कानून में है ।

(7) एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अनुचित भेदभाव का व्यवहार नहीं करना चाहिए ।

(8) सब्सेक्शन (3) के नीचे अंक्ति में एक व्यक्ति को किसी अन्य से भेदभाव का व्यवहार नहीं करना चाहिए, जब तक कि यह भेदभाव का व्यवहार उन हालातों में उचित स्थापित हो ।

(9) इस सेक्शन में उस सीमा तक जरूरी है कि, एक कानूनी या प्रशासनिक कार्य किसी एक कानून के नीचे, अधिकारों के साथ असंगतिपूर्ण नहीं है कि वह -

(a) उचित आय या राजस्व या धन, विशेष कारणों के लिए;

(b) एक व्यक्ति पर रिटायरमेंट उम्र लागू करना;

(c) एक व्यक्ति पर नौकरी की पाबन्धी लागू करना या राज्य सेवा में कार्यरत होना, या विशेष अधिकार या लाभ जो अन्य व्यक्तियों पे लागु या प्रदान नही होता;

(d) जो व्यक्ति फीजी के नागरिक नहीं है उन पर प्रतिबन्द लागू करना या विशेष अधिकार या लाभ प्रदान करना, जो नागरिकों पर लागू न हो या उन्हें प्रदान नहीं किए गए हैं;

(e) गोद लेने या दत्तक ग्रहण करने, विवाह, मृत्यु होने पर जायदाद सुपुर्द करने की या पेंशन की व्यवस्था प्रदान करना;

(f) विशेष ऑफिस के पदाधिकारियों को छोड़ कर ।

संपत्ति के अनिवार्य या मनमाने अधिग्रहण से स्वतंत्रता

27.-(1) प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि लिखित कानून सबसेक्शन (2) के अनुसार राज्य की निजी सम्पत्ति से वंचित न हो, और कानून इच्छाधीन अर्जित करने की अनुमति हो या जायदाद में किसी तरह का सम्पत्तिहरण हो ।

(2) लिखित कानून जायदाद अर्जित करने का सम्भवत: अनिवार्य अधिकार दे सकता है –

(a) पब्लिक कारणों के लिए जब जरूरी हो; और

(b) इस आधार पर कि मालिक निर्धारित हरजाना तुरन्त भरने के लिए हो, या अगरीमन्ट असफल होने पर, न्यायोचित और न्यायसंगत हरजाना जैसा कि कोर्ट या ट्रिब्यूनल निर्धारित करे, सभी प्रासंगिक तत्वों को मध्यनजर रखते हुए जिस में शामिल हैं –

(i) पब्लिक कारण जिस के लिए जायदाद हासिल की गई हो;

(ii) मालिक द्वारा जायदाद-प्राप्ति का इतिहास हासिल करने;

(iii) जायदाद का बाज़ार में मूल्य;

(iv) किसी व्यक्ति पर उस जायदाद को हासिल करने पर प्रभाव;

(v) मालिक को कोई कष्ट ।

(3) जिस में कुछ शामिल न हो, या एक अधिकार के नीचे, इस धारा में एक असंगतिपूर्ण कानून की व्यवस्था में जायदाद हासिल करने का अवसर देना –

(a) टैकसेशन;

(b) बंकृप्त एस्टेटों का पृथ्क्करण या जब्ती (सिक्वेसट्रेशन);

(c) अपराध उत्पन्न होने की जब्ती;

(d) कानून भंग करने के लिए दण्ड;

(e) गिरवी रखने की संतुष्टी, आरोप या ग्रहणाधिकार या;

(f) कोर्ट या ट्रिब्यूनल द्वारा प्रसाशकीय निर्णय ।

इतोकई, रोतूमन और बानाबन जमीनों की सुरक्षा

28.-(1) इतोकई जमीन का स्वामित्व प्रथागत यानी कस्टमरी मालिकों के पास ही रहेगी और इतोकई जमीन को स्थायी रूप से निकाला नहीं जाएगा, चाहे सेल या बिक्री करके, अनुदान या

ग्रान्ट, बदल कर या ट्रांस्फर कर के या अदला-बदली कर के, केवल राज्य की सेक्शन 27 के अनुसार ही होगी ।

(2) इस संविधान के लागू होने पर सेक्शन 27 के नीचे राज्य द्वारा कोई भी प्राप्त की हुई इतोक्ई जमीन को प्रथागत मालिकों को लौटानी पड़ेगी यदि राज्य को इस की जरूरत नहीं हुई तो ।

(3) रतूमन जमीन का स्वामित्व प्रथागत यानी कसटमरी मालिकों के पास ही रहेगी और रतूमन जमीन को स्थायी रूप से निकाला नहीं जाएगा, चाहे सेल या बिक्री कर के, अनुदान या ग्रान्ट, बदल कर या ट्रांस्फर कर के या अदला-बदली कर के, केवल राज्य की सेक्शन 27 के अनुसार ही होगी ।

(4) इस संविधान के लागू होने पर सेक्शन 27 के नीचे राज्य द्वारा कोई भी प्राप्त की हुई रतूमन जमीन को प्रथागत मालिकों को लौटानी पड़ेगी यदि राज्य को इस की जरूरत नहीं हुई तो ।

(5) बानाबन जमीन का स्वामित्व प्रथागत यानी कसटमरी मालिकों के पास ही रहेगी और बानाबन जमीन को स्थायी रूप से निकाला नहीं जाएगा, चाहे सेल या बिक्री कर के, अनुदान या ग्रान्ट, बदल कर या ट्रांस्फर कर के या अदला-बदली कर के, केवल राज्य की सेक्शन 27 के अनुसार ही होगी ।

(6) इस संविधान के लागू होने पर सेक्शन 27 के नीचे राज्य द्वारा कोई भी प्राप्त की हुई बानाबन जमीन को प्रथागत मालिकों को लौटानी पड़ेगी यदि राज्य को इस की जरूरत नहीं हुई तो ।

जमीन में अधिकारों और हितों की सुरक्षा

29.-(1) इस संविधान से पूर्व जो जमीन के सभी स्वामित्व, और सभी जमीन संबंधी अधिकार और हित, जिस में शामिल है जमीन की किरायेदारी और लीसें, इस संविधान के नीचे भी पूर्वत उसी तरह जारी रहेंगी ।

(2) सभी जमीन के मालिक और किरायेदारों के पास अधिकार है कि अपनी लीस और किरायेदारी के अग्रीमन्ट को रद्द न होने दे यदि इस के अलावा और कोई लीस और किरायेदारी के अग्रीमन्ट हो तो, और यदि लीस और करायेदारी के अग्रीमन्ट में कोई सुधार या अमेन्डमेन्ट किसी कानून से किया गया हो जो विपरीत रूप से वर्तमान लीस और किरायेदारी के अग्रीमन्ट पर नहीं

पड़े ।

(3) इस संविधान के लागू होने पर सभी फ्रिहोल्ड जमीन पूर्ववत उसी तरह जारी रहेंगी, जब तक सेक्शन 27 के नीचे वह राज्य द्वारा पब्लिक कारण के लिए बेची या हासिल नहीं की गई हो ।

मिनरल्स को निकालने के लिए रायल्टी का उचित हिस्सा प्राप्त करने के लिए जमीन मालिकों का अधिकार

30.-(1) सभी जमीन या पानी के नीचे के खनिज पदार्थ या मिनरैल राज्य की सम्पत्ति है, बशर्ते कि, फिर भी, किसी विशेष जमीन के मालिक को (चाहे कस्टमारी या फ्रिहोल्ड जमीन),या कोई विशेष रजिस्टर्ड कस्टमारी फिशिंग राइट्स हो तो रॉयलटी या राज्य को ग्रान्ट के रूप में जो धन मिलती है उस अधिकार के संबंध में जिस में वे फिशिंग राइटस राज्य द्वारा जमीन या सीबेड के खनिज पदार्थ निकालने के हैं मे से उचित हिस्सा मिलने का अधिकार है ।

(2) सब्सेक्शन (1) के नीचे सम्भवत: एक फ्रेमवर्क का एक लिखित कानून उचित हिस्सों का हिसाब लगाने में निर्णयायक हो सकता है, सभी संगतिपूर्ण तत्वों को ध्यान में रखते हुए जिन में शामिल है -

(a) कोई भी लाभ जो मालिकों को खनिज निकालने से या सम्भवत: निकाले जाने स प्राप्त हो;

(b) पर्यावरण को क्षति पहुँचाने का खतरा;

(c) किसी एक फन्ड का मूल्य चुकाने या पूर्ति के लिए योगदान देने में राज्य के किसी कानूनी अधिकार को रोकना, किसी भी पर्यावरण क्षति को मरम्मत करवाने, क्षतिपूर्ति करने में;

(d) राज्य को मूल्य चुकाने की व्यवस्था करना शोषण अधिकार को लागू करने के लिए; और

(e) किसी व्यक्ति को अन्वेषण या शोषण अधिकार प्रदान करना राज्य की सार्वजनिक आय में उचित योगदान देना ।

शिक्षा का अधिकार

31.- (1) प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिकार है कि -

(a) प्रारम्भिक बालपन शिक्षण

(b) प्राइमरी और सेकेंड्री शिक्षण

(c) उच्च स्तर का शिक्षण ।

(2) अपने उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रख कर राज्य को उचित कार्यवाही करनी चाहिए जिस से क्रमिक बोध हो कि –

(a) मुफ्त प्रारम्भिक बालपन शिक्षण, प्राइमरी और सेकेंड्री शिक्षण, और उच्च स्तर का शिक्षण; और

(b) उन व्यक्तियों के लिए जो अपनी प्राइमरी और सेकेंड्री शिक्षण पूरी नहीं कर पाए ।

(3) कोन्वेर्शइनल और कोंटेम्परी इतोकई और फीजी हिन्दी भाषाएं सभी प्राइमरी कक्षाओं में अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएंगी ।

(4) राज्य किसी भी शैक्षणिक संस्था को आदेश से सकता है कि स्वास्थ्य संबंधी विषयों को, नागरिक शास्त्र और राष्ट्र हित के विषयों को पढ़ाए, और प्रत्येक शैक्षणिक संस्था को राज्य के इन आदेशों का पालन करना अनिवार्य है ।

(5) इस सेक्शन के नीचे के किसी भी अधिकार को लागू करते समय, यदि राज्य यह दावा करता है कि कोई अधिकार पूरा करने के लिये रिसौर्सेस नहीं है तो राज्य को य दिखाने कि जिम्मेदारी है कि रिसौर्सेस नही है ।

आर्थिक भागीदारी का अधिकार

32.-(1) राष्ट्र के आर्थिक जीवन में पूर्ण और निस्संकोच योगदान देने में प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिकार है, जिस में शामिल है अपनी जीविका, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय या जीविका का अन्य कोई साधन चुनना ।

(2) अपने उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रख कर राज्य को उचित कार्यवाही करनी चाहिए जिस से क्रमिक बोध हो जो सबसेक्शन (1) मे निर्धारति है ।

(3) एक कानून सम्भवत: सीमित हो, या अधिकार की सीमा निर्धारित करे, अधिकार और स्वतंत्रताओं को जो इस उपधारा (1) में अंकित हैं, परन्तु केवल इस की जरूरत के लिए ।

काम और एक उचित न्यूनतम मज़दूरी का अधिकार

33.-(1) अपने उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रख कर राज्य को उचित कार्यवाही करनी चाहिए जिस से क्रमिक बोध हो कि प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगारी और एक न्यूनतम मज़दूरी का अधिकार है ।

(2) इस सेक्शन के नीचे के किसी भी अधिकार को लागू करते समय, यदि राज्य यह दावा करता है कि वह कोई अधिकार को पूरा करने के लिये रिसौर्सेस नहीं है तो राज्य को य दिखाने कि जिम्मेदारी है कि रिसौर्सेस नही है ।

परिवहन के लिए उचित एक्सेस का अधिकार

34.-(1) अपने उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रख कर राज्य को उचित कार्यवाही करनी चाहिए जिस से क्रमिक बोध हो कि प्रत्येक व्यक्ति के पास उचित परिवाहन प्राप्त करने का अधिकार है ।

(2) इस सेक्शन के नीचे के किसी भी अधिकार को लागू करते समय, यदि राज्य यह दावा करता है कि वह कोई अधिकार को पूरा करने के लिये रिसौर्सेस नहीं है तो राज्य को य दिखाने कि जिम्मेदारी है कि रिसौर्सेस नही है ।

आवास और स्वच्छता का अधिकार

35.-(1) अपने उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रख कर राज्य को उचित कार्यवाही करनी चाहिए जिस से क्रमिक बोध हो कि प्रत्येक व्यक्ति के पास उचित आश्रय या घर का प्रबन्ध और स्वास्थ्यरक्षा का अधिकार है ।

(2) इस सेक्शन के नीचे के किसी भी अधिकार को लागू करते समय, यदि राज्य यह दावा करता है कि वह कोई अधिकार को पूरा करने के लिये रिसौर्सेस नहीं है तो राज्य को य दिखाने कि जिम्मेदारी है कि रिसौर्सेस नही है ।

पर्याप्त भोजन और पानी का अधिकार

36.-(1) अपने उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रख कर राज्य को उचित कार्यवाही करनी चाहिए जिस से क्रमिक बोध हो कि प्रत्येक व्यक्ति के पास उचित भोजन और पानी का अधिकार है ।

(2) इस सेक्शन के नीचे के किसी भी अधिकार को लागू करते समय, यदि राज्य यह दावा करता है कि वह कोई अधिकार को पूरा करने के लिये रिसौर्सेस नहीं है तो राज्य को यह दिखाने कि जिम्मेदारी है कि रिसौर्सेस नही है ।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अधिकार

37.-(1) अपने उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रख कर राज्य को उचित कार्यवाही करनी चाहिए जिस से क्रमिक बोध हो कि प्रत्येक व्यक्ति के पास सामाजिक सुरक्षा योजना का अधिकार है और ज़रूरत के समय मे सहारा हो चाहे निजी या पब्लिक, जिसमे पब्लिक रिसौर्सेस से सहारे कि अधिकार हो जब वे अपने आप को या अपने डिपेंडंस को सहारा नहीं दे सकते ।

(2) इस सेक्शन के नीचे के किसी भी अधिकार को लागू करते समय, यदि राज्य यह दावा करता है कि वह कोई अधिकार को पूरा करने के लिये रिसौर्सेस नहीं है तो राज्य को य दिखाने कि जिम्मेदारी है कि रिसौर्सेस नही है ।

स्वास्थ्य का अधिकार

38.-(1) अपने उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रख कर राज्य को उचित कार्यवाही करनी चाहिए जिस से क्रमिक बोध हो कि प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वास्थ्य का अधिकार,और स्वास्थ्य संबंधी सभी आवश्यक हालातों और साधनों, और स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा सेवाओं का, जिस में शामिल है प्रजनक या रीप्रोडक्टिव कैयर या स्वास्थ्य है ।

(2) एक व्यक्ति को आकस्मिक या इमेर्जन्सी स्वास्थ्य इलाज से वंचित नहीं करना चाहिए ।

(3) इस सेक्शन के नीचे के किसी भी अधिकार को लागू करते समय, यदि राज्य यह दावा करता है कि वह कोई अधिकार को पूरा करने के लिये रिसौर्सेस नहीं है तो राज्य को य दिखाने कि जिम्मेदारी है कि रिसौर्सेस नही है ।

मनमाने ढंग से बेदखली से स्वतंत्रता

39.-(1) प्रत्येक व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि उसे मनमानी ढंग से उसके घर से निकाला न जाए या उसके घर को गिराया न जाए, बिना कोर्ट के आदेश के जो हर परिस्थिति को ध्यान में रखकर आदेश देगा ।

(2) कोई कानून मनमानी बेदखली की इजाजत नहीं दे सकता ।

वातावरण संबंधी अधिकार

40.-(1) प्रत्येक व्यक्ति के पास साफ और स्वस्थ परियावरण संबंधी अधिकार है, जिस में शामिल है प्रशासनिय और अन्य तरीकों से एक नैसर्गिक संसार जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित हो ।

(2) एक कानून सम्भवत: सीमित हो, या अधिकार की सीमा निर्धारित करे, अधिकार और स्वतंत्रताओं को जो इस सेक्शन में अंकित हैं, परन्तु केवल इस की जरूरत के लिए की एक कानून या कानून के निचे प्रशासनिक कार्य के लिये ।

बच्चों के अधिकार

41.-(1) प्रत्येक बच्चे के पास अधिकार है -

(a) जन्म पर या जन्म के तुरन्त बाद रजिस्टर होने का, और एक नाम और नागरिकता का ;

(b) मूल पोषण, वस्त्र, निवास, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी ध्यान का;

(c) परिवार का ध्यान, सुरक्षा, मार्गदर्शन का, जिस में शामिल है बच्चे के माता-पिता की बराबरी की जिम्मेदारी है बच्चे के लिए उपलब्ध करवाएँ -

(i) चाहे माता-पिता शादी-शुदा हैं या कभी थे; और

(ii चाहे माता-पिता साथ में रहते हैं या नहीं या अलग रहते हैं;

(d) दुरुपयोग, अपेक्षा, हानिकारक सांस्कृतिक प्रथाओं से, किसी भी प्रकार की हिंसा, अमानवीय व्यवहार और दण्ड, और संकटमय या अनुचित मजदूरी से सुरक्षा; और

(e) रोका नहीं जाए जब तक कि वह आखिरी रास्ता न हो, और जब रोका जाए तो -

(i) केवल उस समय तक के लिए जब तक जरूरी हो; और

(ii) बढे लोगों से अलग, और बच्चे की उम्र और लिंग को ध्यान में रख कर ।

(2) हर मामलें में ं बच्चे को प्राधनता देते हुए उस के हित को ध्यान में रख कर ।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार

42.- (1) एक व्यक्ति जो किसी प्रकार से विकलांग हो के पास अधिकार है -

(a) सभी जगहों पर जाने के लिए उचित व्यवस्था, पब्लिक वाहन और जानकारी;

(b) साईन या सांकेतिक भाषा, ब्रैल या अन्य उचित प्रकार के सम्पर्क के साधन; और

(c) उचित जरूरी सामानों की, वस्तुओं और विकांग संबंधी यंत्रों की प्राप्ति ।

(2) एक विकलांग व्यक्ति के पास अधिकार है कि वह मकानों, इमारतों, वाहनों, रोजगारी की व्यवस्था, नियमों, रिवाजों, या प्रक्रियाओं, अपने पूर्ण रूप से समाज में हिससा लेने के लिए और अधिकार को प्रभावशाली रूप दे सके ।

आपातकाल स्थितियों में अधिकारों की सीमा

43.- (1) इस संविधान के नीचे आपातकाल स्थिति की घोषणा जारी किए जाने के कारण कोई भी कानून -

(a) इस सेक्शन में अंकित (सेक्शन 8, 10, 13, 14, 15, 16, 22, और 26 के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को छोड़कर) अधिकार या स्वतंत्रता को सीमित करेगा कि -

(i) सीमा सख्त जरूरी है और आपातकाल के लिए आवश्यक है; और

(ii) कानून आपातकालीन स्थिति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कानून के तहत फीजी के कर्त्तव्यों से सुसंगत; और

(b) प्रकाशित होने पर ही लागू होता है ।

(2) इस सब्सेक्शन (1) के कानून के नीचे एक व्यक्ति के पास सभी अधिकार हैं जो इस चेप्टर में अंकित हैं बशर्ते कि सीमाएँ जो सब्सेक्शन (1) में अंकित हैं ।

एनफोर्समेंट

44.-(1) यदि एक व्यक्ति समझता है कि इस चेप्टर की किसी व्यवस्था से या सम्भवत: किसी तरह से उसे (या, एक व्यक्ति जिसे रोका गया है, यदि कोई और समझता है कि ऐसा हुआ

है, या ऐसा सम्भव है कि उसे रोका गया है) तब वह व्यक्ति (या कोई अन्य व्यक्ति) हाई कोर्ट को रीड्रेस के लिए आवेदन-पत्र लिख सकता है ।

(2) सबसेक्शन (1) के नीचे हाई कोर्ट में आवेदन-पत्र की याचना करने का अधिकार है उस व्यक्ति के संबंध में किसी पूर्वधारणा के बिना कोई भी कार्य को ले कर ।

(3) हाई कोर्ट के पास मूल या प्रारंभिक अधिकार है कि -

(a) सबसेक्शन (1) के नीचे सुनवाई करना और निर्णय लेना को लागू करन; और

(b) सबसेक्शन (5) से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लेना;

और सम्भवत: ऐसे आदेश बनाए या दे जिसे वह उचित समझे ।

(4) इस सेक्शन के नीचे कोई भी अर्जी या रेफेरल को हाई कोर्ट राहत प्रदान करने से मना कर सकता है अगर उस के विचार में उस व्यक्ति के पास दूसरा पर्याप्त विकल्प उपलब्ध है ।

(5) यदि सबोडिनेट कोर्ट की किसी कार्यवाही में इस चेप्टर के प्रावधानों के उल्लंघन का प्रश्न उठता है, तो सम्भवत: एक सदस्य जो कार्यवाही की अधिष्ठाता संभाल रहा है, और यदि एक पार्टी अगर निवेदन करती है तो अवश्य, हाई कोर्ट के प्रश्न से संबंध रखता है जब तक, सदस्य की राय में (जो कि अन्तिम है और अपील पर आधारित नहीं है), प्रश्न का उठाना तुच्छ या अफसोसनाक दायक हो ।

(6) इस धारा के नीचे जब हाई कोर्ट अपना निर्णय देता है और कोई प्रश्न उठता है जिस में उठे हुए प्रश्न को निपटाना हो तो यथोचित -

(a) निर्णय; या

(b) यदि निर्णय कोर्ट ऑफ अपील या सुप्रीम कोर्ट में अपील का सवाल है - निर्णय कोर्ट ऑफ अपील या सुप्रीम कोर्ट पर आधारित है, जो भी उपयुक्त हो ।

(7) राज्य की ओर से सम्भवत: अटोर्नी-जनरल, इस चेप्टर की व्यवस्था के किसी मामले से जुड़ी बात पर हाई कोर्ट की कार्यवाही के दौरान हस्तक्षेप कर सकता है ।

(8) यदि हाई कोर्ट की कार्यवाही के दौरान इस चेप्टर से संबंधी किसी बात पर कार्यवाही हुई तो, हाई कोर्ट को सुनवाई नहीं करनी चाहिए जब तक कि वह संतुष्ट नहीं हो जाता कि इस कार्यवाही की जानकारी अटोनी जनरल को दी गई है और नोटिस देने के बाद पर्याप्त समय बीत चुका है जिस से कि अटोनी जनरल ने इस प्रश्न से होने वाली बाधा पर गौर कर लिया है ।

(9) सब्सेक्शन (8)के नीचे एक नोटिस यह आवश्यक नहीं है कि अटोनी जनरल को दे य दि अटोनी जनरल या राज्य इस कार्यवाही के हिस्से हैं ।

(10) सम्भवत: चीफ जस्टिस इस धारा को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट की प्रक्रियाओं और कार्यवाही के कुछ नियम बनाए (जिस में समय संबंधी नियम शामिल हो जो हाई कोर्ट पर लागू हो)।

ह्यूमन राइट्स एंड एंटी-डिस्क्रिमिनेशन कमीशन

45.-(1) ह्युमन राइट्स कमिशन जो ह्यूमन राइट्स कमीशन 2009 के नीचे स्थापित हुए हैं वह जारी रहेंगे जब तक ह्यूमन राइट्स एंड एंटी-डिस्क्रिमिनेशन कमीशन रहेगा ।

(2) कमिशन में -

(a) चाइर्पर्सोन, जो एक ऐसा व्यक्ति जो जज है या जज एप्पोइंट होने की योग्य है ; और

(b) अन्य चार सदस्य,

कोन्सटिटयूशनल ऑफिसस कमिशन की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा एप्पोइंट हो ।

(3) राष्ट्रपति को सलाह देने में कि कौन चाइर्पर्सोन के लिए एप्पोइंट होगा, या कमिशन के अन्य सदस्य, कोन्सटिटयूशनल ऑफिसस कमिशन के पास इन व्यक्तियों के व्यक्गित विशेष्ताओं का होना आवश्यक ही नहीं बल्कि उन के ज्ञान या अनुभव जो अनेक तत्वों और मामलों पर हों कमिशन के सामने होने चाहिए ।

(4) कमिशन की जिम्मेदारी है कि -

(a) पब्लिक और निजी संस्थाओं में मानवीय अधिकारों का प्रचार और सुरक्षा और पालन, और आदर हो और मानवीय अधिकारों की संस्कृति फीजी में विकसित हो;

(b) इस चेप्टर में अंकित अधिकारों और स्वतंत्रताओं के शिक्षण को मान्यता प्राप्त हो, और साथ में अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार और स्वतंत्रताएँ;

(c) मानवीय अधिकारों को मॉनिटर करना या अनुश्रवण करना, छान-बीन करना, और रिपोर्ट करना कि उन का पालन जीवन के हर क्षेत्र में हो रहे हैं;

(d) सरकार को सिफारिश करना उन सभी मामलों के बारे में जो अधिकार और स्वतंत्रताओं को मान्यता देते हैं जो इस चेप्टर में अंकित हैं, इस में जारी किए गए या प्रस्तावित कानूनों की सिफारिशें शामिल है;

(e) शिकायतों को प्राप्त करना और छानबीन करना मानवीय अधिकारों के आरोपित दुर्व्यवहार करने के और उचित कदम उठाने या रिड्रेस करने के लिए जब मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, जिसमें शामिल है कोर्ट को रिड्रेस के लिए अर्जी लगाना या अन्य राहत कोर्यों या उपचारों के लिए;

(f) छान-बीन करना या शाध करना, अपने आप पहल करना या नेतृत्व करना या किसी शिकायत के आधार पर मानव अधिकारों और सिफारिशों को सार्वजनिक या निजी कार्यों के लिए सुधारना;

(g) मॉनिटर करना कि राज्य जिम्मेदारियों के नीचे ट्रीटीस और कोनवेनशनस मानव अधिकार के अनुसार लागू हैं;

(h) कोई अन्य कार्य को करना, या किसी ताकत का प्रयोग जो कमिशन द्वारा लिखित रूप में हो ।

(5) कमीशन के पास शिकायत करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के पास है, आरोप करने का जो इस चेप्टर में वंचित है, भंग किया गया या उल्लंघन किया गया, या धमकाया गया हो ।

(6) कमीशन के पास ऐसी और ताकत या अधिकार है, जो मानव अधिकार कमिशन डेकरी 2009 या अन्य लिखित कानून में हो ।

(7) कमीशन अपने कार्य को करते समय या अपने प्रधिकरण को इस्तामाल करते समय स्वतंत्र रहेगा और किसी भी व्यक्ति या अथॉरिटी के दिशा या नियंत्रण के अधीन मे नही होगा सिर्फ एक कानून की कोर्ट या लिखित कानून को छोड कर ।

(8) कमीशन के पास नियुक्त, हटाने की और सभी कर्मचारियो की अनुशासन (प्रशासनिक कर्मचारी भी) की प्राधिकरण है ।

(9) कमीशन के पास ये प्रधिकरण है कि सभी मामलो पर सभी कर्मचारियो जो काम करते है उन के लिये निर्धार करे -

(a) नौकरी के नियम और शर्ते ;

(b) एप्पोइंटमेंट के लिये योग्यता की ज़रूरत और नियुक्ति के लिये ऐसा प्रक्रिया की अनुवर्ती करे जो खुली , परदशी और प्रतिस्पर्धी हो ;

(c) संसद् की स्वीकृनी किया हुवा बजट के मुताबिक वेतन, लाभ और अल्लोवंळेस दे ; और

(d) संसद् मे स्वीकृनी किय हुवा बजट के मुताबिक पुरे संगठन के कर्मचारियो ज़रूरत के मुताबिक नियुक्त करे ।

(10) कमीशन के कर्मचारियो की वेतन, लाभ और अल्लोवंळेस जो दिया जायेगा उस को कोंसोलीडटेड .फंड पे चाज किया जायेगा ।

(11) संसद् कमीशन के लिये ये सुनिश्चित करे कि उन्हे पर्याप्त अनुदान और संसाधन कि प्रप्ती हो जिस से वह अपनी शक्तियो की इस्तमाल, और अपने कार्य और जिन्नेदारियाँ से निभाये ।

(12) कमीशन अपने बजट और फाइनेंस को अपने आप नियत्रंण करेगी संसद् की आज्ञा से ।

चेप्टर 3–संसद

पार्ट A–लेजिस्लेटिव अथॉरिटी

लेजिस्लेटिव अथॉरिटी और संसद की शक्ति

46.– (1) राज्य के लिए कानून तैयार करने का अधिकार और ताकत संसद जिस मे संसद सदस्ये और राष्ट्रपति है के निहित है और इस का प्रयोग अधिनियम विधि के बिल पास होने के लिए संसद और राष्ट्रपति की सहमति द्वारा होती है ।

(2) संसद के अलावा किसी व्यक्ति या संस्था के पास कानून बनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन केवल इस संविधान द्वारा या किसी लिखित कानून द्वारा ही हो सकता है ।

लेजिस्लेटिव शक्तियों का प्रयोग

47.–(1) कोई भी सदस्य संसद में एक बिल का परिचय प्रस्तावना दे सकता है या प्रस्तावित कर सकता है, लेकिन केवल फाईनैन्स मंत्री, या अन्य कोई मंत्री जिसे कैबिनेट ने अधिकार दिया हो, सम्भवत: एक मनी बिल, जैसा कि सबसेक्शन (4) मे वर्णन किया गया है ।

(2) स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अनुसार किसी बिल पर चर्चा करने के लिए संसद की कार्यवाही आगे बढ़ सकती है, परन्तु यह व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए –

(a) परिचय या प्रस्तावना देने के लिए एक ढाँचा, विचार–विमर्श , सुधार–कार्य और बिलों को लागू करना; और

(b प्रक्रिया के चरणों के बीच पर्याप्त समय सदस्यों को दिया जाना चाहिए और कमिटियों को हर बिल पर पूरी तरह से गौर करना चाहिए ।

(3) स्टेंडिंग ओडरस से बेहतर है कि एक बिल की कार्यवाही सम्भवत: जल्द ही आगे बढ़ सकती है यदि –

(a) जब एक बिल प्रस्तावित किया गया हो, जो मूवर है वह संसद से निवेदन करे कि बिना विलंब बिल को स्वीकृति मिले; और

(b) संसद में अधिकांश सदस्य इस निवेदन को अपना समर्थन दे ।

(4) इस सेक्शन में, एक मनी बिल कोई बिल है जो –

(a) लागू करता है, बढ़ाता है, हेर-फेर करता है, रेमिट करता है, एक्ज़ेम्शन फोर्म प्रदान करता है, टैक्स या कर कम या रद्द करता है;

(b) पब्लिक फण्ड पर चरजों को लागू कर सकता है, या उन चारजों पर रिपील कर सकता है;

(c) उचित पब्लिक मनी या अन्यथा पब्लिक मनीस से संबंधित;

(d) किसी लोन पर से गारंटीस उठाता है, या उस के रिपैमन्ट पर;

(e) रिसीट से उचित कार्यवाही करता है यानी डील करता है, कस्टोडी, इन्वैस्टमेन्ट, इश्यू या मनी की ओडिट करता है; या

(f) किसी भी आपतन मामले में उचित व्यवहार करता है ।

राष्ट्रपति की सहमति

48.- (1) जब एक बिल संसद में पास हो जाता है, तो स्पीकर को राष्ट्रपति की सहमति के लिये अवश्य भेजना चाहिए ।

(2) बिल मिलने के बाद 7 दिनों के अंदर, राष्ट्रपति को अपनी सहमति प्रदान करनी चाहिए ।

(3) जैसा कि सबसेक्शन (2) में अंकित है दिए गए समय में यदि राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं प्रदान करता, तो बिल की सहमती अवधि समाप्त होने पर मानी जानी चाहिए ।

कानूनों को लागू करना

49.-(1) एक बिल की सहमति के मिलने के बाद 7 दिनों के अंदर, अर्टोनी जनरल को संसद के एक एक्ट के रूप में राजपत्र में प्रकाशित करवाना चाहिए ।

(2) संसद का एक एक्ट लागू होता है तब -

(a) निर्धारित तारीख पर या एक्ट के अनुसार; या

(b) राजपत्र में प्रकाशित करवाने के सातवें दिन पर, यदि एक्ट तारीख निर्धारित नहीं करता या तारीख निर्धारित करने की व्यवस्था नहीं प्रदान करता;

रेगुलेशन और इसी तरह के कानून

50.-(1) कोई भी व्यक्ति किसी रेगुलेशन को नहीं बना सकता, या किसी अन्य ताकत या जबरदस्ती से कानून नहीं लोगू कर सकता, केवल इस संविधान या लिखित कानून द्वारा ही अधिकार प्राप्त है ।

(2) एक व्यक्ति जो रेगुलेशन बनाता है या कोई कानूनी ताकत प्रदान करता है, अब तक जो व्यवहारिक रूप में है, कानून बनने से पूर्व उस के विकास में और सर्वेक्षण करने में सार्वजनिक भागीदारी के लिए संगतिपूर्ण उचित अवसर प्रदान करता है ।

अंतर्राष्ट्रीय संधियों और कान्वेन्शन्स पर संसदीय अधिकार

51.-(1) केवल संसद की सहमति पर, एक अंतर्राष्ट्रीय अग्रीमेन्ट राज्य को बाध्य करता है ।

पार्ट B-संरचना

संसद के सदस्य

52. संसदीय सदस्यगणों को सिकरेट बैलट द्वारा चुना जाएगा जो स्वतंत्रत और न्यायसंगत चुावनों के द्वारा इलैक्ट्रोल कमीशन करेगा, इस संविधान के अनुसार और किसी लिखित कानून जो चुनाव संबंधित होगा ।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली

53.- (1) संसद के सदस्यों का चुनाव बहु-सदस्य या मल्टी-मेमबर ओपन लिस्ट प्रणाली द्वारा समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली से होगा, जिसमे एक मतदाता या वोटर के पास एक वोट होगा जिस में प्रत्येक वोट का मूल्य बराबर का होगा, एक सिंगल नैशनल इलेक्ट्रोल रोल में सभी रेजिस्टर्ड वोट होंगे ।

(2) सब्सेक्शन (3) और (4) के अनुसार संसद के प्रत्येक चुनाव में, उम्मीवारों को संसद में समानुपाती स्थान अवश्य देना चाहिए अगर -

(a) प्रत्येक पार्टी जो चुनाव के लिए कोन्टेस्ट करती है के प्राप्त वोटों की कुल संख्या, जो उस पार्टी के हर उम्मीदवार के वोट को जोड़ कर होती हे, निर्धारित करती है; और

(b) प्रत्येक स्वतंत्रत उम्मीदवार के प्राप्त वोटों की कुल संख्या, यदि कोई हो तो, फिर भी एक स्वतंत्रत उम्मीदवार को एक ही सीट संसद में प्राप्ती की समर्थ है ,

(3) बेशर्ते, एक रानितिक पार्टी या एक स्वतंत्रत उम्मीदवार को संसद में कोई सीट तब तक नहीं प्राप्त है जब तक कि एक रानितिक पार्टी या एक स्वतंत्रत उम्मीदवार को पूर्ण संख्या में से 5% वोट प्राप्त हैं ।

(4) एक लिखित कानून संसद के सदस्यों के चुनाव संबंधी व्यवस्था बना सकता है जिसमें शामिल है वह नियम जो संसद की सबसेक्शन (2)के नीचे, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के तौर पर स्वीकृति प्राप्त हो जिसमें समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली हो ।

संसद की संरचना

54.-(1) इस संविधान के नीचे संसद के सदस्यों के पहले चुनाव में 50 सदस्य गण होंगे, जिन्हें संविधान के अनुसार एप्पोइंट किया जाएगा ।

(2) पहले चुनाव के बाद संसद के सदस्यों के प्रत्येक पहले चुनाव को इस संविधान के नीचे आयोजित किया जाएगा, जिस में इलेक्ट्रोल कमिशन कम से कम 1 वर्ष से पहले, संसद की रचना पर पुनर्विचार और सम्भवत:, यदि जरूरी हुआ तो, कुल मिला कर संसद के सदस्यों को बढ़ाने या घटाने में, जहाँ तक व्यवहारिक हो, ऐसे किसी सर्वेक्षण की तारीख पर, फीजी की आबादी और संसद की कुल संख्या का रेश्यो उसी रेश्यो की कुल संख्या की हो जो पहले चुनाव पर थी इस संविधान के नीचे ।

(3) सब्सेक्शन(2) के नीचे सर्वेक्षण के दौरान, इलेक्ट्रोल कमीशन फीजी की जनसंख्या पर ध्यान देगा जो हाल में की गई जनगणना द्वारा निर्धारित होगी, नैशनल रेजिसटर ऑफ वोटर्स या अन्य उपलब्ध औपचारिक जानकारी ।

(4) यदि इलेक्ट्रोल कमिशन निर्णय लेता है कि संसद की रचना में और इस के अधिकारों में हेर-फेर हो सब्सेक्शन (2) के नीचे, तब संसद की रचना, संसद के सदस्यों के चुनाव की तारीख को निर्धारित करने के बाद इस हेतु, तो मान लिया जाएगा कि इलेक्ट्रोल कमीशन का निर्णय सदस्यों की संख्या पर सुधार होगा ।

(5) एक लिखित कानून आगे की व्यवस्था करेगा जो सर्वेक्षण को अंजाम देगा सब्सेक्शन (2) के नीचे ।

मतदाता योग्यता और रजिस्ट्रेशन

55.-(1) 18 वर्ष की उम्र से ऊपर या अगले चुनाव की तारीख से 18 वर्ष की उम्र से ऊपर होने वाले फीजी के प्रत्येक नागरिक के पास वोटर की हेसियत से रेजिसटर होने का अधिकार है, लिखित कानून के अनुसार जो चुनाव या वोटर्स के रेजिस्ट्रेशन पर निर्धारित है ।

(2) एक व्यक्ति जो -

(a) फीजी में कानून द्वारा निर्धारित एक व्यक्ति फीजी में या किसी अन्य देश के कोर्ट द्वारा निर्धारित 12 महीने या उससे अधिक की सज़ा काट रहा है;

(b) फीजी में लागू कानून के अनुसार मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया गया हो; या

(c) इलेक्ट्रोल अपराधों के नीचे एक वोटर के रूप में कुछ समय तक रेजिस्ट्रेशन करने से वंचित है,

के पास एक वोटर के रूप में रेजिस्ट्रेर होने का अधिकार नहीं है ।

(3) एक व्यक्ति जो वोटर के रूप में रेजिस्टर हुआ है, वोटर रेजिस्ट्रेशन के बाद,

(a) फीजी में कानून द्वारा निर्धारित एक व्यक्ति फीजी में या किसी अन्य देश के कोर्ट द्वारा निर्धारित 12 महीने या उससे अधिक की सज़ा काट रहा है;

(b) फीजी में लागू कानून के अनुसार मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया गया हो; या

(c) इलेक्ट्रोल अपराधों के नीचे एक वोटर के रूप में कुछ समय तक रेजिस्ट्रेशन करने से वंचित है,

एक रेजिस्टर्ड वोटर होने का अधिकार खो देता है ।

(4) प्रत्येक व्यक्ति जो रजिस्टर्ड वोटर है को अधिकार हे कि संसद् के चुनाव में वोट कर सकता है ।

(5) इलेक्ट्रोल कमीशन को एक इकहरा, नैशनल सामान्य रेजिस्टर ऑफ वोटर्स कायम करना चाहिए ।

(6) प्रत्येक नागरिक जो वोटर के रूप में रेजिस्टर्ड है और वह -

(a) फीजी में निवास करता है और चुनाव के दिन फीजी में है को चुनाव में वोट देने का अधिकार है; या

(b) फीजी में निवास नहीं करता या चुनाव के दिन फीजी में नहीं है, लेकिन उस के पास फीजी का वैद्य पासपोर्ट है, को वोट देने का अधिकार है यदि चुनाव के कानून के अनुसार लिखित कानून है ।

संसद के लिए चुनाव के लिए उम्मीदवार

56.-(1) संसद के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार को चाहिए कि वह एक रेजिस्टर्ड पार्टी द्वारा नोमिनेट हो या एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नोमिनेट हो जो चुनाव के कानून के आधार पर हो ।

(2) संसद के चुनाव के लिए एक व्यक्ति सम्भवत: उम्मीदवारी तभी कर सकता है जब वह -

(a) केवल फीजी का नागरिक हो, और किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं है ;

(b) रेजिस्टर ऑफ वोटर्स में रेजिस्टर्ड है;

(c) नोमिनेट होने से पूर्व कम से कम फीजी में दो साल से निवास करता है;

(d) एक अंडिस्चार्ड बैंकरप्ट नहीं है;

(e) इलेक्ट्रोल कमीशन का सदस्य नहीं है, और उस कमीशन का सदस्य किसी भी नियुक्ति के समय में 4 वर्ष पूर्व तक नहीं था;

(f) नोमिनेट होने के समय किसी आरोप में सज़ा नहीं काट रहा हो;

(g) नोमिनेट होने के समय से 8 साल पहले तक कोई भी कानून के नीचे किसी आरोप के लिए जिस की सज़ा 12 महीने या उस से ज़्यादा की हो के लिए दोषी न पाया गया हो ; या

(h) चुनाव संबंधी कानून के नीचे राजनीतिक पार्टियों या वोटर रेजिस्ट्रेशन के संबंध में दोषी ठहराया नहीं गया हो ।

(3) एक राजनीतिक पार्टी संसद में दी गई कुल सीटों से ज़्यादा उम्मीदवारों को नोमिनेट

नहीं कर सकती है ।

(4) संसद में एक लिखित कानून संसद चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नोमिनेशन के प्रावधान बना सकता है ।

उम्मीदवार जो पब्लिक अफ्सर हैं

57-(1) यह माना जाएगा कि एक व्यक्ति जो पब्लिक ऑफिस में काम करता हो संसद चुनाव के लिए हस्ताक्षर किया हुआ उसका नोमिनेशन सही रिटेर्निंग अफ्सर या वो व्यक्ति जो चुनाव कानून के अनुसार नोमिनेशन को ले सकता है के पास पहुँच जाता है ने ऑफिस को खाली कर दिया है ।

(2) एक व्यक्ति जो इलेक्ट्रोल कमीशन का सदस्य रह चुका हो या जो चुनाव का सुपर्वाइज़र रह चुका हो वो ओफिस को 4 साल छोड़ने के बाद तक संसद चुनाव के लिए नोमिनेट नहीं हो सकता ।

(3) चुनाव के उद्देश्य के लिए पब्लिक ऑफिस का मतलब है –

(a) कोई ऑफिस में, या सदस्य के रूप में, एक सांविधिक प्रधिकारी, एक कमीशन या, एक बोर्ड जो इस संविधान या लिखित कानून से शुरू या स्थापित किया गया हो ;

(b) एक ऑफिस जिसके लिए यह संविधान प्रावधान बनाता हो ;

(c) एक ऑफिस जो लिखित कानून से शुरू किया गया हो ;

(d) एक न्यायिक अधिकारी का ऑफिस या कोई कोर्ट का ऑफिस या इस संविधान या लिखित कानून से स्थापित किया गया ट्रायब्यूनल;

(e) राज्य सेवा में कोई ऑफिस, पब्लिक सेर्विस सहित, फीजी पुलिस फोर्स, फीजी कोरेक्शन्स सेर्विस, या तो रिपबलिक ओफ फीजी मिलिट्री फोर्स; या

(f) ट्रेड यूनियन में कोई ऑफिस जो 2007 एम्प्लॉयमेंट रिलईशंस प्रोमल्गइशंस के नीचे रेजिस्टड है (चाहे उस ऑफिस में चुने या नियुक्त किए गए, और कोई भी स्थान या समझौता जिस के लिए एक व्यक्ति को रिम्यूनरेशन, वेतन, अलाउंस या फीस ट्रेड यूनियन से मिलता हो);

(g) किसी फेडरेशन, कोंग्रेस, परिषद या व्यापार संघ के संबंध (चाहे उस ऑफिस में चुने या नियुक्त किए गए हो, और कोई भी स्थान या समझौता जिसके लिए एक व्यक्ति

को रिम्यूनरेशन, वेतन, अलाउंस या फीस कोई फेडरेशन, कोंग्रेस, परिषद या ट्रेड यूनियन के संबंध से मिलता हो);

(h) कोई फेडरेशन, कोंग्रेस, परिषद या नियोक्ताओं के संबंध (चाहे उस ऑफिस में चुने या नियुक्त किए गए, और कोई भी स्थान या समझौता जिसके लिए एक व्यक्ति को रिम्यूनरेशन, वेतन, अलाउंस या फीस कोई फेडरेशन, कोंग्रेस, परिषद या नियोक्ता के संबंध से मिलता हो)।

(4) कुछ भी सब्सेक्शन (3) में होते हुए भी इस सेक्शन के उद्देश्य के लिए पब्लिक ऑफिस प्रधान मंत्री के ऑफिस, मंत्री का ऑफिस, विपक्ष का नेता का ऑफिस या वो ऑफिस जो एक मंत्री अपनी नियुक्ति के कारण सम्भालता है उन्हें शामिल नहीं किया जाता है ।

(5) एक लिखित कानून संसद चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नोमिनेशन के निमित प्रावधान कर सकता है ।

(6) हर एक उम्मीदवार और हर एक राजनीतिक पार्टी जो उम्मीदवारों को नोमिनेट करेगा उन्हें चुनाव का कोई भी लिखित कानून का अनुपालन करना पड़ेगा ।

संसद की अवधि

58-(1) इस सेक्शन के नीचे, संसद, संसद सदस्यों के चुनाव की पहली बैठक की तारीख से 4 साल तक चलती रहेगी जब तक कि इस संविधान के अनुसार संसद जल्दी भंग न की जाए ।

(2) प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति घोषणा के द्वारा समय-समय पर संसद को सलाह के अनुसार बंद कर सकते हैं ।

(3) प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति घोषणा के द्वारा संसद को भंग कर सकते हैं लेकिन सिर्फ संसद सदस्यों के चुनाव की पहली बैठक की तारीख से 3 साल 6 महीने बीत जाने के बाद ।

चुनाव के लिए रिट्स

59-(1) प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति चुनाव के रिट्स जारी करते हैं ।

(2) चुनाव के रिट्स संसद की समाप्ति या भंग होने से घोषणा के द्वारा 7 दिनों के बीच में जारी हो जानी चाहिए ।

नॉमिनेशन की तारीख

60. चुनाव के रिट्स जारी करने के 14 दिन बाद संसद के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नोमिनेशन लेने का अंतिम दिन होगा ।

मतदान की तारीख

61. नोमिनेशन के मिलने के अंतिम दिन के बाद 30 दिन से पहले चुनाव शुरू हो जायेगा ।

संसद का जल्द भंग होना

62-(1) अगर कम से कम दो तिहाई संसद सदस्यों ने संसद भंग करने का प्रस्ताव को समर्थन दे दिया हो तो राष्ट्रपति को घोषणा कर देनी चाहिए कि संसद जल्द भंग हो गई है ।

(2) संसद भंग करने का प्रस्ताव ले जाया सकता है -

(a) केवल इस आधार पर कि सरकार के पास संसद का विश्वास नहीं है

(b) केवल विपक्ष के नेता के द्वारा; और

(c) अगर संसद ने सेक्शन 94 के आधार पर प्रधान मंत्री के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पहले अस्वीकार कर दिया हो ।

(3) इन समय के अन्दर संसद जल्द भंग करने के लिए कोई भी प्रस्ताव नहीं दिया जा सकता -

(a) 18 महीने संसद तुरन्त शुरू होने के बाद; या

(b) 6 महीने संसद के सामान्य चार साल समाप्त होने से पहले ।

संसद के सदस्य की सीट खाली

63-(1) एक संसद सदस्य का स्थान खाली हो जाता है अगर -

(a) वह मर जाता है या हस्ताक्षर किया हुआ इस्तीफा स्पीकर को देता है ;

(b) सदस्यों की सहमति से, किसी सरकारी कार्यालय (जैसे सेक्शन 57 में परिभाषित किया गया है) में पद धारण करता है;

(c) संसद चुनाव में एक रैजिस्टर्ड मतदाता होने का अधिकार समाप्त हो जाए;

(d) सेक्शन 56 के अधार पर संसद चुनाओ मे मनैनित होने का अधीकार समाप्त हो जाये ;

(e) वह एक अंडिस्चार्ड बैंकरप्ट है; या

(f) स्पीकर से अनुमति लिए बिना संसद की दो सभाओं से लगातार अनुपस्थित रहे;

(g) उस राजनीतिक पार्टी से इस्तीफा देता है जिसका संसद में चुने जाने के समय वह एक उम्मीदवार था;

(h) संसद में चुने जाने के समय जिस राजनीतिक पार्टी का वह एक उम्मीदवार था, उसके आदेश के विरूद्ध संसद में मत देता है या मत में भाग नहीं लेता है;

(i) संसद में चुने जाने के समय जिस राजनीतिक पार्टी का वह एक उम्मीदवार था, से निकाल दिया जाता है –

(i) पार्टी अनुशासन के संबंध में राजनीतिक पार्टी के नियमों के अनुसार निकाला गया है

(ii) पार्टी से निकाले जाने का संबंध उस सदस्य का एक संसदीय समिति के सदस्य के रूप में लिए गए कदम से नहीं है

(2) सब्सेक्शन (1)(g) के प्रयोजनों के लिए, संसद के सदस्य की सीट तभी खाली होती है जब राजनीतिक पार्टी के नेता और सेक्रेटरी से स्पीकर को लिखित सूचना मिलती है कि सदस्य ने राजनीतिक पार्टी से इस्तीफा दे दिया है ।

(3) सब्सेक्शन (1)(h) के प्रयोजनों के लिए, संसद के सदस्य की सीट तभी खाली होतीहै जब राजनीतिक पार्टी के नेता और सेक्रेटरी से स्पीकर को लिखित सूचना मिलती है कि सदस्य ने राजनीतिक पार्टी के आदेश के विरूद्ध संसद में मत दिया है या मत में भाग नहीं लिया है ।

(4) सब्सेक्शन (1)(i) के प्रयोजनों के लिए, संसद के सदस्य की सीट तभी खाली होतीहै जब राजनीतिक पार्टी के नेता और सेक्रेटरी से स्पीकर को लिखित सूचना मिलती है कि सदस्य को राजनीतिक पार्टी से निकाल दिया गया है ।

(5) अगर सब्सेक्शन (1) के नीचे जिस संसद सदस्य की सीट खाली होती है अपनी संसदीय सीट के खाली होने की वैधता को चुनौती देता है, तब सदस्य को, सीट के खाली होने

के सात दिनों के अन्दर, कोर्ट ऑफ अंडिस्प्यूटड रिटेर्न्स में एक घोषणा के लिए अर्जी देना होगा कि क्या उसकी सीट खाली हुई है या नहीं ।

(6) कोर्ट ऑफ अंडिस्प्यूटड रिटेर्न्स को दी गई अर्जी पर कोर्ट ऑफ अंडिस्प्यूटड रिटेर्न्स को अर्जी प्राप्त होने की तारीख से 21 दिनों के अन्दर निर्णय ले लेना चाहिए ।

(7) कोर्ट ऑफ अंडिस्प्यूटड रिटेर्न्स का निर्णय अंतिम है और उसकी अपील नहीं हो सकती है ।

(8) अगर सब्सेक्शन (1) के नीचे जिस संसद् सदस्य की सीट खाली होती है सब्सेक्शन (5) के नीचे कोर्ट ऑफ अंडिस्प्यूटड रिटेर्न्स में अर्जी डालता है, तब कोर्ट ऑफ अंडिस्प्यूटड रिटेर्न्स के निर्णय तक सदस्य को संसद् से ससपेंड माना जाएगा ।

खाली सीट को भरने के लिए दूसरा उम्मीदवार

(64)-(1) सब्सेक्शन (3) के तहत, अगर एक संसद् सदस्य जो एक पार्टी का सदस्य है और उसकी सीट खाली होती है, तब एलेक्ट्रोल कमीशन को चाहिए कि उसी पार्टी के उस उम्मीदवार को वह सीट दे जो पिछले चुनाव के समय सब उम्मीदवारों से सबसे बड़े ओहदे पर था पर चुना नहीं गया था और अभी भी सेवा के लिए उपलब्ध है (चुनाव के कानूनों द्वारा निर्धारित किया जाएगा), हालांकि अगर उसी पार्टी का पिछले चुनाव में से कोई भी उम्मीदवार नहीं है तो उस स्थान के लिए दुबारा चुनाव करना होगा ।

(2) सब्सेक्शन (3) के तहत, अगर एक संसद् सदस्य की सीट संसद् की अवधि के समय खाली हो जाती है और वह स्वतंत्र रूप से संसद् में निर्वाचित हुआ था तो उस सीट के लिए दुबारा चुनाव करना होगा ।

(3) अगर एक संसद् सदस्य का स्थान संसद् की पहली बैठक के 3 साल 6 महीने बाद खाली होती है तो वह सीट अगले चुनाव तक खाली ही रहेगी ।

सदस्यता में रिक्तियाँ

(65) सदस्यता में रिक्तियाँ होते हुए भी संसद् जारी रहेगी, और उसकी कार्यवाही में एक व्यक्ति जो सदस्य नहीं हो सकता अगर उपस्थित हो भी तो कार्यवाही अमान्य नहीं होगी ।

कोर्ट ऑफ डिस्प्यूटेड रिटर्न्स

66.-(1) हाई कोर्ट ही विवादित रिटर्न्स को सुनने और निर्णय लेने का अधिकार रखता

है –

(a) एक पेटिशन से, यह सवाल कि एक व्यक्ति क्या सही तरीके से संसद सदस्य चुना गया है ; और

(b) एक कार्यवाही द्वारा, एक अर्ज़ी से घोषणा करने के लिए कि एक संसद सदस्य की सीट खाली हो गई है ।

(2) एक व्यक्ति का संसद सदस्य के रूप में चुनाव की वैधता पर विवाद सिर्फ पेटिशन से कोर्ट ऑफ डिस्प्यूटेड रिटर्न्स द्वारा ही किया जा सकता है या नहीं ।

(3) सब्सेक्शन (1) (a) के नीचे पेटिशन –

(a) सिर्फ इनके द्वारा लाया जा सकता है –

(i) एक व्यक्ति जिस के पास संबंधित चुनाव में मत देने का अधिकार था;

(ii) एक व्यक्ति जो संबंधित चुनाव में उम्मीदवार था; या

(iii) अटॉर्नी–जनरल; और

(b) आरोपित भ्रष्ट अभ्यास को छोड़कर, चुनाव के घोषित होने के 21 दिनों के अंदर लाना चाहिए ।

(4) अगर सब्सेक्शन (1)(a) के नीचे पेटिश्नर निकालने वाला अटार्नी–जनरल नहीं है तो वह पेटिशन में हस्तक्षेप कर सकता है ।

(5) सब्सेक्शन (1)(b) के आधार पर कार्यवाही सिर्फ इनके द्वारा की जा सकती है –

(a) एक संसद सदस्य

(b) एक रैजिस्टर्ड मतदाता; या

(c) अटार्नी–जनरल ।

(6) अगर सब्सेक्शन (1)(b) के नीचे कार्यवाही करने वाला अटार्नी–जनरल नहीं है तो वह कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है ।

(7) सब्सेक्शन (5) को ध्यान में रखते हुए, सब्सेक्शन (1)(b) के तहत वह संसद सदस्य जिसकी सीट खाली है इस सेक्शन के नीचे कार्यवाहियों को नहीं ला सकता, और किसी भी सदस्य द्वारा कोई भी कार्यवाही अपनी संसदीय सीट के खाली होने की वैधता को चुनौती देने के लिए सिर्फ सेक्शन 63 के तहत कर सकता है ।

(8) कोर्ट ऑफ डिस्प्यूटेड रिटर्न्सकोर्ट को किसी पेटिशन पर उस पेटिशन को प्राप्त करने की तारीख से 21 दिनों के अन्दर निर्णय करना होगा ।

संसद के सत्र

67-(1) संसद सदस्यों के चुनाव के बाद में, राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद 14 दिनों से पहले संसद को बैठने के लिए आदेश देंगे ।

(2) पहली बैठक के एजेंडा में होगा -

(a) संसद के सेक्रेटरी जनरल की निगरानी में सदस्यों का शपथ ग्रहण करना;

(b) सेक्शन (77) के मुताबिक संसद के सेक्रेटरी जनरल की निगरानी में स्पीकर का चुनाव करना;

(c) संसद के सेक्रेटरी जनरल की निगरानी में स्पीकर का शपथ ग्रहण करना;

(d) स्पीकर की निगरानी में डिप्टी स्पीकर का चुनाव और शपथ ग्रहण करना;

(e) अगर सेक्शन 93(2) के नीचे प्रधान मंत्री ने ऑफिस को ग्रहण नहीं किया है तो सेक्शन 93(3) के अनुसार प्रधान मंत्री की नियुक्ति संसद सदस्यों द्वारा होगी और राष्ट्रपति की निगरानी में शपथ ग्रहण किया जाएगा; और

(f) सेक्शन 78 के अनुसार स्पीकर की निगरानी में विपक्ष के नेता का चुनाव होगा ।

(3) प्रधान मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति संसद की अन्य बैठकों की तारीख निर्धारित करेंगे लेकिन दो बैठकों के बीच में 6 महीनों से ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए ।

(4) अगर -

(a) संसद सत्र में नहीं है; और

(b) एक तिहाई या उस से ज़्यादा संसद सदस्यों की लिखित माँग राष्ट्रपति को मिले कि पब्लिक महत्व के विचार के लिए संसद को मिलने का आदेश दिया जाए,

राष्ट्रपति संसद को मिलने का आदेश दे सकते हैं ।

(5) अगर –

(a) संसद सत्र में है लेकिन बैठक के बीच में दो महीने बीत गए हैं; और

(b) प्रधान मंत्री या एक तिहाई या उस से ज़्यादा संसद सदस्यों की लिखित माँग स्पीकर को मिले कि पब्लिक महत्व के विचार के लिए संसद को मिलने का आदेश दिया जाए;

माँग मिलने के समय से एक सप्ताह के अन्दर स्पीकर को संसद की बैठक बुलानी चाहिए ।

(6) इस सेक्शन के आधार पर संसद की बैठक उस समय और स्थान पर होगी जैसे संसद अपने नियम और ओडर्स के अनुसार निर्णय करेगी ।

कोरम

68–(1) संसद की बैठक तब तक शुरू या जारी नहीं हो सकती जब तक कि एक तिहाई संसद सदस्य मौजूद न हो ।

(2) एक बिल पर मत नहीं किया जा सकता जब तक संसद में सदस्यों की बहुमत की मौजूदगी न हो ।

(3) अगर कोरम नहीं है तो स्पीकार को बैठक स्थगित कर देनी चाहिए ।

मतदान

69–(1) अगर किसी सवाल पर फैसले के लिए संसद में प्रस्ताव रखा जाए तो उस सवाल का निर्णय बहुमत सदस्यों की मौजूदगी और मत से होगा ।

(2) संसद में प्रस्तावित सवाल पर निर्णय –

(a) जिस व्यक्ति की निगरानी में हो रहा है वह मत न दे; और

(b) बराबरी के मत से प्रस्तावित सवाल की हार हो जाती है ।

(3) जिस व्यक्ति की निगरानी में मत हो रहा है उसको मत देने वाले सदस्यों में या कोरम के लिए नहीं गिनना चाहिए ।

समितियाँ

70. संसद के लिए अनिवार्य है कि वह अपनी नीति और आदेश के नीचे सरकार के प्रशासन की छानबीन, बिल्स और सब्ओडिनट लेजिस्लेशन की जाँच के लिए सैक्टर स्टैंडिंग समितियों की स्थापना समय-समय पर करे ।

स्टैंडिंग ऑर्डर्स

71.(1) संसद अपने संचालन और कार्यवाही ओर उसकी समितियाँ और जिस प्रकार से उनकी शक्तियों, विशेषाधिकार और इम्युनिटी उपयोग की जाती है उस के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स बना सकती है ।

(2) पहली चुनी हुई संसद इस संविधान के नीचे की पहली बैठक से पहले प्रधान मंत्री अटार्नी जनरल के साथ परामर्श कर के संसद की स्टैंडिंग ओर्डर्स को तैयार कर के राजपत्र में छाप दे ताकि संसद अपनी पहली बैठक के तुरंत बाद उसे स्वीकार कर ले ।

पेटिशन्स, पब्लिक एक्सेस और भागीदारी

72-(1) संसद के लिए अनिवार्य है -

(a) अपना संचालन खुले रूप से करे और अपनी समितियों की बैठक पब्लक में करे; और

(b) संसद और समितियों के लेजिस्लेटिव और अन्य कार्यों में पब्लिक की भागीदारी की सुविधा करे ।

(2) संसद और उसकी समितियाँ, पब्लिक और किसी भी मीडिया को किसी भी बैठक से बेदखल नहीं कर सकती जब तक कि कोई विशेष और उचित कारण से स्पीकर यह आदेश न दे कि पब्लिक को बाहर रखा जाए ।

शक्तियाँ, विशेषाधिकार, इम्युनिटी और अनुशासन

73-(1) संसद के हर सदस्य और जो कोई भी संसद में बोलता है, उसके पास है -

(a) स्टैंडिंग ओर्डर्स के अतिरिक्त संसद या उसकी समितियों में भाषण और बहस की स्वतंत्रता; और

(b) संसद या उसकी समितियों में कुछ भी कहने का विशेषाधिकार और इम्युनिटी ।

(2) संसद, संसद सदस्यों के लिए उनकी शक्तियाँ, विशेषाधिकार और इम्युनिटी लिख सकती है और उनके अनुशासन के लिए नियम और आदेश बना सकती है ।

सबूत के लिए बुलाने की शक्ति

74-(1) संसद और उसकी समितियाँ किसी भी व्यक्ति को सबूत और जानकारी देने के लिए बुला सकती है ।

(2) सेक्शन (1) के लिए संसद और उसकी समितियों के पास हाई कोर्ट के बराबर शक्ति है कि -

(a) गवाहों की हाज़री लागू करे और शपथ या प्रतिज्ञा के तहत उनकी जाँच करे; और

(b) कार्यवाहियों की ज़रूरत के लिए दस्तावेज़ और अन्य सामग्रियाँ या जानकारी को पेश करने के लिए मजबूर करे ।

पार्ट C–इंस्टिट्यूशन्स और ऑफिसस

इलेक्टोरल कमीशन

75-(1) स्टेट सर्विसस डिक्री 2009 के नीचे स्थापित एलेक्टोराल कमीशन अस्तित्व में जारी है ।

(2) एलेक्ट्रोल कमीशन की यह जिम्मेदारी है कि चुनाव के लिखित कानून और अन्य प्रासंगिक कानून के अनुसार मतदाताओं के रेजिस्ट्रेशन और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करे और खासकर के -

(a) नागरिकों के मतदाताओं के रूप में रेजिस्ट्रेशन करे और मतदाता रेजिस्टर का नियमित रूप से संशोधन करे;

(b) मतदाताओं की शिक्षा;

(c) संसद के उम्मीदवारों को रेजिस्टर करे ;

(d) चुनाव विवादों का निपटाव करे, विवाद नोमिनेशन से या उससे जुड़ी हुई बातें लेकिन चुनाव पेटिशन और चुनाव के नतीजे की घोषणा के बाद के विवाद को छोड़कर; और

(e) लिखित कानून से चुनाव और राजनीतिक पार्टी की निगरानी और मॉनिट्रिंग लागू करे ।

(3) एलेक्ट्रोल कमीशन को ऐसे और कार्य इस संविधान और लिखित कानून से प्रदत्त होंगे ।

(4) एलेक्ट्रोल कमीशन के लिए यह अनिवार्य है कि वह सालाना रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे और संसद को उसकी कोपी दे ।

(5) एलेक्ट्रोल कमीशन ऐसी रिपोर्ट राष्ट्रपति और संसद के लिए जब भी ठीक समझे बना सकती है ।

(6) एलेक्ट्रोल कमीशन में एक अध्यक्ष जो जज बनने के योग्य है और 6 सदस्य शामिल है ।

(7) एलेक्ट्रोल कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा संवैधानिक ऑफिसस कमीशन की सलाह पर नियुक्त किए जाएंगे ।

(8) एक व्यक्ति सदस्य नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं है अगर –

(a) संसद सदस्य है;

(b) सरकारी ऑफिस का पदाधिकारी है (जज के ऑफिस को छोड़कर);

(c) स्थानीय प्राधिकरण का सदस्य है;

(d) संसदीय चुनाव के लिए उम्मीदवार है;

सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शन्स

76-(1) स्टेट सर्विसस डिक्री 2009 के नीचे स्थापित चुनाव के सूपरवाइज़र का ऑफिस अस्तित्व में जारी है ।

(2) एलेक्ट्रोल कमीशन की अगवाई के नीचे चुनाव के सूपरवाइज़र –

(a) मतदाताओं को संसदीय चुनाव के लिए रेजिस्टर करे ;

(b) आयोजित करे –

(i) संसद सदस्यों का चुनाव ; और

(ii) अन्य चुनाव जिसकी संसद आज्ञा दे ;

(c) ओर कोई कार्य कर सकती है जो लिखित कानून बताए ।

(3) चुनाव के सूपरवाइज़र को अपने कार्य के लिए कमीशन के दिए हुए दिशा-निर्देश का पालन करना पड़ेगा ।

(4) चुनाव के सूपरवाइज़र की नियुक्ति राष्ट्रपति संवैधानिक ऑफिसस कमीशन की सलाह पर करते हैं जो पहले एलेक्ट्रोरल कमीशन से परामर्श कर लेते हैं ।

संसद के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर

77-(1) अपनी पहली बैठक या जब भी जरूरत हो स्थान को भरने के लिए संसद को बहुमत से चुनना चाहिए –

(a) एक स्पीकर जो संसद सदस्य ना हो लेकिन संसद सदस्य बनने के लिए चुनाव में खड़े होने का योग्य हो ; और

(b) एक डिप्टी स्पीकर जो संसद सदस्यों में से हो (मंत्री को छोड़कर)

(2) स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अनुसूची में निर्धारित शपथ या प्रतिज्ञा को संसद के सेक्रेटरी जनरल की निगरानी में लेते हुए ऑफिस को ग्रहण करते हैं ।

(3) संसद की सभी बैठकें स्पीकर की अध्यक्षता में होगी ।

(4) डिप्टी स्पीकर, स्पीकर के सभी कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं अगर स्पीकर ऑफिस से या फीजी से अनुपस्थित है, या किसी और कारण से अपना कार्य नहीं कर सकते ।

(5) अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, स्पीकर के कर्तव्यों को नहीं कर सकते तो संसद सदस्यों को अपने सदस्यों में से एक का चुनाव करना होगा जो संसद की बैठक की अध्यक्षता करे ।

(6) स्पीकर और डिप्टी स्पीकर या कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अध्यक्षता करते हुए स्पीकर के कार्यों को प्रदर्शित करते हुए –

(a) स्वतंत्र है और सिर्फ इस संविधान और लिखित कानून के अधीन है ;

(b) संसद के सम्मान और गरिमा के लिए सेवा करे ;

(c) सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी –

(i) सभी सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार ; और

(ii) संसद और उसकी समितियों की कार्यवाही की सार्वजनिक उपलब्धि

(d) अधिकार है कि स्टैंडिंग ओर्डर्स और संसद परंपराओं के अनुसार संसद के मान और मर्यादा को जारी रखे ; और

(e) बिना डर, पक्ष या पूर्वाग्रह के कार्य करे ।

(7) स्पीकर का ऑफिस खाली हो जाता है –

(a) चुनाव के बाद संसद के पहले दिन की बैठक से तुरंत पहले ; या

(b) अगर स्पीकर उस दिन से पहले –

(i) राष्ट्रपति को इस्तीफा पत्र द्वारा अपना इस्तीफा दे ;

(ii) किसी और सरकारी ऑफिस की पदवी लेले ;

(iii) संसद के चुनाव में एक रैजिस्टर्ड मतदाता का हक खत्म हो जाए

(iv) संसद की दो बैठकों में से लगातार अनुपस्थित हो ; या

(v) दो तिहाई या उस से ज़्यादा संसद सदस्य ऑफिस से निकलने के प्रस्ताव को समर्थन दे ।

(8) डिप्टी स्पीकर का ऑफिस खाली हो जाता है –

(i) स्पीकर को इस्तीफा पत्र द्वारा अपना इस्तीफा दे ;

(ii) संसद सदस्य का अपना स्थान छोड़ दे ;

(iii) एक मंत्री नियुक्त हो जाए ;

(iv) दो तिहाई या उस से ज़्यादा संसद सदस्य ऑफिस से निकलने के प्रस्ताव को समर्थन दे ।

विपक्ष का नेता

78-(1) संसद सदस्य जो -

(a) प्रधान मंत्री की राजनीतिक पार्टी का सदस्य न हो और विपक्ष पार्टी का या उनकी गठबंधन पार्टी का सदस्य हो ;

(b) कोई भी पार्टी जो प्रधान मंत्री की पार्टी के साथ गठबंधन में हो या समर्थन देता हो उनका सदस्य ना हो; या

(c) स्वतंत्र उम्मीदवार जो प्रधान मंत्री को समर्थन न देता हो ;

इस सेक्शन के आधार पर एक व्यक्ति को अपने बीच में से चुनाव द्वारा चुने जो विपक्ष का नेता होगा ।

(2) चुनाव के बाद संसद की पहली बैठक में, स्पीकर उन सदस्यों से जो सब्सेक्शन (1) में उल्लेख किए गए हैं उनसे नोमिनेशन माँगे और अगर एक ही व्यक्ति का नोमिनेशन और सहमति होती है तो स्पीकर उस को विपक्ष का नेता घोषित कर देगा लेकिन अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति का नोमिनेशन मिले और सहमति होती है तो स्पीकर को इन तरीकों से चुनाव कराना चाहिए -

(a) अगर पहले मतदान के बाद पद के उम्मीदवार को संसद सदस्यों जो सब्सेक्शन (1) में उल्लेख किए गए हैं उनकी बहुमति मिले तो स्पीकर उस को विपक्ष का नेता घोषित कर देगा ; और

(b) अगर कोई भी पद के उम्मीदवार को पहले मतदान संसद सदस्यों जो सब्सेक्शन (1) में उल्लेख किए गए हैं उनकी बहुमति ना मिले तो पहले मतदान के चौबीस घंटे के अंदर दूसरा मतदान होना चाहिए और जिस पद के उम्मीदवार को संसद सदस्यों जो सब्सेक्शन (1) में उल्लेख किए गए हैं उनकी बहुमति मिले तो स्पीकर उस को विपक्ष का नेता घोषित कर देगा ।

(3) अगर सब्सेक्शन (2) के नीचे मतदान के बाद कोई भी व्यक्ति को संसद सदस्यों जो सब्सेक्शन (1) में उल्लेख किए गए हैं उनकी बहुमति ना मिले तो विपक्ष के नेता का स्थान उस

समय तक खाली रहेगा जब तक बहुमत संसद सदस्यों जो सब्सेक्शन (1) में उल्लेख किए गए हैं स्पीकर के पास लिख कर उन से अनुरोध करे कि सब्सेक्शन (2) के दिए गए आधार पर विपक्ष के नेता के चुनाव के लिए ताज़ा नोमिनेशन बुलाए ।

(4) अगर बहुमत संसद सदस्यों जो सब्सेक्शन (1) में उल्लेख किए गए हैं ये विचार करते हैं कि जो व्यक्ति विपक्ष का नेता है वह विपक्ष के नेता के स्थान पर नहीं रहे तो वह स्पीकर को अपने विचार के बारे में बता कर संसद सदस्यों जो सब्सेक्शन (1) में उल्लेख किए गए हैं उनमें से सब्सेक्शन (2) के दिए गए आधार पर दूसरे विपक्ष के नेता का चुनाव कर सकते हैं ।

(5) संसद के अंत या भंग होने तक विपक्ष का नेता अगले प्रधान मंत्री की नियुक्ति तक ऑफिस में ही रहेंगे ।

(6) अगर इस सेक्शन के आधार पर कोई भी विपक्ष के नेता का चुनाव नहीं हुआ तो इस संविधान में जो कार्य विपक्ष के नेता को प्रावधान दी गई है जिसमें सलाहा, नोमिनेशन या परामर्श शामिल है का कोई असर नही होगा और इस सविधान के प्रावधानो के निचे एक एप्पोइंटमेंट या कोई भी कार्य विपक्ष के नेता के जिकर के बिना ही की जायेगी ।

संसद के सेक्रेटरी-जनरल

79-(1) यह सेकशण संसद के सेक्रेटरी जनरल कि ऑफिस की स्थापना करती है ।

(2) संवैधानिक कमिशन ऑफिस के सलाह पर राष्ट्रपति संसद के सचिव कि नियुक्ती करते हैं ।

(3) संसद के सेक्रेटरी जनरल का औधा पेरमानेंट सेक्रटरी के बराब्री कि है और वह स्पीकर के लिये ये जिम्मेदारी देखे कि संसद कुशल, प्रभावी और किफायती रूप से चल रही है ।

(4) संसद के सेक्रेटरी जनरल स्पीकर और सभी संसद सदस्यो और कमेटीयो के मुख्य प्रक्रियातमक सलहाकार है ।

(5) संसद के सेक्रेटरी जनरल सभी कार्य जो संसद के स्टैंडिंग ओर्देर्स से उन के उपर लागू होता है के जिम्मेदार है ।

(6) संसद के सेक्रेटरी जनरल अपने कार्य को करते समय या अपने प्रधिकरण को इस्तामाल करते समय स्वतंत्र रहेगे और किसी भी व्यक्ति या अथॉरिटी के दिशा या नियंत्रण के अधीन मे नही होगे सिर्फ स्पीकर, एक कानून की कोर्ट या लिखित कानून को छोड कर ।

(7) संसद के सेक्रेटरी जनरल के पास एपपोइंट, हटाने की और संसद के सभी कर्मचारियो की अनुशासन (प्रशासनिक कर्मचारि भी) की प्राधिकरण है ।

(8) संसद के सेक्रेटरी जनरल के पास ये प्रधिकरण है कि सभी मामलो पर संसद के सभी कर्मचारियो जो काम करते है उन के लिये निर्धार करे –

(a) नौकरी के नियम और शर्ते ;

(b) नियुक्ति के लिये योग्यता की ज़रूरत और नियुक्ति के लिये ऐसा प्रक्रिया की अनुवर्ती करे जो खुली , परदशी और प्रतिस्पर्धी हो ;

(c) संसद की स्वीकृनी किया हुवा बजट के मुताबिक वेतन, लाभ और अल्लोवंळेस दे ; और

(d) संसद मे स्वीकृनी किय हुवा बजट के मुताबिक पुरे संगठन मे कर्मचारियो को एप्पोइंट करे ज़रूरत के मुताबिक ।

(9) संसद के सेक्रेटरी जनरल और हर एक संसद के कर्मचारियो की वेतन, लाभ और अल्लोवंळेस जो दिया जायेगा उस को कोंसोलीडटेड .फंड पे चाज किया जायेगा ।

(10) संसद, संसद के सेक्रेटरी जनरल के लिये ये सुनिश्चित करे कि उन्हे पर्याप्त अनुदान और संसाधन कि प्रप्ती हो जिस से वह अपनी शक्तियो की इस्तमाल, और संसद के सेक्रेटरी जनरल के कार्य और जिन्नेदारियो को निभाये ।

रिम्यूनरेशन

80. रेमूनेरतिओम जिस मे वेतन अल्लोवंळेस और लाभ जो राष्ट्रपति,प्रधानमंत्री,और मंत्रीयो, विपक्ष का नेता, संसद के स्पीकर और डेप्युटी स्पीकर और संसद सदसयो को जो देय मिलेगा वह लिखित कनून से निर्धारित किया जायेगा ओर किसी भी तरह से उन के हानी के लिये बदला नही जयेगा, जब तक कि राज्य के सारे अधिकारियो के वेतन मे घटाओ नही अयेगा ।

चैप्टर 4–एग्जीक्यूटिव

पार्ट A–राष्ट्रपति

फीजी का राष्ट्रपति

81–(1) यह सेकशण राष्ट्रपति के ऑफिस की स्थापना करता है ।

(2) राष्ट्रपति राज्य के प्रमुक है और राज्य की एक्सिकिटिव अथॉरिटी उन मे निहित है ।

(3) राष्ट्रपति फीजी मिलिटरी फोस के सेनापती के रूप मे औपचारिक कार्य और जिममेदारियो को करेगें ।

(4) साल मे एक बार राष्ट्रपति संसद् को एक भाषण मे सरकार की नितियाँ और अयोजनो के बरे मे बतायगे ।

राष्ट्रपति सलाह पर कार्य करता है

82. अपने शक्तियाँ और कार्यकारी अधिकारी को इस्तमल करने मे राष्ट्रपति सिर्फ कैबिनेट या एक मंत्री या तो कोई बोडी या अथॉरिटी जिस को यह सविधान ने इस कार्य के लिये कि वह बोडी या अथॉरिटी जिस के सलाह पे राष्ट्रपति अधिनियम करें, उन के सलाह पर अधिनियम करते है ।

नियुक्ति की योग्यता

83–(1) राष्ट्रपति के ऑफिस के लिये उम्मीदवारो को चाहिये कि –

(a) ऐसा व्यक्ति जिस के पास किसी पहलु में एक प्रतिष्ठित कैरियर चाहे देसी या विदेसी रहा हो, चाहे सरकारी या प्राइवेट क्षेत्र में ;

(b) उस के पास सिर्फ फीजीयन नागरिता हो ;

(c) किसी राजनितिक पार्टी का सदस्ये या उन के ऑफिस मे किसी पदवी पे ना हो ;

(d) कोई सरकारी ऑफिस मे किसी पदवी पे ना हो ;

(e) राज्य के किसी ऑफिस की चुनाव मे उम्मीदवार न हो ; और

(f) नोमिनेट होने से तुरन्त 6 वर्ष पहेले तक किसी अपराध के लिये कारावास नही हुवा हो ।

(2) एक व्येक्ति जो सरकारी ऑफिस मे नियुक्त हे उसे राष्ट्रपति की नोमिनैश्न स्वीकार करते समये इस्तीफा नही देनी पडेगी लेकिन राष्ट्रपति एप्पोइंट होते ही उस का उस ऑफिस से इस्तीफा लागू हो जायेगी ।

(3) इस सेक्शण मे ऐसा कुच्च भी नही है जो राष्ट्रपति को एप्पोइंटमेंट के बाद कोई भी लिखित कानून के अधार पर सरकारी ऑफिस मे पद धारण करने से रोकती है ।

राष्ट्रपति की नियुक्ति

84-(1) संसद राष्ट्रपति की एप्पोइंटमेंट करेगी ।

(2) जब भी राष्ट्रपति की ऑफिस मे रिक्ति होगी तब प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता स्पीकर के पस एक एक नाम नोमिनेट करेगें जो दोनो नामो को संसद मे संसद सदस्यो के बिच मे चुनाव के लिये रखेगें ।

(3) जिस व्येक्ति को संसद सदस्यो की बहुमाती प्रप्त हो असे राष्ट्रपति एप्पोइंट कर दिया जायेगा ओर स्पीकर राष्ट्रपति का नाम सार्वजनिक रूप से घोसित करेगे ।

(4) अगर दोनो मनोनीत व्येक्ति को बराबर मत मिलता हे तो स्पीकर 24 घंटे बाद दुबारा चुनाव कराये और जब तक एक व्येक्ति जो राष्ट्रपति के लिये मनोनीत है को संसद सदस्यो की बहुमाती प्रप्त न हो तब तक चुनाव चलता रहेगा ; हलाकि अगर तिन बार चुनाव के बाद किसी को भी संसद सदस्यो की बहुमाती प्रपत न हो तो स्पीकर ये घोसना कर देगे कि प्रधानमंत्री ने जिस को मनोनीत किया था उसे संसद ने राष्ट्रपति एप्पोइंट करदी है ।

(5) अगर प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता एक ही व्येक्ति का नाम नोमिनेट करते है तो चुनाव नही होगी और स्पीकर ये घोसना कर देगे कि वह व्येकित राष्ट्रपति एप्पोइंट हो गया है ।

ऑफिस की अवधि और रिम्यूनरेशन

85(1) राष्ट्रपति ऑफिस को 3 साल तक समहल सकते है ओर फीर एक अवधि जो तिन साल का हे के लिये री-एप्पोइंटमेंट के पात्र है लेकिन उस के बाद फिर री-एप्पोइंटमेंट के पात्र नही है ।

(2) सबसेक्शण (1) के लिये, यह विचार करने मे कि एक व्येक्ति एप्पोइंटमेंट या री-एप्पोइंटमेंट के पात्र है या नही इस सविधान के सुरू होने से पहेले की समय को धयान मे रखा जायेगा ।

(3) सेक्शण (80) के निचे लिखे कनून के अनुसार राष्ट्रपति को रेमूनेरतिओम, अल्लोवंळेस और लाभ मिलेगी ।

ऑफिस की शपथ

86. ऑफिस को लेने से पहेले राष्ट्रपति चिफ जसटिस के समने पब्लिक समहारो मे अनुसूची के मुताबिक शपथ लेगे ।

इस्तीफा

87. राष्ट्रपति एक लिखित इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज कर अपने ऑफिस से इस्तीफा दे सकते है ।

राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में चीफ जस्टिस उनका कार्य करेगा

88. अगर राष्ट्रपति शुल्क से या फीजी से अनुपस्थित है या किसी करण से राष्ट्रपति के कार्य को नही कर सकते है या राष्ट्रपति के ऑफिस किसी करण से खली हो जये तो चिफ जसटिस राष्ट्रपति के ऑफिस के कार्य को करेगे।

ऑफिस से हटाया जाना

89-(1) राष्ट्रपति को ऑफिस के काम करने मे अस्मरथ होने के कारन ऑफिस से हटाया जा सकता है (शरिरिक , मनसिक या किसी और करन से उत्पन्न होने वाली दुर्बलता) या बदसलूकी के लिये, अन्येथा नही हटाये जा सकते ।

(2) राष्ट्रपति को ऑफिस से सिर्फ इस सेक्शण के अधार पर हटाया जा सकता है ।

(3) अगर प्रधानमंत्री के विचार मे राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाने की सवाल कि जांच कि जानी चाहिये तो -

(a) प्रधानमंत्री चिफ जसटिस को अनुरोध करे कि वो स्थापित करे -

(i) बदसलूकी के माम्ले मे - एक ट्रिब्यूनल जिस मे एक चाइर्पर्सोन और दो सदसये जिन मे दोनो चहे जज हो या बन्ने का योग्य हो ; या

(ii) अगर कथित रूप से ऑफिस के काम करने मे अस्मरथ है तो – एक मेटिकल बोर्ड जिस मे एक चाइर्पेर्सोन और दो सदसय जो योग्य चिकित्सा व्यवसायी हो ,

और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अनुरोध कि सुचना देगें ।

(b) चिफ जर्सटिस जिस को अनुरोध पे करवाही करनी पढेगी, एक ट्रिब्यूनल या एक मेटिकल बोड जिस की भी ज़रूरत होगी की सुरूवात करेगे ; और

(c) ट्रिब्यूनल या मेटिकल बोड ममले की छानबिन करके चिफ जर्सटिस को एक लिखित रिपोट और सलाह कि राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जाये या नही देगे जो रिपोट वो प्रधानमंत्री को देगे ।

(4) प्रधानमंत्री ये निर्णय लेने मे कि राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जाये या नही को ट्रिब्यूनल या मेटिकल बोड जैसा भी हो के सलाह की अनुसार ही चलना चाहिये ।

(5) सबसेक्शण (3)(a) के निचे जिस दिन से राष्ट्रपति को अधिसूचना मिलती है के सुरूअत से और सबसेक्शण (4) के निचे जिस दिन निर्णय बन्ती है तक राष्ट्रपति अपने ऑफिस के कार्य नही कर सकते है ।

(6) प्रधानमंत्री को चहे ट्रिब्यूनल या मेटिकल बोड की रिपोट संसद मे रखनी चाहिये ।

पार्ट B–मंत्रिमंडल

जिम्मेदार सरकार

90. सरकार को संसद की भरोसा होनी चाहिये ।

मंत्रिमंडल

91–(1) संसद मे प्रधानमंत्री चाइर्पेर्सोन के रूप मे और अन्ये मंत्री जिन्को प्रधानमंत्री नियुक्त करते है रहते है ।

(2) मंत्रिमंडल के सदस्ये व्यक्तिगत से और सामूहिक रूप से अपने शक्ति के उपयोग और अपने कर्यो के प्रदर्शन के लिये संसद को जवाब देही है ।

(3) एक मंत्री संसद या संसद समिति के समने अना चाहिय और अपने जिम्मेदारी से जुडा हुआ कोई भी सवाल का जवाब दे जब ज़रूरत पडे ।

(4) मंत्रीमंडल के सदस्ये संसद को अपनी जिम्मेदारीयो की पुरी और नियमित रूप से रिपोर्ट देनी चाहिये ।

(5) मंत्रीमंडल इस सविधान की कोई भी विशये की व्याख्या या आवेदन के लिये सुप्रीम कोर्ट की राय मगं सकती है ।

प्रधान मंत्री का ऑफिस

92-(1) प्रधान मंत्री सरकार का मुखिया है ।

(2) प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को फीजी के शासन के बारे मे जानकारी देते रहेगें ।

(3) प्रधानमंत्री -

(a) समय समय पर प्रधानमंत्री जैसा निर्धारित सम्झते है मंत्रीयो को शीर्षक विभागो और जिम्मेदारीयो से एप्पोइंट करते है ;

(b) मंत्रीयो को खरिज करते है ; और

(c) राजपत्र मे नोटिस प्रकाशित कर के कोई मंत्री या अपने आप को सरकार के निर्दिष्ट भाग के भागद्वोड की जिम्मेदारी जिसमे पब्लिक सर्विस की विभाग या विभागे या अनुशसित सेना की जिम्मेदारी और सामान्य दिशा और नियंत्रण को सोपे और हर अक्ट की कार्यान्वयन और प्रशासन की जिम्मेदारी ले ; हलाकि सरकार की जो विभाग किसी को नही सोपा गया है वह प्रधानमंत्री के पास रहेगी ।

(4) प्रधानमंत्री एक मंत्री को एप्पोइंट करेगे जो अगर प्रधानमंत्री टुति से या फीजी से अनुपस्थित है या किसी करण से प्रधानमंत्री के कार्य को नही कर सकते है तो वह प्रधानमंत्री के ऑफिस मे अधिनियम करेगे और ये राजपत्र मे प्रकाशित होनी चाहिये ।

प्रधान मंत्री की नियुक्ति

93-(1) प्रधानमंत्री संसद सदस्ये होना चाहिये ।

(2) चुनाव के बाद मे वह सदस्ये जो संसद मे चुने गये है और उस राजनीतिग पार्टी के नेता है जिस ने पचास प्रतिशत से ज़्यादा सिट संसद मे जिते है राष्ट्रपति के सामने अनुसूची के मुताबिक प्रधानमंत्री कि निष्ठा और ऑफिस का शपथ या प्रतिज्ञान लेता है (जो राष्ट्रपति को ही करवाना पडेगा) ।

(3) चुनाव के बाद मे अगर कोई एक राजनीतिक पार्टी पचास प्रतिशत से ज़्यादा सिट संसद मे नही जिती है तब संसद की पहेले बैठक मे स्पीकर संसद सदसयो से नोमिनैश्न मगेगे और अगर एक ही व्यक्ति को नोमिनैश्न और सहमत मिलती है तो वह राष्ट्रपति के समने अनुसूची के मुताबिक प्रधानमंत्री कि निष्ठा और ऑफिस का शपथ या प्रतिज्ञान लेता है (जो राष्ट्रपति को ही करवाना पडेगा)लेकिन अगर एक नाम से ज़्यादा की नोमिनैश्न और सहमत मिलती है तो स्पीकर को इस नरह से चुनाव करना पडेगा –

(a) अगर पहेले चुनाव के बाद जो व्यक्ति नोमिनेट हुआ था उस को पचास प्रतिशत से ज़्यादा संसद सदसयो का सहमत है तो वह राष्ट्रपति के समने अनुसूची के मुताबिक प्रधानमंत्री कि निष्ठा और ऑफिस का शपथ या प्रतिज्ञान लेता है (जो राष्ट्रपति को ही करवाना पडेगा);

(b) अगर पहेले चुनाव के बाद कोई भी व्यक्ति जो नोमिनेट हुवे थे उन को पचास प्रतिशत संसद सदसयो की सहमत नही मिलती है तो 24 घटें के अदंर दुसरा मतदान होनी चाहिये और अगर दुसरे मतदान के बाद जो व्यक्ति नोमिनेट हुआ था उस को पचास प्रतिशत से ज़्यादा संसद सदसयो का सहमत है तो वह राष्ट्रपति के समने अनुसूची के मुताबिक प्रधानमंत्री कि निष्ठा और ऑफिस का शपथ या प्रतिज्ञान लेता है (जो राष्ट्रपति को ही करवाना पडेगा);

(c) अगर दुसरे चुनाव के बाद कोई भी व्यक्ति जो नोमिनेट हुवे थे उन को पचास प्रतिशत संसद सदसयो की सहमत नही मिलती है तो चौबिस घटे के अदंर तिसरा मतदान होनी चाहिये और अगर तिसरे मतदान के बाद जो व्यक्ति नोमिनेट हुआ था उस को पचास प्रतिशत से ज़्यादा संसद सदसयो का सहमत है तो वह राष्ट्रपति के समने अनुसूची के मुताबिक प्रधानमंत्री कि निष्ठा और ऑफिस का शपथ या प्रतिज्ञान लेता है (जो राष्ट्रपति को ही करवाना पडेगा);

(d) अगर तिसरे चुनाव के बाद कोई भी व्यक्ति जो नोमिनेट हुवे थे उन को पचास प्रतिशत संसद सदसयो की सहमत नही मिलती है तो स्पीकर राष्ट्रपति को लिखित मे सुचित करे कि संसद प्रधानमंत्री कि एप्पोइंटमेंट नही कर पा रही है और राष्ट्रपति 24 घटे के अनदर संसद को भंग करके इस सविधान के मुताविक चुनीव की वृत निकालेगे ।

(4) एक रक्ति निकलती है अगर प्रधानमंत्री –

(a) राष्ट्रपति के पास लिख कर इस्तीफा देते है ;

(b) संसद सदस्ये नही है या सदस्ये बन्ने की योग्ये नही है ; या

(c) उन कि देहान्त हो जाये ।

(5) सबसेक्शण (4) के निचे अगर प्रधानमंत्री के ऑफिस मे रिक्ति हुई तो स्पीकर तुरतं संसद को बुलायगे और संसद सदसयो से प्रधानमंत्री के ऑफिस के लिये नोमिनैश्न मगेगे और अगर एक ही व्यक्ति को नोमिनैश्न और सहमत मिलती है तो वह राष्ट्रपति के समने अनुसूची के मुताबिक प्रधानमंत्री होने का शपथ लेगा (जो राष्ट्रपति को ही करवाना पडेगा)लेकिन अगर एक नाम से ज़्यादा को नोमिनैश्न और सहमत मिलती है तो स्पीकर को इस तरह से चुनाव करना पडेगा –

(a) अगर पहेले चुनाव के बाद जो व्यक्ति नोमिनैश्न हुआ था उस को पचास प्रतिशत से ज़्यादा संसद सदसयो का सहमत है तो वह राष्ट्रपति के समने अनुसूची के मुताबिक प्रधानमंत्री होने का शपथ लेता है(जो राष्ट्रपति को ही करवाना पडेगा);

(b) अगर पहेले चुनाव के बाद कोई भी व्यक्ति जो नोमिनैश्न हुवे थे उन को पचास प्रतिशत संसद सदसयो की सहमत नही मिलती है तो चौबिस घटें के अदंर दुसरा मतदान होनी चाहिये और अगर दुसरे मतदान के बाद जो व्यक्ति नोमिनैश्न हुआ था उस को पचास प्रतिशत से ज़्यादा संसद सदसयो का सहमत है तो वह राष्ट्रपति के समने अनुसूची के मुताबिक प्रधानमंत्री होने का शपथ लेता है (जो राष्ट्रपति को ही करवाना पडेगा);

(c) अगर दुसरे चुनाव के बाद कोई भी व्यक्ति जो नोमिनैश्न हुवे थे उन को पचास प्रतिशत संसद सदसयो की सहमत नही मिलती है तो चौबिस घटे के अदंर तिसरा मतदान होनी चाहिये और अगर तिसरे मतदान के बाद जो व्यक्ति नोमिनैश्न हुआ था उस को पचास प्रतिशत से ज़्यादा संसद सदसयो का सहमत है तो वह राष्ट्रपति के समने अनुसूची के मुताबिक प्रधानमंत्री होने का शपथ लेता है (जो राष्ट्रपति को ही करवाना पडेगा);

(d) अगर तिसरे चुनाव के बाद कोई भी व्यक्ति जो नोमिनेट हुवे थे उन को पचास प्रतिशत संसद सदसयो की सहमत नही मिलती है तो स्पीकर राष्ट्रपति को लिखित मे सुचित करे कि संसद प्रधानमंत्री कि एप्पोइंटमेंट नही कर पा रही है और राष्ट्रपति 24 घटे के अनदर संसद को भंग करके इस सविधान के मुताविक चुनीव की वृत निकालेगे ।

(4) एक रक्ति निकलती है अगर प्रधानमंत्री –

(a) राष्ट्रपति के पास लिख कर इस्तीफा देते है ;

(b) संसद सदस्ये नही है या सदस्ये बन्ने की योग्ये नही है ; या

(c) उन कि देहान्त हो जाये ।

(5) सबसेक्शण (4) के निचे अगर प्रधानमंत्री के ऑफिस मे रिक्ति हुई तो स्पीकर तुरतं संसद को बुलायगे और संसद सदसयो से प्रधानमंत्री के ऑफिस के लिये नोमिनैश्न मगेगे और अगर एक ही व्यक्ति को नोमिनैश्न और सहमत मिलती है तो वह राष्ट्रपति के समने अनुसूची के मुताबिक प्रधानमंत्री होने का शपथ लेगा (जो राष्ट्रपति को ही करवाना पडेगा)लेकिन अगर एक नाम से ज़्यादा को नोमिनैश्न और सहमत मिलती है तो स्पीकर को इस तरह से चुनाव करना पडेगा –

(a) अगर पहेले चुनाव के बाद जो व्यक्ति नोमिनैश्न हुआ था उस को पचास प्रतिशत से ज़्यादा संसद सदसयो का सहमत है तो वह राष्ट्रपति के समने अनुसूची के मुताबिक प्रधानमंत्री होने का शपथ लेता है(जो राष्ट्रपति को ही करवाना पडेगा);

(b) अगर पहेले चुनाव के बाद कोई भी व्यक्ति जो नोमिनैश्न हुवे थे उन को पचास प्रतिशत संसद सदसयो की सहमत नही मिलती है तो चौबिस घटें के अदंर दुसरा मतदान होनी चाहिये और अगर दुसरे मतदान के बाद जो व्यक्ति नोमिनैश्न हुआ था उस को पचास प्रतिशत से ज़्यादा संसद सदसयो का सहमत है तो वह राष्ट्रपति के समने अनुसूची के मुताबिक प्रधानमंत्री होने का शपथ लेता है (जो राष्ट्रपति को ही करवाना पडेगा);

(c) अगर दुसरे चुनाव के बाद कोई भी व्यक्ति जो नोमिनैश्न हुवे थे उन को पचास प्रतिशत संसद सदसयो की सहमत नही मिलती है तो चौबिस घटे के अदंर तिसरा मतदान होनी चाहिये और अगर तिसरे मतदान के बाद जो व्यक्ति नोमिनैश्न हुआ था उस को पचास प्रतिशत से ज़्यादा संसद सदसयो का सहमत है तो वह राष्ट्रपति के समने अनुसूची के मुताबिक प्रधानमंत्री होने का शपथ लेता है (जो राष्ट्रपति को ही करवाना पडेगा);

(d) अगर तीसरे वोट के बाद, किसी व्यक्ति को 50% से ज्यादा संसद सदस्यों का समर्थन प्राप्त नहीं होगा, स्पीकर लिखित रूप में राष्ट्रपति को सूचित करेंगे कि संसद प्रधान मंत्री की नियुक्ति नहीं कर पा रही है, और राष्ट्रपति, सूचना प्राप्त

करने पर 24 घंटों के अन्दर, संसद् को भंग करेंगे और इस सविधान के मुताबिकचु नाव करवाने के लिए रिट जारी करेंगे ।

(6) प्रधान मंत्री संसद् की पूरी अवधि तक सेवा प्रदान करेंगे और किसी प्रकार से डिस्मिसन हीं होंगे, जब तक कि सेक्शन (94) के तहत अविश्वास के प्रस्ताव के वोट से डिस्मिस नहीं होंगे।

(7) प्रधान मंत्री और अन्य मंत्री तब तक ऑफिस में रहेंगे जब तक कि दूसरा प्रधान मंत्रीइ स सेक्शन के मुताबिक हुए चुनाव के बाद् प्रधान मंत्री ऑफिस को संभालेंगे ।

अविश्वास का प्रस्ताव

94.-(1) प्रधान मंत्री सिर्फ अविश्वास के प्रस्ताव के कारण ही डिस्मिस होंगे, और इस प्रस्ताव में प्रधान मंत्री पद् के लिए किसी दूसरे संसद् सदस्य का नाम भी होगा ।

(2) अविश्वास के प्रस्ताव पर 24 घटों के अन्दर वोट होगा ।

(3) अविश्वास का प्रस्ताव पास होगा अगर कम से कम बहुमत से संसद् सदस्यों का समर्थन प्राप्त होगा ।

(4) अगर अविश्वास का प्रस्ताव पास होगा तो -

(a) वर्तमान प्रधान मंत्री ऑफिस तुरन्त छोड़ेंगे;

(b) समझ लिया जाएगा कि मंत्रीमंडल के हर एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है; और

(c) जिस व्यक्ति को प्रधान मंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा गया है राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाने के तुरन्त बाद् ऑफिस संभालेंगे ।

(5) अगर वर्तमान प्रधान मंत्री के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव विफल होगा तो कम से क म 6 महीनों तक उनके खिलाफ अविश्वास का कोई अतिरिक्त प्रस्ताव नहीं रखा जा सकेगा ।

मंत्रियों की नियुक्ति

95.-(1) सेक्शन 96(3) के तहत, एक मंत्री संसद् सदस्य होगा ।

(2) मंत्रीमंडल का हर एक सदस्य अनुसूची के मुताबिक राष्ट्रपति के सामने निष्ठा की शपथ लेकर ऑफिस संभालेगा ।

(3) हर मंत्री तब तक ऑफिस में रहेगा है जब तक –

(a) प्रधान मंत्री द्वारा हटाया नहीं जाएगा;

(b) संसद् सदस्य नहीं रहेगा या संसद् सदस्य बनने की योग्यता नहीं रहेगी; या

(c) प्रधान मंत्री को लिखित रूप में इस्तीफा नहीं देगा ।

(4) प्रधान मंत्री एक मंत्री को किसी भी अवधि या सभी अवधियों के लिए किसी दूसरे मंत्री की जगह स्थानापन्न रूप से नियुक्त करेंगे जब दूसरा मंत्री ऑफिस से या फीजी से अनुपस्थित है,य ा किसी भी कारण से मंत्री के कार्य को नहीं कर सकता, और स्थानापन्न मंत्री की नियुक्ति की सूचना राजपत्र में प्रकाशित होगी ।

अटॉर्नी–जनरल

96.–(1) अटोर्नी–जनरल के रूप में नियुक्त मंत्री सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होगा ।

(2) एक व्यक्ति अटोर्नी–जनरल नियुक्त होने के योग्य है अगर –

(a) वह फीजी में लीगल प्रेक्टिशना के रूप में दाखिल होगा और दाखिला के बाद् पद्रंह सालों से ज़्यादा फीजी में लीगल प्रेक्टिशना के रूप में कार्य करेगा; और

(b) फीजी या विदेश में किसी अनुशासनिक कार्रवाई जिसमें लीगल प्रक्टिशनस शामिल थे, इंडिपेंडेंट लीगल सर्विसेज़ कमीशन द्वारा किसी भी कार्रवाई, या इंडिपेंडेंट लीगलस र्विसेज़ कमीशन की स्थापना से पहले किसी भी लीगल प्रेक्टिशनस, बैरिस्टर्स औरसॉ लसिटर्स के कानून के तहत दोषी नहीं होगा ।

(2) अगर प्रधान मंत्री के विचार में संसद् सदस्यों में ऐसा कोई नहीं है जो –

(a) प्रधान मंत्री की राजनीतिक पार्टी का हो;

(b) प्रधान मंत्री की राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ी किसी भी दूसरी राजनीतिक पार्टी का हो; या

(c) प्रधान मंत्री का समर्थन करने वाले स्वतंत्र उम्मीदवार हो,

जो अटोर्नी–जनरल नियुक्त होने के लिए योग्य, उपयुक्त या उपलब्ध हैं, तो प्रधान मंत्री

एक व्यक्ति को, जो संसद् सदस्य नहीं है, अटोर्नी–जनरल नियुक्त करेंगे अगर वह व्यक्ति–

(a) लीगल प्रेक्टिशना है और सब्सेक्शन (2) के तहत अर्टोनी–जनरल नियुक्त होने के लिए योग्य है; और

(b) सेक्शन 56 के तहत संसदीय चुनाव के लिए एक उम्मीदवार के लिए योग्य है ।

(4) सब्सेक्शन (3) के तहत जिस व्यक्ति को अटोर्नी–जनरल नियुक्त किया गया है एक मंत्री के रूप में मंत्रिमण्डल में भाग ले सकेगा, और संसद् में बैठ सकेगा, लेकिन संसद् में वोट नहीं डाल सकेगा ।

(5) जिस व्यक्ति को अटोर्नी–जनरल नियुक्त किया गया है, अटोर्नी–जनरल के रूप में अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान, एक लौ फेर्म में लीगल प्रेक्टिशना के रूप में काम नहीं कर स कता या एक लौ फेर्म में किसी भी तरह की भागीदारी नहीं हो सकती या उसके नाम से कोई भी लौ फेर्म नहीं हो सकता है ।

(6) प्रधान मंत्री एक मंत्री या एक संसद् सदस्य या किसी व्यक्ति को (सब्सेक्शन (3) केत हत) जो अटोर्नी–जनरल नियुक्त होने के योग्य है, किसी भी अवधि या सभी अवधियों के लिए स्थानापन्न रूप से अटोर्नी–जनरल नियुक्त करेंगे जब अटोर्नी–जनरल ऑफिस से या फीजी से अनुपस्थित है, या किसी भी कारण से अटोर्नी–जनरल के कार्य को नहीं कर सकता, और स्थानापन्न अटोर्नी–जनरल की नियुक्ति की सूचना राजपत्र में प्रकाशित होगी ।

(7) सब्सेक्शन (5) उस व्यक्ति पर लागू नहीं होता है जो सब्सेक्शन (6) के तहत अटोर्नी–जनरल नियुक्त किया गया है ।

चेप्टर 5–जुडिशरी

पार्ट A–अदालतें और जुडिशल अफ्सर

जुडिशल अथॉरिटी और स्वतत्रंता

97.–(1) राज्य की जुडिशल शक्ति और अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ऑफ अपील, हाई कोर्ट, मजिस्ट्रेट्स कोर्ट, और कानून द्वारा स्थापित इस तरह की अन्य अदालतें और ट्रायब्यूनल्स में नहित हैं ।

(2) अदालतें और सभी जुडिशल अफ्सर सरकार की लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव भागों से स्वतंत्र हैं, और सिर्फ इस संविधान और कानून के अधीन हैं, जिन्हें वे बिना डर, पक्षपात या पूर्वाग्रह के लागू करेंगे ।

(3) कोई व्यक्ति अदालतों की जुडिशल कार्यवाहियों में दखल नहीं दे सकेगा, या अदालतों की प्रशासनिक कार्यवाहियों में बिना कारण दखल नहीं दे सकेगा ।

(4) संसद और मंत्रिमंडल, लेजिस्लेटिव और अन्य तरीकों से, अदालतों की स्वंतत्रता, निष्पक्षता, पहुँच और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए सहायता और सुरक्षा प्रदान करेंगे ।

(5) संसद यह सुनिश्चित करेगा कि जुडिशरी के पास पर्याप्त धन और अन्य संसाधन हैं ताकि वह अपने कार्य को अच्छी तरह से करे और शक्तियों का अच्छी तरह से प्रयोग करे ।

(6) जुडिशरी अपने बजट और फाइनेंस का नियंत्रण खुद करेगी जिसकी स्वीकृति संसद ने दी है ।

सुप्रीम कोर्ट

98.-(1) सुप्रीम कोर्ट में –

(a) चीफ जस्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष है; और

(b) अवसर की आवश्यकता के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में सेवा प्रदान करने के लिए नियुक्त किए गए अन्य जज शामिल हैं ।

(2) अगर चीफ जस्टिस ज़रूरी समझता है तो कोर्ट ऑफ अपील का कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में बैठ सकेगा ।

(3) सुप्रीम कोर्ट –

(a) आखिरी अपील कोर्ट है;

(b) के पास एकमात्र जुरिस्डिक्शन है कि वह, लिखित कानून द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के तहत, कोर्ट ऑफ अपील के अंतिम निर्णयों पर अपील की सुनवाई और फैसला करे; और

(c) के पास मूल जुरिस्डिक्शन है कि वह सेक्शन 91(5) में ज़िक्र किए गए संवैधानिक प्रश्नों को सुने और फैसला करे ।

(4) कोर्ट ऑफ अपील के एक आखिरी निर्णय को अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया जा सकेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अनुमति नहीं दे ।

(5) अपने अपील जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करते समय सुप्रीम कोर्ट शायद –

(a) कोर्ट ऑफ अपील के निर्णयों या आदेशों पर पुनर्विचार करेगा, बदलेगा, रद्द करेगा या समर्थन करेगा;

(b) न्याय-प्रशासन के लिए ज़रूरी कोई अन्य आदेश देगा, जिसमें नए ट्रायल या खर्चों को देने का आदेश होगा ।

(6) सब्सेक्शन (7) के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन राज्य की सभी अन्य अदालतों को करना होगा ।

(7) सुप्रीम कोर्ट अपने बनाए हुए किसी भी निर्णय, घोषणा या आदेश पर पुनर्विचार कर सकता है ।

कोर्ट ऑफ अपील

99.-(1) कोर्ट ऑफ अपील में –

(a) एक जज, चीफ जस्टिस को छोड़कर, जिसे कोर्ट ऑफ अपील का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है; और

(b) अपील जज नियुक्त किए जाने वाले अन्य जज शामिल हैं ।

(2) अगर कोर्ट ऑफ अपील का अध्यक्ष ज़रूरी समझता है तो हाई कोर्ट का कोई भी जज, चीफ जस्टिस को छोड़कर, कोर्ट ऑफ अपील की एक सुनवाई में बैठ सकेगा ।

(3) कोर्ट ऑफ अपील के पास जुरिस्डिक्शन है, इस संविधान और लिखित कानून द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के तहत, कि वह हाई कोर्ट के सभी निर्णयों पर अपील की सुनवाई और फैसला करे, और लिखित कानून द्वारा प्रदत्त इस तरह के अन्य जुरिस्डिक्शन है ।

(4) इस संविधान या इसकी व्याख्या के तहत हाई कोर्ट के एक आखिरी निर्णय पर कोर्ट ऑफ अपील में अपील करने का अधिकार है ।

(5) एक लिखित कानून यह बताएगा कि हाई कोर्ट के अन्य निर्णयों से लिखित कानून द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार अपील कोर्ट ऑफ अपील में होगा ।

हाई कोर्ट

100.- (1) हाई कोर्ट में होता है –

(a) चीफ जस्टिस;

(b) और ऐसे जज जो हाई कोर्ट में जज नियुक्त किए जाते हैं;

(c) हाई कोर्ट के मास्टज़; और

(d) हाई कोर्ट के चीफ रेजिस्ट्रार ।

(2) हाई कोर्ट के मास्टज़ और हाई कोर्ट के चीफ रेजिस्ट्रार के क्षेत्रधिकार और शक्तियाँ लिखित कानून से या चीफ जस्टिस द्वारा बनाए गए कोर्ट के कानून से निर्धारित की जाएंगी ।

(3) हाई कोर्ट के पास असीमित मूल क्षेत्रधिकार है कि कोई भी सिविल या अपराधिक कार्यवाही किसी भी कानून के तहत सुने और निर्धारित करे और ऐसा और मूल क्षेत्रधिकार इस संविधान और लिखित कानून से उस को मिलती है ।

(4) और हाई कोर्ट के पास मूल क्षेत्रधिकार है कि इस संविधान या इस के कोई भी व्याख्या के बारे में कोई भी बात सुने ।

(5) हाई कोर्ट के पास लिखित कानून के अनुसार अपील के अधिकार की आवश्यकताएँ

उस के अधिन मे क्षेत्रधिकार है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट और अन्य अधीन्स्थ कोर्टो के निर्णय की अपील को सुने और निर्धार करे ।

(6) हाई कोट के पास क्षेत्रधिकार है की मजिस्ट्रेट कोर्ट और अन्य अधीन्स्थ कोर्टो मे कोई भी सिविल या अपराधिक कारवाही की निगरीनी करे और अगर उस के पास आवेदन आए तो मजिस्ट्रेट कोर्ट और अन्य अधीन्स्थ कोर्टो के लिये आदेश जारी करे, वृत दे और एसा निर्देश दे जिससे उस के विचार मे न्याय की प्रशासन हो ।

(7) अगर किसी कार्यवाही मे मजिस्ट्रेट कोर्ट या अन्य अधीन्स्थ कोर्ट मे इस सविधान के व्याख्या पर सवाल उठे तो मजिस्ट्रेट कोर्ट या अन्य अधीन्स्थ कोर्ट उस मामले पे फैसला कर सकती है और उस की अपील हाई कोर्ट मे करने का अधिकार है ।

मजिस्ट्रेट्स कोर्ट

101.- (1) मजिस्ट्रेट कोर्ट मे होते है –

(a) मजिस्ट्रेट ; और

(b) और मजिस्ट्रेट जो जुड़ीशियल सर्विसेस कमिशन ने एप्पोइंट किया है ।

(2) मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास वेसा क्षेत्रधिकार जैसा उसे लिखित कानून से मिलती है ।

अन्य कोर्ट

102. एक लिखित कानून अन्य कोर्ट, ट्रिब्यूनल या कमिशन जो हाई कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट या अन्य अधीन्स्थ कोर्ट के तरह स्थिति हो की स्थापना और निर्धारण करेगी ।

कोर्ट के नियम और प्रक्रियाएं

103.(1) इस सविधान के या लिखित कानून के सुसंगत सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति कोर्ट के लिये नियम बनायेगे और दिशा निर्देश देगे जिस से सुप्रीम कोर्ट की नियम और प्र क्रियाओ की निर्वारण और विनियमित होगी ।

(2) इस सविधान के या लिखित कानून के सुसंगत अपील कोर्ट के राष्ट्रपति कोर्ट के लिये नियम बनायेगे और दिशा निर्देश देगे जिस से अपील कोर्ट की नियम और प्रक्रियाओ की निर्वारण और विनियमित होगी ।

(3) इस सविधान के या लिखित कानून के सुसंगत मुख्य न्यायधीश कोर्ट के लिये नियम बनायेगे और दिशा निर्देश देगे जिस से हाई कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोट की नियम और प्रक्रियाओ की निर्वारण और विनियमित होगी ।

जुडिशल सर्विसेज़ कमीशन

104.-(1) एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस डिक्री 2009 के तहत स्थापित जुडिशल सर्विस कमीशन अभी भी मौजूद है, और उसमें -

(a) चीफ जस्टिस, जो अध्यक्ष रहेंगे;

(b) कोर्ट ऑफ अपील के अध्यक्ष;

(c) जस्टिस के लिए जिम्मेदार परमानेंट सेक्रेटरी;

(d) एक लीगल प्रेक्टिशना जो दाखिला के बाद कम से कम 15 सालों की प्रैक्टिस कर चुका है, जिसकी नियुक्ति अटॉनी-जनरल के साथ चीफ जस्टिस के परामर्श के बाद चीफ जस्टिस की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा; और

(e) एक व्यक्ति, जो लीगल प्रेक्टिशना नहीं है, चुका है, जिसकी नियुक्ति अटॉनी-जनरल के साथ चीफ जस्टिस के परामर्श के बाद चीफ जस्टिस की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा ।

(2) इस संविधान में दिए हुए कार्यों के अतिरिक्त, कमीशन जुडिशल अफ्सरों के बारे में शिकायतों की जाँच करेगा ।

(3) इस संविधान द्वारा या के तहत दिए हुए कार्यों के अतिरिक्त, कमीशन के पास लिखित कानून द्वारा निर्धारित इसी तरह की अन्य शक्तियाँ और कार्य हैं ।

(4) जजों और जुडिशल अफ्सरों की सतत शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए कमीशन जिम्मेदार है ।

(5) जुडिशरी के कुशल संचालन के लिए कमीशन जिम्मेदार है ।

(6) कमीशन अपनी प्रक्रिया को खुद रेगुलेट करेगा और अपने कार्यों के रेगुलेशन और फेसिलिटेशन के लिए उचित समझे गए कानून और रेगुलेशन्स बनाएगा ।

(7) कमीशन जुडिशरी या जस्टिस के प्रबंधन से संबंधित किसी भी मामले पर अटॉर्नी-जनरल को नियमित रूप से जानकारी और सलाह देगा ।

(8) अपने कार्यों को करने या अपनी अथॉरिटी और शक्तियों का प्रयोग करने में कमीशन स्वतंत्र है और कोर्ट या निर्धारित लिखित कानून को छोड़कर किसी व्यक्ति या अथॉरिटी के निदेशन या नियंत्रण के अधीन नहीं है ।

(9) कमीशन का सेक्रेटरी चीफ रेजिस्ट्रार है, या उस ऑफिस में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति ।

(10) कमीशन की सभाओं के लिए कोरम के लिए अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य चाहिए ।

(11) सब्सेक्शन (1) के अनुच्छेद (d) और (e) में ज़िक्र किए गए सदस्य 3 सालों की अवधि के लिए नियुक्त होंगे और पुन: नियुक्ति के योग्य रहेंगे ।

(12) सब्सेक्शन (1) के अनुच्छेद (d) और (e) में ज़िक्र किए गए सदस्य अटॉनी-जनरल के साथ चीफ जस्टिस के परामर्श के बाद चीफ जस्टिस की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित रिम्यूनरेशन के हकदार हैं, इस तरह के रिम्यूनरेशन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कि यह राज्य के सभी अफ्सरों पर लागू ओवरऑल औस्टेरिटी रिडक्शन का हिस्सा नहीं है ।

(13) सब्सेक्शन (1) के अनुच्छेद (d) या (e) में ज़िक्र किए गए सदस्य ऑफिस का काम क रने की असमर्थता (शरीर या मन की दुर्बलता या किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने वाली) या दुर्व्यवहार के लिए ऑफिस से निकाले जाएंगे, अन्यथा नहीं निकाले जा सकते हैं ।

(14) सब्सेक्शन (1) के अनुच्छेद (d) या (e) में ज़िक्र किए गए के सदस्यों को सब्सेक्शन (15) के अनुसार ऑफिस से निकालना होगा ।

(15) अगर चीफ जस्टिस, अटॉर्नी-जनरल के साथ परामर्श के बाद, मानता है कि सब्सेक्शन (1) के अनुच्छेद (d) या (e) में ज़िक्र किए गए सदस्य को ऑफिस से निकालने वाले कदम की जाँच होनी चाहिए, तब -

(a) जीच जस्टिस -

(i) दुर्व्यवहार के मामले के लिए - एक ट्रायब्यूनल की नियुक्ति करता है जिसमें एक अध्यक्ष और कम से कम दो सदस्य होंगे, जिनका चयन उन व्यक्तियों में से होगा जो जज का ऑफिस संभाल रहे हैं या संभालने के लिए

योग्य हैं; और

(i) ऑफिस के कार्य को करने की असमर्थता के मामले के लिए – एक मेडिकल बोर्ड की नियुक्ति करता है जिसमें एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे, सभी योग्य मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे;

(b) ट्रायब्यूनल या मेडिकल बोर्ड मामले की जाँच करता है और राष्ट्रपति को एक लिखित रिपोर्ट देता है और राष्ट्रपति को सलाह देता है कि क्या सब्सेक्शन (1) के अनुच्छेद (d) या (e) में ज़िक्र किए गए सदस्य को ऑफिस से निकालना चाहिए या नहीं ।

(c) सब्सेक्शन (1) के अनुच्छेद (d) या (e) में ज़िक्र किए गए सदस्य को क्या ऑफिस से निकालना चाहिए या नहीं, इसके लिए राष्ट्रपति को ट्रायब्यूनल या मेडिकल बोर्ड की सलाह के अनुसार फैसला करना होगा ।

(16) अटॉर्नी–जनरल के साथ चीफ जस्टिस के परामर्श के बाद चीफ जस्टिस की सलाह पर राष्ट्रपति, उचित समझे गए नियमों और शर्तों के तहत, सब्सेक्शन (1) के अनुच्छेद (d) या (e) में ज़िक्र किए गए सदस्य को सब्सेक्शन (15) के तहत ट्रायब्यूनल या मेडिकल बोर्ड की नियुक्ति और जाँच तक ऑफिस से ससपेंड करेगा, और किसी भी समय, ससपेंशन को रद्द कर सकता है ।

(17) सब्सेक्शन (16) के तहत ऑफिस से सब्सेक्शन (1) के अनुच्छेद (d) या (e) में ज़िक्र किए गए सदस्य के ससपेंशन को हटा दिया जाता है अगर राष्ट्रपति तय करता है कि व्यक्ति को ऑफिस से नहीं हटाना चाहिए ।

(18) ट्रायब्यूनल की रिपोर्ट या मेडिकल बोर्ड की सिफारिश, जो भी उपयुक्त हो, सब्सेक्शन (15) के तहत जनता को मिलनी चाहिए ।

नियुक्ति की योग्यता

105.- (1) जुड़ीशियल ऑफिस मे एप्पोइंटमेंट कि शासन मे यह सिद्धांत है कि न्यायिक अधिकारियो सबसे ज़्यादा क्षमता और अखडता के हो ।

(2) एक व्यक्ति जज एप्पोइंट नही हो सकता हे जब तक –

(a) अभी है या पहेले जुड़ीशियल ऑफिस मे रहा हो फीजी या और कोइ देश मे जिसे कानून मनती हो ; या

(b) कानूनी व्यवसायी मे दखिला के बाद से दस साल से ज़्यादा अभ्यास फीजी या कोई देश मे जिसे कानून मनती हो ।

जजों की नियुक्ति

106.- (1) चिफ जसटिस और अपील कोर्ट के राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर जो अटार्नी जनरल से परामर्श कर के सलाह देते है को एप्पोइंट करते है ।

(2) सुप्रीम कोर्ट, जसटिस ओफ अपील और हई कोर्ट के जज को राष्ट्रपति जुड़ीशियल सर्विसेस कमिशन के सिफारिश पर जो अटार्नी जनरल से परामर्श कर के सिफारिस देते है को एप्पोइंट करते है ।

(3) राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर जो अटार्नी जनरल से परामर्श कर के सलाह देता है एक जज या एक व्यक्ति जो जज बन्ने के योग्य है को किसी एक समय या किसी भी समय जब चिफ जसटिस कि ऑफिस खाली हो या जब चिफ जसटिस शुल्क से या फीजी से अनुपस्थित रहे या किसी करण से ऑफिस के कार्य को नही कर सकते है तब उसे अधिनियम चिफ जसटिस एप्पोइंट करते है ।

(4) राष्ट्रपति जुड़ीशियल सर्विसेस कमिशन के सिफारिश पे जो अटार्नी जनरल से परामर्श कर के सिफारिस देता है एक व्यक्ति को हाई कोर्ट की जज किसी एक समय या किसी भी समय जब हाई कोर्ट की जज के ऑफिस खाली हो या जब जज शुल्क से या फीजी से अनुपस्थित रहे या किसी करण से ऑफिस के कार्य को नही कर सकते है तब उसे अधिनियम हाई कोर्ट की जज एप्पोइंट करते है ।

(5) एक व्यक्ति सबसेक्शण (4) के निचे एप्पोइंट नही हो सकता है जब तक की वह जज एप्पोइंट हने का येग्य न हो ।

अन्य नियुक्तियाँ

107- (1) जुड़ीशियल सर्विसेस कमिशन के पास मजिस्ट्रेट ,हाई कोर्ट के मासटज़, चिफ रेजिस्ट्रर और अन्य न्यायिक अधिकारियो की एप्पोइंट करने का अज्ञा लिखित कानून से है ।

(2) सबसेक्शण (1) के निचे न्यायिक सेवा आयोग कोई एप्पोइंटमेंट करने से पहेले अटार्नी जनरल से परामर्श करे ।

जुडिशल विभाग के कर्मचारी

108.(1) जुड़ीशियल सर्विसेस कमिशन के पास ये प्रधिकरण है कि गयर न्यायिक व्यक्तियो को नियुक्त करे, निकाले और जो न्यायिक विभाग मे काम करते है उन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करे ।

(2) जुड़ीशियल सर्विसेस कमिशन के पास ये प्रधिकरण है कि सभी मामलो पर गैरन्यायिक व्यक्तियाँ जो न्यायिक विभाग मे काम करते है उन के लिये निर्धार करे –

(a) नौकरी के नियम और शर्ते ;

(b) एप्पोइंटमेंट के लिये योग्यता की ज़रूरत और एप्पोइंटमेंट के लिये ऐसा प्रक्रिया की अनुवर्ती करे जो खुली , परदशी और प्रतिस्पर्धी हो ;

(c) संसद की स्वीकृनी किया हुवा बजट के मुताबिक वेतन,लाभ और अल्लोवंळेस दे ; और

(d) संसद मे स्वीकृनी किय हुवा बजट के मुताबिक पुरे संगठन या पुरे गयर न्यायिक व्यक्तियो को नियुक्त कि ज़रूरत ।

(3) जुड़ीशियल सर्विसेस कमिशन लिखित सूचना से चिफ रेजिस्ट्रर को अपनी सभी सक्तियाँ और प्रधिकसण दे सकती है ।

ऑफिस की शपथ

109. ऑफिस में आने से पहले, एक जज या मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के सामने अनुसूची के मुताबिक निष्ठा और ऑफिस की शपथ या प्रतिज्ञा लेनी होगी ।

ऑफिस की अवधि

110.(1) एक व्यक्ति जो फीजी का नागरिक नही है और वह फीजी मे जज एप्पोइंट हो , वह तीन साल से ज़्यादा सेवा नही कर सकता है ओर री– एप्पोइंट होने के लिये वह कबिल है कि नही ये जुड़ीशियल सर्विसेस कमिशन निर्धार करेगी ।

(2) और कोई जज की एप्पोइंटमेंट चलती रहती है जब तक कि जज औकाश कि अयु पे पहुच नही जाते है जो –

(a) चिफ जस्टिस, अपील कोर्ट के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज और जस्टिस ओफ अपील की – अयू 75 वर्ष – और

(b) हाई कोर्ट के जज की – अयू 70 वर्ष ।

(3) एक व्यक्ति जो हाई कोर्ट के जज के पद से औकाश ले चुका है और उस कि उमर 75 वर्ष कि नही हुआ है वह सुप्रीम कोर्ट का जज या जर्सटिस ओफ अपील एप्पोइंट हो ने के लिये योग्य है ।

चीफ जस्टिस और कोर्ट ऑफ अपील के अध्यक्ष को किसी कारण से हटाना

111.(1) चिफ जर्सटिस और अपील कोर्ट के राष्ट्रपति को ऑफिस के काम करने मे अस्मरथ होने के कारन ऑफिस से हटाया जा सकता है (शरिरिक , मनसिक या किसी और कारन से उत्पन्न होने विली दुर्बलता) या बदसलूकी के लिये, अन्येथा नही हटाये जा सकते ।

(2) इस सेक्शण के निचे सिर्फ राष्ट्रपति ही चिफ जर्सटिस और अपील कोर्ट के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाये ।

(3) अगर राष्ट्रपति के विचार मे प्रधानमंत्री की सलाह की चिफ जर्सटिस और अपील कोर्ट के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाने की सवाल कि जांच कि जानी चाहिये तो –

(a) राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पे एप्पोइंट करेगे –

(i) बदसलूकी के माम्ले मे – एक ट्रिब्यूनल जिस मे एक चाइर्पर्सोन और दो सदसये जो उन व्यक्तियो मे से चुने जायेगे जो फीजी या कोई और देश मे उच्चे जुड़ीशियल ऑफिस मे है या रह चुके हो ; और

(ii) अगर कथित रूप से ऑफिस के काम करने मे अस्मरथ है तो –एक मेटिकल बोट जिस मे एक चाइर्पर्सोन और दो सदसय जो योग्य चिकित्सा व्यवसायी हो ।

(b) ट्रिब्यूनल या मेटिकल बोट ममले की छानबिन करके राष्ट्रपति को एक लिखित रिपोट और सलाह कि चिफ जर्सटिस और अपील कोर्ट के राष्ट्रपति को हटाया जाये या नही देगे ; और

(c) राष्ट्रपति ये निर्नये लेने मे कि चिफ जर्सटिस और अपील कोर्ट के राष्ट्रपति को हटाया जाये या नही को ट्रिब्यूनल या मेटिकल बोट जैसा भी हो के सलाह की अनुसार ही चलना चाहिये ।

(4) सबसेक्शण (3) के निचे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे चिफ जसटिस और अपील कोर्ट के राष्ट्रपति जब तक छानबिन और ट्रिब्यूनल या मेटिकल बोट की उल्लेख और एप्पोइंटमेंट न होने तक सस्पेंड कर सकते है और किसी भी समय सस्पेंशन को रद्द कर सकते है ।

(5) सबसेक्शण (4) के निचे चिफ जसटिस और अपील कोर्ट के राष्ट्रपति की सस्पेंशन का असर समाप्त हो जाता है अगर राष्ट्रपति के विचार मे चिफ जसटिस और अपील कोर्ट के राष्ट्रपति को ऑफिस से न हटाया जाये ।

(6) इस सेक्शण के निचे राष्ट्रपति ट्रिब्यूनल कि रिपोट या मेटिकल बोट की अनुशंसाएँ जो उन को मिले उसे पब्लिक करे ।

जुडिशल अफसरों को किसी कारण से हटाना

112.(1) एक जज, मजिस्ट्रेट ,हाई कोर्ट के मासटज़, मुख्य रेजिस्ट्रर और अन्य न्यायिक अधिकारियो जिन्हे जुड़ीशियल सर्विसेस कमिशन एप्पोइंट किये है उन को ऑफिस के काम करने मे अस्मरथ होने के कारन ऑफिस से हटाया जा सकता है (शरिरिक , मनसिक या किसीऔर का रन से उत्पन्न होने विली दुर्बलता) या बदसलूकी के लिये अन्येथा नही हटाये जा सकते ।

(2) इस सेक्शण के निचे सिर्फ राष्ट्रपति ही जज, मजिस्ट्रेट ,हाई कोर्ट के मासटज़, चिफ रेजिस्ट्रर और अन्य न्यायिक अधिकारियो जिन्हे जुड़ीशियल सर्विसेस कमिशन एप्पोइंट किये है को ऑ से हटा सकते है ।

(3) अगर राष्ट्रपति के विचार मे जुड़ीशियल सर्विसेस कमिशन की सलाह की जज, मजिस्ट्रेट ,हाई कोर्ट के मासटज़, चिफ रेजिस्ट्रर और अन्य न्यायिक अधिकारियो जिन्हे जुड़ीशियल सर्विसेस कमिशन नियुक्ति किये है को कार्यलय से हटाने की सवाल कि जांच कि जानी चाहिये तो –

(a) राष्ट्रपति, जुड़ीशियल सर्विसेस कमिशन की सलाह पे एप्पोइंट करेगे –

(i) बदसलूकी के माम्ले मे – एक ट्रिब्यूनल जिस मे एक चाइर्पेर्सोन और दो सदसये जो उन व्यक्तियो मे से चुने जायेगे जो फीजी या कोई और देश मे उच्चे जुड़ीशियल ऑफिस मे है या रह चुके हो ; और

(ii) अगर कथित रूप से ऑफिस के काम करने मे अस्मरथ है तो –एक मेटिकल बोट जिस मे एक चाइर्पर्सोन और दो सदसय जो योग्य चिकित्सा व्यवसायी हो ।

(b) ट्रिब्यूनल या मेटिकल बोट ममले की छानबिन करके राष्ट्रपति को एक लिखित रिपोट और सलाह कि जज, मजिस्ट्रेट ,हाई कोर्ट के मासटज़, चिफ रेजिस्ट्रर और अन्य न्यायिक अधिकारियो जिन्हे जुड़ीशियल सर्विसेस कमिशन एप्पोइंट किये है को ऑफिस से हटाये या नही ; और

(c) राष्ट्रपति ये निर्नय लेने मे कि जज को हटाया जाये या नही को ट्रिब्यूनल या मेटिकल बोट जैसा भी हो के सलाह की अनुसार ही चलना चाहिये ।

(4) सबसेक्शण (3) के निचे राष्ट्रपति जुड़ीशियल सर्विसेस कमिशन की सलाह पे जज, मजिस्ट्रेट ,हाई कोर्ट के मासटज़, चिफ रेजिस्ट्रर और अन्य न्यायिक अधिकारियो जिन्हे जुड़ीशियल सर्विसेस कमिशन एप्पोइंट किये है छानबिन और ट्रिब्यूनल या मेटिकल बोट की उल्लेख और एप्पोइंट होने तक सस्पेंट कर सकते है और किसी भी समय सस्पेंशन को रद्द कर सकते है ।

(5) सबसेक्शण (4) के निचे जज, मजिस्ट्रेट ,हाई कोर्ट के मासटज़, चिफ रेजिस्ट्रर और अन्य न्यायिक अधिकारियो जिन्हे जुड़ीशियल सर्विसेस कमिशन एप्पोइंट किये है का सस्पेंशन का असर समाप्त हो जाता है अगर राष्ट्रपति के विचार मे जज, मजिस्ट्रेट ,हाई कोर्ट के मासटज़, चिफ रेजिस्ट्रर और अन्य न्यायिक अधिकारियो जिन्हे जुड़ीशियल सर्विसेस कमिशन ने एप्पोइंट किये है को ऑफिस से न हटाया जाये ।

(6) इस सेक्शण के निचे राष्ट्रपति ट्रिब्यूनल कि रिपोट जो उन को मिले उसे पब्लिक करे ।

(7) ये सेक्शण चिफ जसटिस या अपील कोर्ट के राष्ट्रपति के उपर लागू नही है ।

जुडिशल अफ्सरों का रिम्यूनरेशन

113.–(1) एक जुडिशल अफ्सर को जो वेतन और लाभ दिया जाएगा उस में किसी भी तरह से उनके अहित के लिए बदला नहीं जाएगा, जब तक कि राज्य के सारे अधिकारियों के वेतन में कमी नहीं होगी ।

(2) चीफ जस्टिस और कोर्ट ऑफ अपील के अध्यक्ष का वेतन और लाभ अटॉर्नी–जनरल के साथ प्रधान मंत्री के परामर्श के बाद प्रधान मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति तय करेगा ।

(3) जुडिशल सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्त एक जज (चीफ जस्टिस और कोर्ट ऑफ अपील के अध्यक्ष को छोड़कर), मजिस्ट्रेट, मास्टर ऑफ हाई कोर्ट, चीफ रजिस्ट्रार या अन्य जुडिशल अफ्सर के वेतन और लाभ प्रधान मंत्री और अटॉर्नी-जनरल से परामर्श के बाद जुडिशल सर्विस कमीशन तय करेगा ।

(4) एक जुडिशल अफ्सर को दिए गए रिम्यूनरेशन और लाभ को कंसॉलिडैटड फंड पर चार्ज किया जायेगा ।

(5) एक जुडिशल कार्य करते समय एक जुडिशल अफ्सर जो कुछ भी कहता या करता है, वह सिविल या आपराधिक कार्यवाही से सुरक्षित है ।

पार्ट B-स्वतंत्र जुडिशल और कानूनी संस्थाएं

इंडिपेंडेंट लीगल सर्विसेस कमीशन

114.-(1) लीगल प्रैक्टिशनस डिक्री 2009 द्वारा स्थापित इंडिपेंडेंट लीगल सर्विसेस कमीशन अभी भी मौजूद है ।

(2) इंडिपेंडेंट लीगल सर्विसेस कमीशन में एक कमिश्नर होगा, जो एक जज होगा, या एक जज नियुक्त होने के योग्य है ।

(3) अटॉर्नी-जनरल से परामर्श के बाद जुडिशल सर्विस कमीशन की सलाह पर राष्ट्रपति कमिश्नर की नियुक्ति करेगा ।

(4) कमिश्नर 3 सालों की अवधि के लिए नियुक्त होगा और पुन: नियुक्ति के योग्य रहेगा ।

(5) राष्ट्रपति, अटॉर्नी-जनरल से परामर्श के बाद जुडिशल सर्विस कमीशन की सलाह पर, एक व्यक्ति को किसी अवधि या सभी अवधियों के दौराम कमिश्नर के रूप में नियुक्त कर सकता है, जब कमिश्नर का पद खाली है या कमिश्नर ऑफिस या फीजी से अनुपस्थित है या किसी भी कारण से ऑफिस के कार्य को संभाल नहीं सकता है ।

(6) कमिश्नर को ऑफिस का काम करने की असमर्थता (शरीर या मन की दुर्बलता या किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने वाली) या दुर्व्यवहार के लिए ऑफिस से निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं निकाला जा सकता है ।

(7) कमिश्नर को ऑफिस से निकालने के लिए वही प्रक्रिया होगी जो सेक्शन 112 के तहत एक जुडिशल अफ्सर को निकालने के लिए है ।

(8) कमीशन की अथॉरिटी, कार्य और जिम्मेदारी लिखित कानून द्वारा निर्धारित होंगे, और एक लिखित कानून कमीशन के लिए अतिरिक्त प्रावधान बना सकता है ।

(9) अपने कार्यों को करने या अपनी अथॉरिटी और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कमिश्नर स्वतंत्र है और कोर्ट या निर्धारित लिखित कानून को छोड़कर किसी व्यक्ति या अथॉरिटी के निदेशन या नियंत्रण के अधीन नहीं है ।

(10) कमिश्नर जुडिशल सर्विस कमीशन द्वारा अटॉनी-जनरल से परामर्श के बाद जुडिशल सर्विस कमीशन की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित रिम्यूनरेशन का हकदार है, इस तरह के रिम्यूनरेशन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कि यह राज्य के सभी अफ्सरों पर लागू ओवरऑल औस्टेरिटी रिडक्शन का हिस्सा नहीं है ।

(11) कमीशन अपनी प्रक्रिया को खुद रेगुलेट करेगा और अपने कार्यों के रेगुलेशन और फेसिलिटेशन के लिए उचित समझे गए कानून और रेगुलेशन्स बनाएगा ।

(12) कमीशन अपने कार्यों और जिम्मेदारियों से संबंधित किसी भी मामले पर अटॉर्नी-जनरल को नियमित रूप से जानकारी और सलाह देगा ।

फीजी इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन

115.-(1) फीजी इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन प्रोमल्गेशन 2007 के तहत स्थापित फीजी इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन अभी भी मौजूद ।

(2) फीजी इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन में कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और कानून द्वारा नियुक्त अन्य अफ्सर होंगे ।

(3) कमीशन की अथॉरिटी, कार्य और जिम्मेदारी लिखित कानून द्वारा निर्धारित होगी, और एक लिखित कानून कमीशन के लिए अतिरिक्त प्रावधान बनाएगा ।

(4) सब्सेक्शन (3) के पूर्वाग्रह के बिना, कमीशन -

(a) आपराधिक कार्यवाहियों की जाँच, शुरूआत और संचालन करेगा;

(b) जांच और आपराधिक कार्यवाहियों को संभालेगा जो कानून द्वारा निर्धारित उनकी जिम्मेदारी और कार्य के नीचे आती हैं, और जो शायद किसी व्यक्ति या अथॉरिटी द्वारा शुरू की गई हों; और

(c) निर्णय पर पहुँचने से पहले किसी भी समय, उसके द्वारा शुरू की गई या संचालित की गई आपराधिक कार्यवाही को बंद करेगा ।

(5) कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की शक्तियाँ व्यक्तिगत रूप से, उनके प्रतिनिधि, या उनके निर्देश पर काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाए जाएंगे ।

(6) अपने कार्यों को करने या अपनी अथॉरिटी और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कमीशन स्वतंत्र है और कोर्ट या निर्धारित लिखित कानून को छोड़कर किसी व्यक्ति या अथॉरिटी के निदेशन या नियंत्रण के अधीन नहीं है ।

(7) अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय और अपने कार्यों और कर्त्तव्यों को करते समय कमीशन यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के तहत स्थापित मानकों द्वारा निदेर्शित रहेगा ।

(8) कमीशन अपनी प्रक्रिया को खुद रेगुलेट करेगा और अपने कार्यों के रेगुलेशन और फेसिलिटेशन के लिए उचित समझे गए कानून और रेगुलेशन्स बनाएगा ।

(9) कमीशन अपने कार्यों और जिम्मेदारियों से संबंधित किसी भी मामले पर अटॉर्नी-जनरल को नियमित रूप से जानकारी और सलाह देगा ।

(10) कमीशन में सभी कर्मचारियों (एडमिनिस्ट्रेटिव कर्मचारियों सहित) को नियुक्त करने, निकालने और अनुशासित करने के लिए कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के पास अथॉरिटी है ।

(11) कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के पास अथॉरिटी है कि वे फीजी इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन में सभी कर्मचारियों की नौकरी से संबंधित सभी मामलों को तय करे, जिनमें शामिल हैं –

(a) नौकरी के नियम और शर्तें;

(b) नियुक्ति के लिए योग्यता की ज़रूरतें और नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जो मेरिट पर आधारित खुली, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी हो;

(c) संसद द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार वेतन, लाभ और अलाउंसस; और

(d) संसद द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार नियुक्त किए जाने वाले आवश्यक कर्मचारियों की कुल संख्या ।

(12) कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर अटॉनी-जनरल के साथ चीफ जस्टिस के परामर्श के बाद चीफ जस्टिस की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित रिम्यूनरेशन के हकदार हैं, इस तरह के रिम्यूनरेशन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कि यह राज्य के सभी अफसरों पर लागू ओवरऑल औस्टेरिटी रिडक्शन का हिस्सा नहीं है ।

(13) कमीशन में कार्यरत एक व्यक्ति को दिए जाने वाले वेतन, लाभ और अलाउंस को कंसॉलिडैटड फंड पर चार्ज किया जाएगा ।

(14) संसद यह सुनिश्चित करेगी कि कमीशन को पर्याप्त फंडिंग और संसाधनों की प्राप्ति हो ताकि वह अपने कार्यों और कर्त्तव्यों को स्वतंत्रता और कुशल ढंग से निभाए ।

(15) इस सेक्शन में "आपराधिक कार्यवाहियों" का मतलब है किसी भी कोर्ट में (मिलिट्री कोर्ट को छोड़कर) आपराधिक कार्यवाहियों से है, और उसमें अपील, बताए गए मामले या कानून पर सुरक्षित सवाल शामिल हैं ।

सोलिसिटर-जनरल

116.-(1) स्टेट सर्विसेस डिक्री 2009 के तहत स्थापित सोलिसिटर-जनरल का ऑफिस अभी भी मौजूद ।

(2) सोलिसिटर-जनरल इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार है -

(a) अनुरोध पर, सरकार और पब्लिक ऑफिस संभालने वाले को स्वतंत्र कानूनी सलाह देना;

(b) मंत्रिमंडल के अनुरोध पर ड्राफ्ट कानून तैयार करना;

(c) सभी लिखित कानूनों पर सार्वजनिक सुलभ रजिस्टर रखना;

(d) कोर्ट में कानूनी कार्यवाहियों के लिए राज्य का प्रतिनिधित्व करना, आपराधिक कार्यवाहियों को छोड़कर, और

(e) इस संविधान, किसी भी कानून, मंत्रिमंडल या अटॉर्नी-जनरल द्वारा दिए गए अन्य कार्यों को करना ।

(3) सोलिसिटर-जनरल कोर्ट की अनुमति पर किसी सिविल कार्यवाही में, जिसका हिस्सा राज्य नहीं है, कोर्ट के मित्र के रूप में उपस्थित हो सकता है ।

(4) सोलिसिटर-जनरल एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो जज बनने की योग्यता रखता हो ।

(5) अटॉर्नी-जनरल के साथ जुडिशल सर्विस कमीशन के परामर्श के बाद जुडिशल सर्विस कमीशन की सलाह पर राष्ट्रपति सोलिसिटर-जनरल को नियुक्त करेगा ।

(6) राष्ट्रपति, अटॉर्नी-जनरल से परामर्श के बाद जुडिशल सर्विस कमीशन की सिफारिश पर, एक व्यक्ति को किसी अवधि या सभी अवधियों के दौरान सोलिसिटर-जनरल के रूप में नियुक्त कर सकता है, जब सोलिसिटर-जनरल का पद खाली है या सोलिसिटर-जनरल ऑफिस या फीजी से अनुपस्थित है या किसी भी कारण से ऑफिस के कार्य को संभाल नहीं सकता है ।

(7) सोलिसिटर-जनरल के पास परमानेंट सेक्रेटरी के समान स्टेटस है और अटॉर्नी-जनरल के ऑफिस में परमानेंट सेक्रेटरी के रूप में जिम्मेदार है और सेक्रेटरी-जनरल के रूप में अन्य अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी ।

(8) सोलिसिटर-जनरल के ऑफिस की अवधि हाई कोर्ट के एक जज के समान है और अटॉनी-जनरल के साथ परामर्श के बाद जुडिशल सर्विस कमीशन द्वारा निर्धारित रिम्यूनरेशन का हकदार होगा, लेकिन यह रिम्यूनरेशन हाई कोर्ट के एक जज या एक परमानेंट सेक्रेटरी को दिए गए रिम्यूनरेशन से कम नहीं होना चाहिए और इस तरह के रिम्यूनरेशन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कि यह राज्य के सभी अफ्सरों पर लागू ओवरऑल औस्टेरिटी रिडक्शन का हिस्सा नहीं है ।

(9) सोलिसिटर-जनरल ऑफिस का काम करने की असमर्थता (शरीर या मन की दुर्बलता या किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने वाली) या दुर्व्यवहार के लिए ऑफिस से निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं निकाला जा सकता है ।

(10) सोलिसिटर-जनरल को ऑफिस से निकालने के लिए वही प्रक्रिया होगी जो सेक्शन 112 के तहत एक जुडिशल अफ्सर को निकालने के लिए है ।

(11) अटॉर्नी-जनरल के ऑफिस में सभी कर्मचारियों (एडमिनिस्ट्रेटिव कर्मचारियों सहित) को नियुक्त करने, निकालने और उनके खिलाफ अनुशासनिक कदम उठाने के लिए सोलिसिटर-जनरल के पास अथॉरिटी है ।

(12) सोलिसिटर-जनरल के पास अथॉरिटी है कि वह अटॉर्नीं-जनरल के ऑफिस में सभी कर्मचारियों की नौकरी से संबंधित सभी मामलों को तय करे, जिनमें शामिल हैं -

(a) नौकरी के नियम और शर्तें;

(b) नियुक्ति के लिए योग्यता की ज़रूरतें और नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जो मेरिट पर आधारित खुली, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी हो;

(c) संसद द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार वेतन, लाभ और अलाउंसस; और

(d) संसद द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार नियुक्त किए जाने वाले आवश्यक कर्मचारियों की कुल संख्या ।

(13) अटॉर्नी-जनरल के ऑफिस में कार्यरत किसी व्यक्ति को दिए जाने वाले वेतन, लाभ और अलाउंस को कंसॉलिडैटड फंड पर चार्ज किया जाएगा ।

(14) सोलिसिटर-जनरल को दिए गए किसी कार्य को सोलिसिटर-जनरल खुद या सब्ऑडिनट अफ्सरों द्वारा सामान्य या विशेष निर्देशों के अनुसार किया जा सकता है ।

डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसेक्यूशन्स

117.-(1) स्टेट सर्विसेस डिक्री 2009 के तहत स्थापित डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसेक्यूशन्स का ऑफिस अभी भी मौजूद ।

(2) डाइरेक्टर ओफ पब्लिक प्रोसेकुटीओन्स एक येसा व्यक्ति हो जो जज बन्ने के योग्य हो ।

(3) राष्ट्रपति, न्यायिक सेवा आयोग के सलाह पर जो पहेले अटार्नी जनरल से परामर्श करेगी डाइरेक्टर ओफ पब्लिक प्रोसेकुटीओन्स को एप्पोइंट करेगे ।

(4) राष्ट्रपति न्यायिक सेवा आयोग के सिफारिश पे जो अटार्नी जनरल से परामर्श कर के सिफारिस देता है एक व्यक्ति को डाइरेक्टर ओफ पब्लिक प्रोसेकुटीओन्स किसी एक समय या किसी भी समय जब डाइरेक्टर ओफ पब्लिक प्रोसेकुटीओन्स के ऑफिस खाली हो या जब डाइरेक्टर ओफ पब्लिक प्रोसेकुटीओन्स शुल्क से या फीजी से अनुपस्थित रहे या किसी करण से ऑफिस के कार्य को नही कर सकते है तब उसे अधिनियम डाइरेक्टर ओफ पब्लिक प्रोसेकुटीओन्स एप्पोइंट करते है ।

(5) डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसेक्यूशन्स की नियुक्ति 7 सालों के लिए होगी और वह पुन: नियुक्ति के लिए योग्य है, और वेतन उतना ही मिलेगा जितना जुडिशल सर्विसेस कमीशन अटार्नी-जनरल से परामर्श कर के निर्धारित करेगा, लेकिन रिम्यूनरेशन हाई कोर्ट के एक जज को दिए गए वेतन से कम न हो, जब तक कि यह राज्य के सभी अफ्सरों पर लागू ओवरऑल औस्टेरिटी रिडक्शन का हिस्सा नहीं है ।

(6) डाइरेक्टर ओफ पब्लिक प्रोसेकुटीओन्स को ऑफिस के काम करने मे अस्मरथ होने के कारन ऑफिस से हटाया जा सकता है (शरिरिक , मनसिक या किसी और करन से उत्पन्न होने विलीदुर्बलता) या बद्सलूकी के लिये अन्येथा नही हटाये जा सकते ।

(7) डाइरेक्टर ओफ पब्लिक प्रोसेकुटीओन्स को ऑफिस से हटाने का प्रक्रिया उसी की तरह रहेगा जैसा प्रक्रिया सेक्शण 112 के निचे जैस न्यायिक अधिकारियो को हटाया जाता है ।

(8) डाइरेक्टर ओफ पब्लिक प्रोसेकुटीओन्स ये कर सकते है –

(a) आपराधिक कार्यवाही की सुरूअत और संचालन करे ;

(b) आपराधिक कार्यवाही जो कोई व्यक्ति या अथॉरिटीने सुरू की हो को लेले (सिर्फ फीजी इंडिपेंडेंट कमिशन अगेन्स्ड कोररूपटीओन कि सुरू की हुई कार्यवाही छोड कर) ; और

(c) आपराधिक कार्यवाही जिस को जनता के अभियोजन निर्देशक की हो, कोई और व्यक्ति या अयोग सुरूअत या संचालन कि हो असे निर्णय से पहेले बंद् कर दे ।

(d) कोई भी कार्यवाही जिस मे जनता की दिलचसपी ज़्यादा हो और उस से आपराधिक कार्यवाही या आपराधिक जाच मे दखल हो उस मे हस्तक्षेप करे ।

(9) अपनी शक्तियो को डाइरेक्टर ओफ पब्लिक प्रोसेकुटीओन्स खुद् उपयोग कर सकते है या और कोई वयक्ति जिसे डाइरेक्टर ओफ पब्लिक प्रोसेकुटीओन्स ने अज्ञा दि हो ।

(10) इस सेक्शण के निचे डाइरेक्टर ओफ पब्लिक प्रोसेकुटीओन्स अपने शक्तियो को उपयोग करते समय किसे भी व्यक्ति या अथॉरिटी के प्रधिकरण के निचे नही होगे ।

(11) डाइरेक्टर ओफ पब्लिक प्रोसेकुटीओन्स किसी भी कनूनी व्यवसयिई को चहे फीजी से या विदेश से किसी भी आपराधिक कार्यवाही के लिये एप्पोइंट कर सकते है ।

(12) डाइरेक्टर ओफ पब्लिक प्रोसेकुटीओन्स के पास एप्पोइंट, हटाने की और सभी कर्मचारियो की अनुशासन (प्रशासनिक कर्मचारि भी) की डाइरेक्टर ओफ पब्लिक प्रोसेकुटीओन्स के ऑफिस मे प्राधिकरण है ।

(13) डाइरेक्टर ओफ पब्लिक प्रोसेकुटीओन्स के पास ये प्रधिकरण है कि सभी मामलों पर सभी कर्मचारियो जो डाइरेक्टर ओफ पब्लिक प्रोसेकुटीओन्स के ऑफिस मे काम करते है उन के लिये निर्धार करे –

(a) नौकरी के नियम और शर्ते ;

(b) नियुक्ति के लिये योग्यता की ज़रूरत और नियुक्ति के लिये ऐसा प्रक्रिया की अनुवर्ती करे जो खुली , परदर्शी और प्रतिस्पर्धी हो ;

(c) संसद की स्वीकृनी किया हुवा बजट के मुताबिक वेतन, लाभ और भत्ते दे ; और

(d) संसद मे स्वीकृनी किय हुवा बजट के मुताबिक पुरे संगठन या पुरे गयर न्यायिक व्यक्तियो को नियुक्त कि ज़रूरत ।

(14) एक व्यक्ति जो डाइरेक्टर ओफ पब्लिक प्रोसेकुटीओन्स के ऑफिस मे कर्मचारि है उस की वेतन, लाभ और अल्लोवंळेस जो दिया जायेगा उस को कोंसोलीडटेड .फंड पे चाज किया जायेगा ।

(15) संसद ये सुनिश्चित करे कि डाइरेक्टर ओफ पब्लिक प्रोसेकुटीओन्स को पर्याप्त अनुदान और संसाधन कि प्रप्ती हो जिस से वह अपनी शक्तियो की इस्तमाल, और अपने कार्य और कर्तव्यो को निभाये ।

(16) इस सेक्शण मे " आपराधिक कार्यवाही " का मतलब है आपराधिक कार्यवाही किसी भी कोर्ट के समने (मिलिटरी कोर्ट को छोड कर) और अपील, बताये गये मामले या सुरक्षित कनून पे सवाल समिल ।

लीगल एड कमीशन

118.-(1) लीगल एड एक्ट 1996 के तहत स्थापित लीगल एड कमीशन अभी भी मौजूद है ।

(2) एक लिखित कानून द्वारा या के तहत निर्धारित नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार कमीशन उन लोगों को मुफ्त में कानूनी सेवाएं प्रदान करेगा जो एक लीगल प्रैक्टिशनर का खर्च नहीं सह सकते ।

(3) कमीशन की अथॉरिटी, कार्य और जिम्मेदारी लिखित कानून द्वारा निर्धारित होगी, और एक लिखित कानून कमीशन के लिए अतिरिक्त प्रावधान बनाएगा ।

(4) कमीशन अपनी प्रक्रिया को खुद रेगुलेट करेगा और अपने कार्यों के रेगुलेशन और फेसिलिटेशन के लिए उचित समझे गए कानून और रेगुलेशन्स बनाएगा ।

(5) अपने कार्यों को करने या अपनी अथॉरिटी और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कमीशन स्वतंत्र है और कोर्ट या निर्धारित लिखित कानून को छोड़कर किसी व्यक्ति या अथॉरिटी के निदेशन या नियंत्रण के अधीन नहीं है ।

(6) कमीशन में सभी कर्मचारियों (एडमिनिस्ट्रेटिव कर्मचारियों सहित) को नियुक्त करने, निकालने और अनुशासित करने के लिए कमीशन के पास अथॉरिटी है ।

(7) कमीशन के पास अथॉरिटी है कि वह कमीशन में सभी कर्मचारियों की नौकरी से संबंधित सभी मामलों को तय करे, जिनमें शामिल हैं –

(a) नौकरी के नियम और शर्तें;

(b) नियुक्ति के लिए योग्यता की ज़रूरतें और नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जो मेरिट पर आधारित खुली, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी हो;

(c) संसद द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार वेतन, लाभ और अलाउंसस; और

(d) संसद द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार नियुक्त किए जाने वाले आवश्यक कर्मचारियों की कुल संख्या ।

(8) कमीशन में कार्यरत किसी व्यक्ति को दिए जाने वाले वेतन, लाभ और अलाउंस को कंसॉलिडैटड फंड पर चार्ज किया जाएगा ।

(9) संसद यह सुनिश्चित करेगी कि कमीशन को पर्याप्त फंडिंग और संसाधनों की प्राप्ति हो ताकि वह अपने कार्यों और कर्त्तव्यों को स्वतंत्रता और कुशल ढंग से निभाए ।

(10) संसद की स्वीकृति के अनुसार कमीशन अपने बजट और फाइनेंसस का नियंत्रण खुद करेगा ।

(11) कमीशन अपने कार्यों और जिम्मेदारियों से संबंधित किसी भी मामले पर अटॉर्नी–जनरल को नियमित रूप से जानकारी और सलाह देगा ।

मेर्सी कमीशन

119.–(1) स्टेट सर्विसस डिक्री 2009 के तहत स्थापित कमीशन ऑन द प्रेरोगटिव ऑफ मेर्सी अब मेर्सी कमीशन के नाम से मौजूद रहेगी ।

(2) मेर्सी कमीशन शामिल रहेंगे –

(a) अटॉर्नी–जनरल जो इसके अध्यक्ष रहेंगे; और

(b) अटॉर्नी–जनरल के साथ परामर्श के बाद जुडिशल सर्विस कमीशन की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त चार अन्य सदस्य ।

(3) एक अपराधी सिद्ध व्यक्ति के पेटिशन पर, कमीशन सिफारिश करेगा कि राष्ट्रपति पावर ऑफ मेर्सी का प्रयोग करे –

(a) अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को पूरी क्षमा या सशर्त क्षमा अनुदान करे;

(b) किसी विशिष्ट अवधि या अनिश्चित अवधि के लिए सज़ा को स्थगित करे; या

(c) पूरी सज़ा या उसके एक भाग को क्षमा करे ।

(4) मेर्सी कमीशन एक पेटिशन जो उसके विचार में तुच्छ, अफसोसनाक और बिना कोई मेरिट का है, उसे खारिज कर सकता है लेकिन –

(a) उस मुकदमे की रिपोर्ट पर विचार करे –

(i) जिसे उस मुकदमे के जज ने तैयार की है;

(ii) जिसे चीफ जस्टिस ने तैयार की है अगर जज की रिपोर्ट नहीं मिलती है;

(b) मुकदमे की रिकॉर्ड से या कमीशन को प्राप्त अन्य जानकारियों पर विचार करे; और

(c) अपराधियों के विचारों को भी सुनना होगा ।

(5) राष्ट्रपति कमीशन की सिफारिशों के अनुसार कार्य करेगा ।

(6) सब्सेक्शन (2) के अनुच्छेद (d) और (e) में कमीशन के ज़िक्र किए गए सदस्य 3 सालों की अवधि के लिए नियुक्त होंगे और पुन: नियुक्ति के योग्य रहेंगे ।

(7) राष्ट्रपति, अटॉर्नी–जनरल से परामर्श के बाद जुडिशल सर्विस कमीशन की सिफारिश पर, एक व्यक्ति को किसी अवधि या सभी अवधियों के दौरान कमीशन के सदस्य के रूप में नियुक्त

कर सकता है, जब कमीशन की सदस्यता में जगह खाली है या जब एक सदस्य ऑफिस या फीजी से अनुपस्थित है या किसी भी कारण से ऑफिस के कार्य को संभाल नहीं सकता है ।

(8) सब्सेक्शन (2) के अनुच्छेद (b) में कमीशन के ज़िक्र किए गए सदस्य ऑफिस का काम करने की असमर्थता (शरीर या मन की दुर्बलता या किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने वाली) या दुर्व्यवहार के लिए ऑफिस से निकाले जाएंगे, अन्यथा नहीं निकाले जा सकते हैं ।

(9) सब्सेक्शन (2) के अनुच्छेद (b) में कमीशन के ज़िक्र किए गए सदस्यों को ऑफिस से निकालने के लिए उसी प्रक्रिया का पालन करना होगा जो सेक्शन 112 के तहत एक जुडिशल अफ्सर को निकालने के लिए प्रयोग की जाती है ।

(10) अपने कार्यों को करने या अपनी अथॉरिटी और शक्तियों का प्रयोग करने में कमीशन स्वतंत्र है और कोर्ट या निर्धारित लिखित कानून को छोड़कर किसी व्यक्ति या अथॉरिटी के निदेशन या नियंत्रण के अधीन नहीं है ।

(11) सब्सेक्शन (2) के अनुच्छेद (b) में कमीशन के ज़िक्र किए गए सदस्य अटॉनी-जनरल के साथ जुडिशल सर्विस कमीशन के परामर्श के बाद जुडिशल सर्विस कमीशन की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित रिम्यूनरेशन के हकदार हैं, और इस तरह के रिम्यूनरेशन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कि यह राज्य के सभी अफ्सरों पर लागू ओवरऑल औस्टेरिटी रिडक्शन का हिस्सा नहीं है ।

(12) कमीशन अपनी प्रक्रिया को खुद रेगुलेट करेगा और अपने कार्यों के रेगुलेशन और फेसिलिटेशन के लिए उचित समझे गए कानून और रेगुलेशन्स बनाएगा ।

(13) कमीशन की सभाओं के लिए कोरम के लिए अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य चाहिए ।

(14) कमीशन अपने कार्यों और जिम्मेदारियों से संबंधित किसी भी मामले पर संसद को नियमित रूप से जानकारी और सलाह देगा ।

पब्लिक सर्विस डिसिप्लिनरी ट्रायब्यूनल

120.-(1) यह सेक्शन पब्लिक सर्विस डिसिप्लिनरी ट्रायब्यूनल की स्थापना करता है ।

(2) ट्रायब्यूनल में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य रहेंगे जिनको अटॉर्नी जनरल से परामर्श के बाद जुडिशल सर्विस कमीशन की सलाह राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे ।

(3) ट्रायब्यूनल का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो एक जज है या एक जज बनने की

योग्यता रखता हो ।

(4) ट्रायब्यूनल के सदस्य 3 सालों की अवधि के लिए नियुक्त होंगे और पुन: नियुक्ति के योग्य रहेंगे ।

(5) राष्ट्रपति, अटॉर्नी-जनरल से परामर्श के बाद जुडिशल सर्विस कमीशन की सिफारिश पर, एक व्यक्ति को किसी अवधि या सभी अवधियों के दौरान कमीशन के सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकता है, जब कमीशन की सदस्यता में जगह खाली है या जब एक सदस्य ऑफिस या फीजी से अनुपस्थित है या किसी भी कारण से ऑफिस के कार्य को संभाल नहीं सकता है ।

(6) ट्रायब्यूनल के सदस्य ऑफिस का काम करने की असमर्थता (शरीर या मन की दुर्बलता या किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने वाली) या दुर्व्यवहार के लिए ऑफिस से निकाले जाएंगे, अन्यथा नहीं निकाले जा सकते हैं ।

(7) ट्रायब्यूनल के सदस्यों को ऑफिस से निकालने के लिए उसी प्रक्रिया का पालन करना होगा जो सेक्शन 112 के तहत एक जुडिशल अफ्सर को निकालने के लिए प्रयोग की जाती है ।

(8) ट्रायब्यूनल की अथॉरिटी, कार्य और जिम्मेदारी लिखित कानून द्वारा निर्धारित होगी, और एक लिखित कानून ट्रायब्यूनल के लिए अतिरिक्त प्रावधान बनाएगा ।

(9) लिखित कानून द्वारा दिए हुए कार्य के अतिरिक्त ट्रायब्यूनल को अनुशासनिक कदम की सुनवाई और उस पर निर्णय लेना होगा जिसे -

(a) पब्लिक सर्विस कमीशन - किसी पेरमानेंट सेक्रेटरी के खिलाफ दर्ज करते हैं; या

(b) एक पेरमानेंट सेक्रेटरी, सोलिसिटर-जनरल, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसेक्यूशन्स या संसद के सेक्रेटरी-जनरल - अपने मंत्रालय या ऑफिस में कार्यरत किसी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज करते हैं ।

(10) ट्रायब्यूनल का कोई भी निर्णय हाई कोर्ट में पुनर्विचार के लिए पेश किया जाएगा ।

(11) एक लिखित कानून ट्रायब्यूनल के लिए अतिरिक्त प्रावधान बनाएगा, जिसमें ट्रायब्यूनल के सामने होने वाली सुनवाई की प्रक्रिया होगी ।

(12) अपने कार्यों को करने या अपनी अथॉरिटी और शक्तियों का प्रयोग करने में ट्रायब्यूनल स्वतंत्र है और कोर्ट या निर्धारित लिखित कानून को छोड़कर किसी व्यक्ति या अथॉरिटी के निदेशन या नियंत्रण के अधीन नहीं है ।

(13) ट्रायब्यूनल के सदस्य अटॉनी-जनरल के साथ जुडिशल सर्विस कमीशन के परामर्श के बाद जुडिशल सर्विस कमीशन की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित रिम्यूनरेशन के हकदार हैं, और इस तरह के रिम्यूनरेशन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कि यह राज्य के सभी अफ्सरों पर लागू ओवरऑल औस्टेरिटी रिडक्शन का हिस्सा नहीं है ।

(14) ट्रायब्यूनल अपनी प्रक्रिया को खुद रेगुलेट करेगा और अपने कार्यों के रेगुलेशन और फेसिलिटेशन के लिए उचित समझे गए कानून और रेगुलेशन्स बनाएगा ।

(15) ट्रायब्यूनल अपने कार्यों और जिम्मेदारियों से संबंधित किसी भी मामले पर संसद को नियमित रूप से जानकारी और सलाह देगा ।

(16) ट्रायब्यूनल के सदस्यों को दिए जाने वाले वेतन, लाभ और अलाउंस को कंसॉलिडैटड फंड पर चार्ज किया जाएगा ।

(17) संसद यह सुनिश्चित करेगी कि ट्रायब्यूनल को पर्याप्त फंडिंग और संसाधनों की प्राप्ति हो ताकि वह अपने कार्यों और कर्त्तव्यों को स्वतंत्रता और कुशलता से निभाए ।

एकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी कमीशन

121.-(1) यह सेक्शन एकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी कमीशन की स्थापना करता है ।

(2) एकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी कमीशन में एक अध्यक्ष और दो सदस्य रहेंगे जिन्हें राष्ट्रपति अटॉर्नी-जनरल से परामर्श के बाद जुडिशल सर्विस कमीशन की सलाह पर नियुक्त करेंगे ।

(3) कमीशन का अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो एक जज है या एक जज के रूप में नियुक्त किए जाने योग्य है ।

(4) कमीशन के सदस्य 3 सालों की अवधि के लिए नियुक्त होंगे और पुन: नियुक्ति के योग्य रहेंगे ।

(5) राष्ट्रपति, अटॉर्नी-जनरल से परामर्श के बाद जुडिशल सर्विस कमीशन की सिफारिश पर, एक व्यक्ति को किसी अवधि या सभी अवधियों के दौरान कमीशन के सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकता है, जब कमीशन की सदस्यता में जगह खाली है या जब सदस्य ऑफिस या फीजी से अनुपस्थित है या किसी भी कारण से ऑफिस के कार्य को संभाल नहीं सकता है ।

(6) कमीशन के सदस्य ऑफिस का काम करने की असमर्थता (शरीर या मन की दुर्बलता या किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने वाली) या दुर्व्यवहार के लिए ऑफिस से निकाले जाएंगे, अन्यथा नहीं निकाले जा सकते हैं ।

(7) कमीशन के सदस्यों को ऑफिस से निकालने के लिए उसी प्रक्रिया का पालन करना होगा जो सेक्शन 112 के तहत एक जुडिशल अफ्सर को निकालने के लिए प्रयोग की जाती है ।

(8) एक लिखित कानून एकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी कमीशन की अथॉरिटी, कार्यों और जिम्मेदारी को निर्धारित करेगा, और एक लिखित कानून कमीशन के लिए अतिरिक्त प्रावधान बना सकता है ।

(9) एक लिखित कानून परमानेंट सेक्रेटरीज़ और पब्लिक ऑफिस संभाल रहे सभी व्यक्तियों के खिलाफ शिकायतों को प्राप्त करने और जाँच करने के लिए एकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी कमीशन को जुरिस्डिक्शन, अधिकार और शक्तियाँ प्रदान करेगा ।

(10) एकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी कमीशन अपने कार्यों को करने या अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा और अदालत या लिखित कानून को छोड़कर किसी भी व्यक्ति या अथॉरिटी की देखरेख या नियंत्रण के अधीन नहीं होगा ।

(11) कमीशन के सदस्य अटॉनी-जनरल के साथ जुडिशल सर्विस कमीशन के परामर्श के बाद जुडिशल सर्विस कमीशन की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित रिम्यूनरेशन के हकदार हैं, और इस तरह के रिम्यूनरेशन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कि यह राज्य के सभी अफ्सरों पर लागू ओवरऑल औस्टेरिटी रिडक्शन का हिस्सा नहीं है ।

(12) कमीशन अपनी प्रक्रिया को खुद रेगुलेट करेगा और अपने कार्यों के रेगुलेशन और फेसिलिटेशन के लिए उचित समझे गए कानून और रेगुलेशन्स बनाएगा ।

(13) कमीशन अपने कार्यों और जिम्मेदारियों से संबंधित किसी भी मामले पर संसद को नियमित रूप से जानकारी और सलाह देगा ।

(14) कमीशन के पास अथॉरिटी होगी कि वह कमीशन में कार्यरत सभी कर्मचारियों (एडमिनिस्ट्रेटिव कर्मचारी सहित) को नियुक्त करे, काम से निकाले और अनुशासित करे ।

(15) कमीशन के पास अथॉरिटी है कि वह कमीशन में सभी कर्मचारियों की नौकरी से संबंधित सभी मामलों को तय करे, जिनमें शामिल हैं -

(a) नौकरी के नियम और शर्तें;

(b) नियुक्ति के लिए योग्यता की ज़रूरतें और नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जो मेरिट पर आधारित खुली, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी हो;

(c) संसद द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार वेतन, लाभ और अलाउंसस; और

(d) संसद द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार नियुक्त किए जाने वाले आवश्यक कर्मचारियों की कुल संख्या ।

(16) कमीशन के सदस्यों को दिए जाने वाले वेतन, लाभ और अलाउंस को कंसॉलिडैटड फंड पर चार्ज किया जाएगा ।

(17) संसद यह सुनिश्चित करेगी कि कमीशन को पर्याप्त फंडिंग और संसाधनों की प्राप्ति हो ताकि वह अपने कार्यों और कर्त्तव्यों को स्वतंत्रता और कुशलता से निभाए ।

(18) संसद की स्वीकृति के अनुसार कमीशन अपने बजट और फाइनेंसस का नियंत्रण खुद करेगा ।

मौजूदा नियुक्तियाँ

122. इस संविधान के प्रारंभ से पहले की गई नियुक्ति के तहत एक व्यक्ति पर अपने पद पर जारी रहने के लिए, जिसके लिए इस चेप्टर में प्रावधान है, इस चेप्टर का कुछ भी असर नहीं करता है ।

चेप्टर 6–राज्य सेवा

पार्ट A–पब्लिक सर्विस

मूल्य और सिद्धांत

123.–(1) राज्य सेवा के मूल्यों और सिद्धांतों में शामिल हैं –

(a) ईमानदारी से सरकार की नीतियों का पालन करना और कानून को लागू करना;

(b) भ्रष्टाचार से मुक्त रहना;

(c) व्यावसायिकता के उच्च मानकों का पालन करना, व्यावसायिक नैतिकता और सच्चाई के साथ;

(d) सरकार की नीति और कानूनों को शीघ्र लागू करना;

(e) सार्वजनिक संसाधनों का कुशल, प्रभावी और आर्थिक उपयोग करना;

(f) जनता के अनुरोधों और सवालों पर शीघ्र प्रतिक्रिया व्यक्त करना, और सम्मानित, प्रभावी, निष्पक्ष, उचित, और न्यायसंगत ढंग से जनता तक सेवा पहुँचाना;

(g) प्रशासनिक आचरण के लिए उत्तरदायी होना;

(h) पारदर्शी होना, साथ में –

(i) जनता को समय पर, सही जानकारी देना; और
(ii) कानून द्वारा अपेक्षित, संसद को शीघ्र, पूर्ण और स्पष्ट रूप से रिपोर्ट करना;

(i) मानव क्षमता को अधिकतम करने के लिए, अच्छे मानव संसाधन प्रबंधन और कैरियर के विकास कार्यों को विकसित करना; और

(j) इनके आधार पर भर्ती और पदोन्नति करना –

(i) वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, और
(ii) क्षमता, शिक्षा, अनुभव और योग्यता की अन्य विशेषताएँ ।

पब्लिक अफ्सर देश के नागरिक होने चाहिए

124. एक व्यक्ति या प्राधिकारी जिसके पास एक व्यक्ति को एक पब्लिक ऑफिस (उस ऑफिस को छोड़कर जिसके लिए चेप्टर 5 में प्रोविज़न है) में नियुक्त करने की शक्ति है ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकता जो नागरिक नहीं है जब तक कि प्रधान मंत्री की सहमति न हो ।

पब्लिक सर्विस कमीशन

125.-(1) स्टेट सर्विसेज़ डिक्री 2009 के तहत स्थापित पब्लिक सर्विस कमीशन अभी भी मौजूद है ।

(2) पब्लिक सर्विस कमीशन में -

(a) एक अध्यक्ष; और
(b) न 3 से कम और न 5 से अधिक अन्य सदस्य शामिल हैं,

जिनकी नियुक्ति कोन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस कमीशन की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ।

(3) अगर पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष का पद खाली है या अध्यक्ष अपने ऑफिस से या फीजी से अनुपस्थित है या, किसी भी अन्य कारण से, ऑफिस का काम करने में असमर्थ है, तब राष्ट्रपति, कोन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस कमीशन की सलाह पर, एक व्यक्ति को पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं ।

(4) राष्ट्रपति, कोन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस कमीशन की सलाह पर, एक व्यक्ति को पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य के रूप में किसी भी समय के लिए, या सभी समय के लिए नियुक्त कर सकता है, जब सदस्य अपने ऑफिस से या फीजी से अनुपस्थित है या, किसी भी अन्य कारण के लिए, ऑफिस का काम करने में असमर्थ है ।

पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्य

126.-(1) इस चेप्टर और इस संविधान के अन्य चेप्टरों के तहत, पब्लिक सर्विस कमीशन के निम्नलिखित काम होंगे -

(a) प्रधान मंत्री की सहमति पर, परमानेंट सेक्रेटरियों की नियुक्ति करना;

(b) प्रधान मंत्री की सहमति पर, परमानेंट सेक्रेटरियों को पद से हटाना;

(c) परमानेंट सेक्रेटरियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करना; और

(d) इस तरह की अन्य नियुक्तियाँ करना और लिखित कानून द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य कर्तव्यों, कामों और जिम्मेदारियों को निभाना ।

(2) पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यक्षेत्र में ये सब शामिल नहीं हैं –

(a) एक जज का ऑफिस या एक ऑफिस जो जुडिशल सर्विस कमीशन की जिम्मेदारी है;

(b) एक ऑफिस जो लिखित कानून के तहत किसी अन्य संस्था की जिम्मेदारी है;

(c) रिपब्लिक ओफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़, फीजी पुलिस फोर्स या फीजी कोरेक्शन्स सर्विस का एक ऑफिस; या

(d) एक ऑफिस जिसके लिए इस संविधान में प्रोविज़न है ।

परमानेंट सेक्रेटरीस

127.–(1) प्रत्येक मंत्रालय में परमानेंट सेक्रेटरी का एक ऑफिस स्थापित है, जो पब्लिक सर्विस के लिए है ।

(2) प्रत्येक मंत्रालय एक परमानेंट सेक्रेटरी की देखरेख में रहेगा, और सरकार का कोई भी विभाग जो किसी भी मंत्रालय के नीचे नहीं है प्रधान मंत्री के ऑफिस के लिए जिम्मेदार परमानेंट सेक्रेटरी की देखरेख में रहेगा ।

(3) एक मंत्रालय का परमानेंट सेक्रेटरी मंत्रालय या मंत्रालय के नीचे किसी भी विभाग के कुशल, प्रभावी और आर्थिक प्रबंधन के लिए संबंधित मंत्री को उत्तरदायी होगा ।

(4) प्रधान मंत्री किसी भी समय राज्य के विभिन्न मंत्रालयों के बीच में एक या एक से अधिक परमानेंट सेक्रेटरियों को पुन: नियुक्त कर सकते हैं ।

(5) एक परमानेंट सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखित नोटिस देकर ऑफिस से इस्तीफा दे सकता है ।

(6) एक परमानेंट सेक्रेटरी प्रधान मंत्री की सहमति से पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा निर्धारित रिम्यूनरेशन का हकदार है, और इस तरह के रिम्यूनरेशन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं

होगा, जब तक कि यह राज्य के सभी अफ्सरों पर लागू ओवरऑल औस्टेरिटी रिडक्शन का हिस्सा नहीं है ।

(7) मंत्रालय के लिए जिम्मेदार मंत्री की सहमति से प्रत्येक मंत्रालय के परमानेंट सेक्रेटरी के पास मंत्रालय के सभी कर्मचारियों को नियुक्त करने, निकालने और उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने का अधिकार होगा ।

(8) मंत्रालय के लिए जिम्मेदार मंत्री की सहमति से प्रत्येक मंत्रालय के परमानेंट सेक्रेटरी के पास मंत्रालय के सभी कर्मचारियों के रोजगार से संबंधित सभी मामलों को तय करने का अधिकार है, जिनमें शामिल हैं –

(a) रोजगार के नियम और शर्तें;

(b) नियुक्ति के लिए आवश्यक क्वालिविकेशन और नियुक्ति प्रक्रिया जो एक ऑपन, पारदर्शी, और प्रतिस्पर्धात्मक चयन प्रक्रिया होनी चाहिए और सेलेक्शन योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए;

(c) संसद द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार वेतन, बेनिफिट्स और अलाउंस; और

(d) संसद द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार नियुक्त किए जाने वाले आवश्यक कर्मचारियों की कुल संख्या ।

राजदूतों की नियुक्ति

128.–(1) प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री की सलाह पर, किसी दूसरे देश या एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के लिए राजदूतों या प्रमुख प्रतिनिधि की नियुक्तियाँ कर सकते हैं ।

(2) प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री की सलाह पर, सब्सेक्शन (१) में उल्लिखित ऑफिस से एक व्यक्ति को निकाल सकते हैं ।

पार्ट B–डिसिप्लिन फोर्सेज़

फीजी पुलिस फोर्स

129.–(1) लिखित कानून के तहत स्थापित फीजी पुलिस फोर्स अभी भी मौजूद है ।

(2) स्टेट सर्विसेज़ डिक्री 2009 के तहत स्थापित पुलिस कमिश्नर का ऑफिस अभी भी मौजूद है ।

(3) फीजी पुलिस फोर्स पुलिस कमिश्नर की देखरेख में रहेगा ।

(4) फीजी पुलिस फोर्स के लिए जिम्मेदार मंत्री से परामर्श के बाद कोन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस कमीशन की सलाह पर पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ।

(5) पुलिस कमिश्नर –

(a) फीजी पुलिस फोर्स के गठन और प्रशासन; तथा

(b) डिप्लॉयमेंट और संचालन के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है,

और, सब्सेक्शन (6) के तहत, उन मामलों के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा निदेशन या नियंत्रण के अधीन नहीं है ।

(6) फीजी पुलिस फोर्स के लिए जिम्मेदार मंत्री समय–समय पर पुलिस कमिश्नर को सामान्य नीति निर्देश दे सकता है और अगर इस तरह का कोई भी निर्देश जारी किया गया है तो पुलिस कमिश्नर को उसके अनुसार काम करना होगा ।

(7) पुलिस कमिश्नर के पास फीजी पुलिस फोर्स के सभी रैंकों, सदस्यों और अन्य कर्मचारियों से संबंधित निम्नलिखित शक्तियाँ हैं –

(a) फीजी पुलिस फोर्स में व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(b) फीजी पुलिस फोर्स से व्यक्तियों को निकालना; और

(c) फीजी पुलिस फोर्स में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करना ।

और फीजी पुलिस फोर्स पर लागू सभी लिखित कानूनों का पालन किया जाएगा ।

(8) फीजी पुलिस फोर्स के लिए जिम्मेदार मंत्री की सहमति से पुलिस कमिश्नर के पास फीजी पुलिस फोर्स के सभी कर्मचारियों के रोजगार से संबंधित सभी मामलों को तय करने का अधिकार है, जिनमें शामिल हैं –

(a) रोजगार के नियम और शर्तें;

(b) नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता और नियुक्ति प्रक्रिया जो एक ऑपन, पारदर्शी, और प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया होनी चाहिए और सेलेक्शन योग्यता के

आधार पर किया जाना चाहिए;

(c) संसद द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार वेतन, बेनिफिट्स और अलाउंस; और

(d) संसद द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार नियुक्त किए जाने वाले आवश्यक कर्मचारियों की कुल संख्या ।

(9) एक लिखित कानून फीजी पुलिस फोर्स से संबंधित प्रोविज़नों को निर्धारित कर सकता है ।

फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस

130.-(1) एक लिखित कानून के तहत स्थापित फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस अभी भी मौजूद है ।

(2) स्टेट सर्विसेज़ डिक्री 2009 के तहत स्थापित कमिश्नर ओफ कोर्रेक्शन्स का ऑफिस अभी भी मौजूद है ।

(3) फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस कमिश्नर ओफ कोर्रेक्शन्स की देखरेख में है ।

(4) फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस के लिए जिम्मेदार मंत्री से परामर्श के बाद कोन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस कमीशन की सलाह पर फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस के कमिश्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ।

(5) कमिश्नर ओफ कोर्रेक्शन्स -

(a) फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस के गठन और प्रशासन; तथा

(b) डिप्लॉयमेंट और संचालन के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है,

और, सब्सेक्शन (6) के तहत, उन मामलों के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा निदेशन या नियंत्रण के अधीन नहीं है ।

(6) फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस के लिए जिम्मेदार मंत्री समय-समय पर फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस से संबंधित सामान्य नीति निर्देश दे सकता है और अगर इस तरह का कोई भी निर्देश जारी किया गया है तो कमिश्नर ओफ कोर्रेक्शन्स को उसके अनुसार काम करना होगा ।

(7) फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस के कमिश्नर के पास फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस के सभी रैंकों, सदस्यों और अन्य कर्मचारियों से संबंधित निम्नलिखित शक्तियाँ हैं -

(a) फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस में व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(b) फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस से व्यक्तियों को निकालना; और

(c) फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करना ।

और फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस पर लागू सभी लिखित कानूनों का पालन किया जाएगा ।

(8) फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस के लिए जिम्मेदार मंत्री की सहमति से फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस के कमिश्नर के पास फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस के सभी कर्मचारियों के रोजगार से संबंधित सभी मामलों को तय करने का अधिकार है, जिनमें शामिल हैं –

(a) रोजगार के नियम और शर्तें;

(b) नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता और नियुक्ति प्रक्रिया जो एक ऑपन, पारदर्शी, और प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया होनी चाहिए और सेलेक्शन योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए;

(c) संसद द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार वेतन, बेनिफिट्स और अलाउंस; और

(d) संसद द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार नियुक्त किए जाने वाले आवश्यक कर्मचारियों की कुल संख्या ।

(9) एक लिखित कानून फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस से संबंधित प्रोविज़नों को निर्धारित कर सकता है ।

रिपब्लिक ऑफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़

131.-(1) स्टेट सर्विसेज़ डिक्री 2009 के तहत स्थापित रिपब्लिक ओफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ अभी भी मौजूद है ।

(2) हर समय फीजी तथा उसके सभी निवासियों की सुरक्षा, बचाव और भलाई को सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी रिपब्लिक ओफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ की होगी ।

(3) रिपब्लिक ओफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ के कमांडर के पास रिपब्लिक ओफ फीजी

मिलिट्री फोर्सेज़ के मिलिट्री एग्जीक्यूटिव कमांड की जिम्मेदारी होगी ।

(4) रिपब्लिक ओफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ के लिए जिम्मेदार मंत्री से परामर्श के बाद कोन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस कमीशन की सलाह पर रिपब्लिक ओफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ के कमांडर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ।

(5) रिपब्लिक ओफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ के कमांडर के पास रिपब्लिक ओफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ के सभी रैंकों, सदस्यों और अन्य कर्मचारियों से संबंधित निम्नलिखित शक्तियाँ हैं –

(a) रिपब्लिक ओफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ में व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(b) रिपब्लिक ओफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ से व्यक्तियों को निकालना; और

(c) रिपब्लिक ओफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करना ।

और रिपब्लिक ओफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ पर लागू सभी लिखित कानूनों का पालन किया जाएगा ।

(6) रिपब्लिक ओफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ के लिए जिम्मेदार मंत्री की सहमति से, रिपब्लिक ओफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ के कमांडर के पास रिपब्लिक ओफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ के सभी कर्मचारियों के रोजगार से संबंधित सभी मामलों को तय करने का अधिकार है, जिनमें शामिल हैं –

(a) रोजगार के नियम और शर्तें;

(b) नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता और नियुक्ति प्रक्रिया जो एक ऑपन, पारदर्शी, और प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया होनी चाहिए और सेलेक्शन योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए;

(c) संसद द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार वेतन, बेनिफिट्स और अलाउंस; और

(d) संसद द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार नियुक्त किए जाने वाले आवश्यक कर्मचारियों की कुल संख्या ।

(9) एक लिखित कानून फीजी कोर्रेक्शन्स सर्विस से संबंधित प्रोविज़नों को निर्धारित कर सकता है ।

(6) एक लिखित कानून रिपब्लिक ओफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ से संबंधित प्रोविज़नों को निर्धारित कर सकता है ।

पार्ट C–कोन्स्टिट्यूशनल ऑफिसस कमीशन

कोन्स्टिट्यूशनल ऑफिसस कमीशन

132.–(1) यह सेक्शन कोन्स्टिट्यूशनल ऑफिसस कमीशन को स्थापित करता है ।

(2) कोन्स्टिट्यूशनल ऑफिसस कमीशन में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे –

(a) प्रधान मंत्री, जो इसके अध्यक्ष रहेंगे;

(b) विपक्ष का नेता;

(c) अटोर्नी–जनरल;

(d) प्रधान मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 2 व्यक्ति; और

(e) विपक्ष के नेता की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 1 व्यक्ति ।

(3) कमीशन अपनी प्रक्रिया को खुद रेगुलेट करेगा और अपने कार्यों के रेगुलेशन और फेसिलिटेशन के लिए उचित समझे गए कानून और रेगुलेशन्स बनाएगा ।

(4) कमीशन अपने कार्यों और जिम्मेदारियों से संबंधित किसी भी मामले पर संसद को नियमित रूप से जानकारी और सलाह देगा ।

(5) अपने कार्यों को करने या अपनी अथॉरिटी और शक्तियों का प्रयोग करने में कमीशन स्वतंत्र है और कोर्ट या निर्धारित लिखित कानून को छोड़कर किसी व्यक्ति या अथॉरिटी के निदेशन या नियंत्रण के अधीन नहीं है ।

(6) कमीशन की सभाओं के लिए कोरम के लिए अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य चाहिए ।

(7) सोलिसिटर–जनरल कमीशन के सेक्रेटरी रहेंगे ।

(8) सब्सेक्शन (2) के अनुच्छेद (d) और (e) में कमीशन के ज़िक्र किए गए सदस्य तीन सालों की अवधि के लिए पद संभालेंगे और पुन: नियुक्ति के योग्य रहेंगे ।

(9) सब्सेक्शन (2) के अनुच्छेद (d) और (e) में कमीशन के ज़िक्र किए गए सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित रिम्यूनरेशन और अलाउंस के हकदार हैं, और इस तरह के रिम्यूनरेशन और अलाउंस में उनकी कार्यावधि के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कि यह राज्य के सभी अफ्सरों पर लागू ओवरऑल औस्टेरिटी रिडक्शन का हिस्सा नहीं है ।

(10) सब्सेक्शन (2) के अनुच्छेद (d) या (e) में कमीशन के ज़िक्र किए गए सदस्य ऑफिस का काम करने की असमर्थता (शरीर या मन की दुर्बलता या किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने वाली) या दुर्व्यवहार के लिए ऑफिस से निकाले जाएंगे, अन्यथा नहीं निकाले जा सकते हैं ।

(11) सब्सेक्शन (12) के अनुच्छेद (d) या (e) में कमीशन के ज़िक्र किए गए के सदस्यों को सब्सेक्शन (12) के अनुसार ऑफिस से निकालना होगा ।

(12) अगर चीफ जस्टिस, अटॉर्नी–जनरल के साथ परामर्श के बाद, मानता है कि सब्सेक्शन (2) के अनुच्छेद (d) या (e) में कमीशन के ज़िक्र किए गए सदस्य को ऑफिस से निकालने वाले कदम की जाँच होनी चाहिए, तब –

(a) जीफ जस्टिस –

(i) दुर्व्यवहार के मामले के लिए – एक ट्रायब्यूनल की नियुक्ति करता है जिसमें एक अध्यक्ष और कम से कम दो सदस्य होंगे, जिनका चयन उन व्यक्तियों में से होगा जो जज का ऑफिस संभाल रहे हैं या संभालने के लिए योग्य हैं; और

(i) ऑफिस के कार्य को करने की असमर्थता के मामले के लिए – एक मेडिकल बोर्ड की नियुक्ति करता है जिसमें एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे, सभी योग्य मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे;

(b) ट्रायब्यूनल या मेडिकल बोर्ड मामले की जाँच करता है और राष्ट्रपति को एक लिखित रिपोर्ट देता है और राष्ट्रपति को सलाह देता है कि क्या सब्सेक्शन (2) के अनुच्छेद (d) या (e) में कमीशन के ज़िक्र किए गए सदस्य को ऑफिस से निकालना चाहिए या नहीं ।

(c) सब्सेक्शन (2) के अनुच्छेद (d) या (e) में कमीशन के ज़िक्र किए गए सदस्य को क्या ऑफिस से निकालना चाहिए या नहीं, इसके लिए राष्ट्रपति को ट्रायब्यूनल या मेडिकल बोर्ड की सलाह के अनुसार फैसला करना होगा ।

(13) अटॉर्नी-जनरल के साथ चीफ जस्टिस के परामर्श के बाद चीफ जस्टिस की सलाह पर राष्ट्रपति, उचित समझे गए नियमों और शर्तों के तहत, सब्सेक्शन (2) के अनुच्छेद (d) या (e) में कमीशन के ज़िक्र किए गए सदस्य को सब्सेक्शन (12) के तहत ट्रायब्यूनल या मेडिकल बोर्ड की नियुक्ति और जाँच तक ऑफिस से ससपेंड करेगा, और किसी भी समय, ससपेंशन को रद्द कर सकता है ।

(14) सब्सेक्शन (13) के तहत सब्सेक्शन (2) के अनुच्छेद (d) या (e) में कमीशन के ज़िक्र किए गए सदस्य के ससपेंशन को हटा दिया जाता है अगर राष्ट्रपति तय करता है कि व्यक्ति को ऑफिस से नहीं हटाना चाहिए ।

(15) ट्रायब्यूनल की रिपोर्ट या मेडिकल बोर्ड की सिफारिश, जो भी उपयुक्त हो, सब्सेक्शन (12) के तहत जनता को मिलनी चाहिए ।

कोन्स्टिट्यूशनल ऑफिसस कमीशन के कार्य

(133) कोन्स्टिट्यूशनल ऑफिसस कमीशन के कार्य और जिम्मेदारियाँ इस संविधान या किसी अन्य लिखित कानून द्वारा निर्धारित हैं, और निम्नलिखित ऑफिसस की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए जिम्मेदार होगा –

(a) ह्यूमन राइट्स एंड एंटी-डिस्क्रिमिनेशन कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य;

(b) इलेक्टोरल कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य;

(c) सुपरवाइज़र ऑफ इलेक्शन्स;

(d) संसद के सेक्रेटरी-जनरल;

(e) पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य;

(f) पुलिस कमिश्नर;

(g) फीजी कोरेक्शन्स सर्विस के कमिश्नर;

(h) रिपब्लिक ओफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ के कमांडर;

(i) ओडिटर-जनरल; और

(j) रिज़र्व बैंक ऑफ फीजी के गवर्नर ।

पार्ट D-पब्लिक ऑफिसस से संबंधित सामान्य प्रावधान

एप्लीकेशन

134. यह भाग इन लोगों पर लागू है -

(a) सुपरवाइजर ओफ इलेक्शन्स;

(b) संसद के सेक्रेटरी-जनरल;

(c) पुलिस कमिश्नर;

(d) फीजी कोरेक्शन्स सर्विस के कमिश्नर;

(e) रिपब्लिक ओफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ के कमांडर;

(f) ओडिटर-जनरल;

(g) रिज़र्व बैंक ऑफ फीजी के गवर्नर;

(h) ह्यूमन राइट्स एंड एंटी-डिस्क्रिमिनेशन कमीशन के सदस्य;

(i) इलेक्टोरल कमीशन के सदस्य; और

(j) पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य

ऑफिस के नियम और शर्तें

135.-(1) सेक्शन 134 के तहत अनुच्छेद (a) से (g) में उल्लिखित सदस्य 5 सालों की अवधि के लिए पद संभालेंगे और फिर से नियुक्ति के लिए योग्य रहेंगे ।

(2) सेक्शन 134 के तहत अनुच्छेद (h) से (j) में उल्लिखित सदस्य 3 सालों की अवधि के लिए पद संभालेंगे और फिर से नियुक्ति के लिए योग्य रहेंगे ।

(3) एक व्यक्ति की नियुक्ति, जिस पर यह भाग लागू है, निर्धारित नियमों और शर्तों (यदि हो तो) के अधीन है ।

(4) अपने कर्तव्यों या कार्यों को करने या अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक व्यक्ति, जिस पर यह भाग लागू है, इस संविधान या एक लिखित कानून को छोड़कर, किसी भी व्यक्ति की देखरेख या नियंत्रण के अधीन नहीं है ।

रिम्यूनरेशन और अलाउंसस

136.-(1) एक व्यक्ति जिस पर यह भाग लागू है कोन्स्टिट्यूशनल ऑफिसस कमीशन की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित रिम्यूनरेशन और अलाउंसस का हकदार है, और रिम्यूनरेशन और अलाउंसस उसकी कार्यावधि के दौरान कम नहीं होना चाहिए, जब तक कि यह राज्य के सभी अफ्सरों पर लागू ओवरऑल औस्टेरिटी रिडक्शन का हिस्सा नहीं है ।

(2) यह भाग जिस व्यक्ति पर लागू है उसको दिए जाने वाले रिम्यूनरेशन और अलाउंसस पर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कोन्स्टिट्यूशनल ऑफिसस कमीशन को एक स्वतंत्र समिति (कोई सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं हो) स्थापित करनी होगी जो कोन्स्टिट्यूशनल ऑफिसस कमीशन को उचित रिम्यूनरेशन और अलाउंसस पर सलाह देगी ।

किसी कारण से पद से हटाया जाना

137.-(1) एक व्यक्ति जिस पर यह भाग लागू है अपने ऑफिस के कार्यों को करने की असमर्थता (शरीर या मन की दुर्बलता या अन्य किसी कारण से) या दुर्व्यवहार के कारण हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता है ।

(2) इस सेक्शन के अनुसार ही ऑफिस से हटाया जाना चाहिए ।

(3) अगर कोन्स्टिट्यूशनल ऑफिसस कमीशन मानता है कि पद से हटाने वाले कदम की जाँच की जानी चाहिए, तो -

(a) कोन्स्टिट्यूशनल ऑफिसस कमीशन -

(i) दुर्व्यवहार के मामले में - एक ट्रायब्यूनल को नियुक्त करता है जिसमें एक अध्यक्ष और कम से कम 2 ऐसे सदस्य होंगे जो जज हैं या जज का पद संभालने के योग्य हैं; और

(ii) ऑफिस के कार्यों को करने की असमर्थता के मामले में – एक मेडिकल बोर्ड को नियुक्त करता है जिसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होंगे जो योग्य मेडिकल प्रेक्टिशनस हैं;

(b) ट्रायब्यूनल या मेडिकल बोर्ड मामले की जाँच करता है और तथ्यों की एक लिखित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और अपनी सिफारिश पर राष्ट्रपति को सलाह देता है कि क्या संबंधित व्यक्ति को काम से हटा दिया जाना चाहिए या नहीं; और

(c) यह फैसला करते वक्त कि क्या ऑफिस से व्यक्ति को हटाया जाए या नहीं, राष्ट्रपति को ट्रायब्यूनल या मेडिकल बोर्ड (जैसा भी मामला हो) की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए ।

(4) कोन्स्टिट्यूशनल ऑफिसस कमीशन की सलाह पर राष्ट्रपति, उचित समझे गए नियमों और शर्तों के आधार पर, सब्सेक्शन (3) के तहत, संबंधित व्यक्ति को जाँच के लिए और ट्रायब्यूनल या मेडिकल बोर्ड की नियुक्ति तक ऑफिस से ससपेंड कर सकता है और किसी भी समय संसपेंशन को रद्द कर सकता है ।

(5) सब्सेक्शन (4) के तहत कार्यालय से संसपेंड किए गए व्यक्ति का संसपेंशन असर में नहीं आएगा अगर राष्ट्रपति निर्धारित करता है कि व्यक्ति को नहीं हटाया जाना चाहिए ।

(6) कोन्स्टिट्यूशनल ऑफिसस कमीशन ट्रायब्यूनल या मेडिकल बोर्ड की सिफारिशों की रिपोर्ट आम जनता को देगा ।

कमीशन्स और ट्रायब्यूनल्स के कार्यों का किया जाना

138.–(1) यह सेक्शन इन पर लागू होता है –

(a) ह्यूमन राइट्स एंड एंटी–डिस्क्रिमिनेशन कमीशन;

(b) इलेक्टोरल कमीशन;

(c) जुडिशल सर्विस कमीशन;

(d) लीगल एड कमीशन;

(e) मेर्सी कमीशन;

(f) पब्लिक सर्विस डिसिप्लिनरी ट्रायब्यूनल;

(g) एकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी कमीशन;

(h) पब्लिक सर्विस कमीशन;

(i) कोन्स्टिट्यूशनल ऑफिसस कमीशन; और

(j) किसी व्यक्ति को ऑफिस से निकाले जाने वाले मामले पर विचार करने के लिए इस संविधान के तहत स्थापित कोई ट्रायब्यूनल या मेडिकल बोर्ड ।

(2) एक कमीशन, ट्रायब्यूनल या बोर्ड जिनपर यह सेक्शन लागू करता है अपने कार्यों के रेगुलेशन और फेसिलिटेशन के लिए एक रेगुलइशन द्वारा प्रावधान बना सकता है ।

(3) एक कमीशन, ट्रायब्यूनल या बोर्ड जिनपर यह सेक्शन लागू करता है के किसी फैसले पर अधिकतर सदस्यों की स्वीकृति की आवश्यकता है और एक सदस्य की अनुपस्थिति के बावजूद कमीशन अपना कार्य कर सकता है लेकिन अगर किसी विशेष मामले पर वोट करने के लिए समान वोट डाली गई है तो जो व्यक्ति प्रिसाइड करता है उसे वोट डालना होगा ।

(4) इस सेक्शन के तहत एक कमीशन, ट्रायब्यूनल या बोर्ड जिनपर यह सेक्शन लागू है अपनी प्रक्रियाओं को रेगुलइट कर सकता है ।

(5) अपने कर्तव्यों या कार्यों को करने या अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक कमीशन, ट्रायब्यूनल या बोर्ड जिनपर यह सेक्शन लागू है, इस संविधान को छोड़कर, किसी भी व्यक्ति या अथोरिटी की देखरेख या नियंत्रण के अधीन नहीं है ।

(6) सब्सेक्शन (5) में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्य सेवा की संरचना के लिए सरकार की जिम्मेदारी या राज्य सेवा के प्रबंधन के लिए सरकार की सामान्य नीति जिम्मेदारी को सीमित करता है ।

(7) इस संविधान द्वारा या के तहत सौंपे गए कार्यों के अतिरिक्त, एक कमीशन, ट्रायब्यूनल या बोर्ड जिनपर यह सेक्शन लागू है के पास लिखित कानून द्वारा निर्धारित अन्य शक्तियाँ और कार्य (अगर है) हैं ।

(8) एक कमीशन, ट्रायब्यूनल या बोर्ड जिनपर यह सेक्शन लागू है के व्यापार की लेन-देन की वैधता पर असर नहीं पड़ता है अगर जिसने इस कार्यवाही में भाग लिया है ऐसा करने के लिए हकदार नहीं था ।

(9) एक कमीशन, ट्रायब्यूनल या बोर्ड जिनपर यह सेक्शन लागू है के पास हाई कोर्ट के समान गवाहों की उपस्थिति और इक्ज़ेमीनइशन (शपथ प्रशासन और विदेशी गवाहों के इक्ज़ेमीनइशन सहित) तथा दस्तावेज़ों के प्रकाशन से संबंधित समान शक्तियाँ हैं ।

चेप्टर 7–रेवेन्यू और खर्च

रेवेन्यू को बढ़ाना

139.–(1) सरकार द्वारा रेवेन्यू या धन को बढ़ाना, चाहे टेक्स लगाने के माध्यम से या अन्यथा, एक लिखित कानून द्वारा प्राधिकृत या के तहत किया जाना चाहिए ।

(2) लिखित रूप में कानून द्वारा निर्धारित होने के अलावा, कोई भी टेक्स या शुल्क, राज्य द्वारा लागू, माफ या बदला नहीं जा सकता ।

(3) अगर एक लिखित कानून किसी टेक्स या शुल्क की माफी या बदलाव की परमिट देता है तो –

(a) प्रत्येक माफी या बदलाव का एक रिकार्ड उसके कारण के साथ रखा जाना चाहिए; और

(b) प्रत्येक माफी या बदलाव, और उसके कारण, के बारे में ओडिटर–जनरल को सूचित किया जाना चाहिए ।

(4) कोई भी कानून किसी पब्लिक अफ्सर को टेक्स या शुल्क के भुगतान से छूट या छूट के लिए प्राधिकृत नहीं कर सकता –

(a) उस पब्लिक अफ्सर द्वारा संभाले जा रहे ऑफिस; या

(b) पब्लिक अफ्सर के कार्य के कारण ।

कंसॉलिडैटड फंड

140.–(1) राज्य या सरकार के लिए बढ़ाए गए या प्राप्त सभी रेवेन्यू या धन को एक कंसॉलिडैटड फंड में जमा किया जाना चाहिए ।

(2) किसी विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित किसी अन्य फंड में लिखित कानून के तहत जमा किए जाने वाले रेवेन्यू या धन पर सब्सेक्शन (1) लागू नहीं है या अगर एक लिखित कानून के तहत रेवेन्यू या धन को पाने वाली अथोरिटी अपने खर्च को चुकाने के प्रयोजन से रखती है ।

कानून द्वारा अधिकृत किए जाने वाले अप्रोप्रिएशन्स

141. कानून द्वारा बनाए गए किसी अप्रोप्रिएशन को छोड़कर, कंसॉलिडैटड फंड या सब्सेक्शन 132 (2) में उल्लिखित किसी फंड से धन निकाला नहीं जा सकता है ।

अप्रोप्रिएशन के एडवांस में खर्च की स्वीकृति

142.-(1) अगर किसी वर्ष का अप्रोप्रिएशन एक्ट साल की शुरूआत में लागू नहीं हुआ है, तो वित्त मंत्री, किसी भी लिखित कानून की निर्धारित शर्तों के तहत, सरकार की साधारण सेवाओं के लिए कंसॉलिडैटड फंड से धन निकालने का प्राधिकार दे सकता है ।

(2) सब्सेक्शन (1) के तहत जो कुल राशि निकालने के लिए प्राधिकृत है वह पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में सरकार की साधारण सेवाओं के लिए बनाए गए अप्रोप्रिएशन के एक-तिहाई से अधिक नहीं होना चाहिए ।

अप्रोप्रिएशन और टेक्सिंग कार्यवाहियों के लिए मंत्री की सहमति आवश्यक

143. कोई भी लिखित कानून, जो -

(a) रेवेन्यू या धन को अलग रखता है या इस तरह के अप्रोप्रिएशन को बढ़ाता है;

(b) टेक्स लागू करता है या टेक्स बढ़ाता है; या

(c) राज्य को बाकी कर्ज की रकम को कम करता है;

वित्त मंत्री द्वारा बताए जाने पर, मंत्रिमंडल की सहमति से संसद में पारित होना चाहिए ।

वार्षिक बजट

144.-(1) 31 दिसम्बर को खत्म होने वाले प्रत्येक साल या संसद द्वारा निर्धारित किसी दूसरे दिन वित्त मंत्री को संसद के समक्ष एक वार्षिक बजट पेश करना होगा, जिसमें सरकार की साधारण सेवाओं और संसद की सेवाओं के संबंध में प्रति वर्ष के रेवेन्यू, कैपीटल और वर्तमान खर्चों का अनुमान हो ।

(2) एक लिखित कानून बता सकता है कि किस तरह से वार्षिक अनुमान तैयार करना है ।

सरकार द्वारा गारंटीस

145.-(1) सरकार एक कर्ज के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संस्था की वित्तीय क्षमता की गारंटी नहीं दे सकती जब तक कि गारंटी कानून द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार संसद द्वारा प्राधिकृत न हो ।

(2) संसद, रेज़ोलूशन के द्वारा, रेज़ोलूशन से 7 दिनों के अन्दर, किसी विशेष कर्ज या गारंटी के विषय पर आवश्यक जानकारी पेश करने के लिए वित्त मंत्री से माँग कर सकती है -

(a) मुख्य और संचित ब्याज को मिलाकर कुल कर्ज;

(b) कर्ज का प्रयोग कैसे होगा या गारंटी का प्रयोजन;

(c) कर्ज को चुकाने के प्रोविज़न्स; और

(d) कर्ज को चुकाने में की गई प्रगति ।

पब्लिक धन का लेखा-जोखा ज़रूरी

146. पब्लिक धन का हिसाब कानून के तहत और आमतौर पर पब्लिक सेक्टर में स्वीकृत अकाउंटिंग सिद्धांतों के अनुसार रखा जाना चाहिए ।

निश्चित वेतन और अलाउंसस के पेमेंट के लिए कंसॉलिडैटड फंड के स्टेंडिंग अप्रोप्रिएशन

147.-(1) यह सेक्शन इनपर लागू है -

(a) राष्ट्रपति;

(b) एक जुडिशल अफ्सर;

(c) सुपरवाइज़र ऑफ इलेक्शन;

(d) संसद् के सेक्रेटरी-जनरल;

(e) सॉलिसिटर-जनरल;

(f) डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसेक्यूशन्स;

(g) फीजी इंडिपेंडंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर;

(h) पुलिस कमिश्नर;

(i) फीजी कॉरेक्शन्स सर्विस के कमिश्नर;

(j) रिपब्लिक ऑफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ के कमांडर;

(k) ओडिटर-जनरल

(l) ह्यूमन राइट्स एंड एंटी-डिस्क्रिमिनेशन कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य;

(m) इलेक्टोरल कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य;

(n) अकाउंटबिलिटि एंड ट्रांसपेरन्सी कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य;

(o) सेक्शन 104(1)*(d)* और *(e)* में नामित जुडिशल सर्विस कमीशन के सदस्य;

(p) सेक्शन 119(2)*(b)* में नामित मेर्सी कमीशन के सदस्य;

(q) पब्लिक सर्विस डिसिप्लिनरी ट्रायब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्य;

(r) पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य;

(s) सेक्शन 132(2)*(d)* और *(e)* में नामित कोन्स्टिट्यूशनल ऑफिसस कमीशन के सदस्य;

(t) किसी व्यक्ति को ऑफिस से निकाले जाने वाले मामले पर विचार करने के लिए इस संविधान के तहत स्थापित या नियुक्त किसी ट्रायब्यूनल या मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य ।

(2) यह सेक्शन जिन व्यक्तियों पर लागू है उनको वेतन या अलाउंसस कंसॉलिडैटड फंड से दिए जाएंगे, जिनका हिसाब तदनुसार रखा जाएगा ।

अन्य प्रयोजनों के लिए कंसॉलिडैटड फंड के स्टेंडिंग अप्रोप्रिएशन

148.-(1) कर्ज की सभी रकम जिसके लिए राज्य उत्तरदायी है और पेंशन के सभी लाभ (किसी अन्य फंड से व्यक्ति या अथोरिटी को दिए गए पैसे को छोड़कर) कंसॉलिडैटड फंड से दिए जाएंगे, जिनका हिसाब तदनुसार रखा जाएगा ।

(2) इस सेक्शन में -

"कर्ज चार्ज" में ब्याज, सिंकिंग फंड चार्जस, उधार-चुकाई या कर्ज-मुक्ति से संबंधित बचा पैसा, और राज्य या कंसॉलिडइडट फंड के रेवेन्यू की सिक्यूरिटी पर कर्ज बढ़ाने से संबंधित अन्य खर्च शामिल हैं;

"एलिजिबल सर्विस" से पब्लिक ऑफिस द्वारा प्रदान किए गए सर्विस का मतलब है

लेकिन नौसेना, मिलिट्री या वायु सेना की सेवा शामिल नहीं है; और

''पेंशन लाभ'' से पेंशन, मुआवज़ा, ग्रेजुएटी या अन्य समान पयमन्ट का मतलब है जो लोगों को या उनके साथियों, आश्रितों, या व्यक्तिगत प्रतिनिधियों को उनकी सेवाओं के संबंध में देना होता है ।

चेप्टर 8–एकाउंटेबिलिटी

पार्ट A–आचार संहिता

आचार संहिता

149. एक लिखित कानून –

(a) राष्ट्रपति, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्रधान मंत्री, मंत्रियों, संसद सदस्यों, इस संविधान द्वारा स्थापित या मौजूद ऑफिस या किसी लिखित कानून द्वारा स्थापित ऑफिस के पदाधिकारी, कमीशन के सदस्यों, पेमनेंट सेक्रेटरीस, राजदूत या राज्य के अन्य प्रमुख प्रतिनिधियों और स्टेटुटरी अथॉरिटीस में गवर्निंग या कार्यकारी पदों पर नियुक्त व्यक्तियों और लिखित कानून द्वारा निर्धारित इस तरह के अन्य ऑफिस (पब्लिक ऑफिस सहित) के लिए एक आचार संहिता की स्थापना करेगा;

(b) अकाउंटबिलिटी एंड ट्रांस्पेरेन्सी कमीशन द्वारा आचार संहिता के क्रियान्वयन के लिए नियमों और प्रक्रियाओं की स्थापना करेगा;

(c) अनुच्छेद (a) में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की निगरानी के लिए अकाउंटबिलिटी एंड ट्रांस्पेरेन्सी कमीशन को अधिकार प्रदान करेगा;

(d) अकाउंटबिलिटी एंड ट्रांस्पेरेन्सी कमीशन द्वारा आचार संहिता के उल्लंघनों के मामलों की जाँच करने और आचार संहिता के एंफोर्समंट के लिए प्रोविज़न बनाएगा, जिनमें आपराधिक और अनुशासनिक कार्यवाहियाँ शामिल हैं, तथा आचार संहिता के उल्लंघन में पकड़े गए ऑफिसर्स को पद से हटाने के लिए अधिकार प्रदान करेगा;

(e) सीटी–ब्लोवस को संरक्षण प्रदान करेगा जो अनुच्छेद (a) में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा किसी लिखित कानून या आचार संहिता के उल्लंघन या धोखाधड़ी या भ्रष्ट प्रथाओं में शामिल होने का खुलासा अच्छे इरादे से करता है;

(f) अनुच्छेद (a) में उल्लिखित अफ्सरों की एसट, लाइबिलिटि तथा आर्थिक रूचियों के बारे में अकाउंटबिलिटी एंड ट्रांस्पेरेन्सी कमीशन को सलाना रूप से जानकारी देने के लिए कहेगा और यह जानकारी जनता के लिए भी उपलब्ध करेगा ।

पार्ट B-जानकारी की स्वतंत्रता

जानकारी की स्वतंत्रता

150. एक लिखित कानून इसके लिए प्रावधान तैयार करेगा कि राज्य और सरकारी एन्टिटियों द्वारा रखी गई औपचारिक जानकारी और दस्तावेज़ जनता को प्राप्त करने का अधिकार हो ।

पार्ट C-ऑडिटर-जनरल

ऑडिटर-जनरल

151.-(1) स्टेट सर्विस डिक्री 2009 के तहत स्थापित ओडिटर-जनरल का ऑफिस अभी भी मौजूद है ।

(2) फाइनेंस के साथ परामर्श के बाद, कोन्स्टिट्यूशनल ऑफिसस कमीशन की सलाह पर ओडिटर-जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी ।

(3) अगर ओडिटर-जनरल का ऑफिस खाली है या ओडिटर-जनरल अपने ऑफिस में अनुपस्थित है या फीजी से बाहर है, या किसी भी कारण से अपने ऑफिस का काम संभाल नहीं सकता है, तो राष्ट्रपति कोन्स्टिट्यूशनल ऑफिसस कमीशन की सलाह पर किसी भी अवधि या सभी अवधियों के लिए एक व्यक्ति को ओडिटर-जनरल के रूप में नियुक्त कर सकता है ।

ऑडिटर-जनरल के कार्य

152.-(1) हर साल कम से कम एक बार, ओडिटर-जनरल निम्नलिखित चीज़ों का निरीक्षण और ओडिट कर संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा -

(a) राज्य के पब्लिक अकाउंट्स;

(b) राज्य के पब्लिक पैसे और पब्लिक प्रोपर्टी का नियंत्रण; और

(c) पब्लिक पैसे और पब्लिक प्रोपर्टी से संबंधित सभी ट्रांज़ेक्शन्स ।

(2) रिपोर्ट में, ओडिटर-जनरल को बताना होगा, कि क्या उनकी राय में -

(a) पब्लिक पैसे और पब्लिक प्रोपर्टी से संबंधित सभी ट्रांज़ेक्शन्स इस संविधान या किसी लिखित कानून के तहत किए गए हैं; और

(b) जो खर्च जिस मकसद के लिए स्वीकृत थे उसी के लिए इस्तेमाल हुए हैं ।

(3) एक लिखित कानून ओडिटर-जनरल के ऑफिस से संबंधित अतिरिक्त प्रोविज़न बना सकता है और ओडिटर-जनरल को अतिरिक्त कार्य और शक्तियाँ प्रदान कर सकता है ।

(4) अपने कर्त्तव्यों को निभाने के लिए, ओडिटर-जनरल या उसके द्वारा प्राधिकृत एक व्यक्ति के पास किसी व्यक्ति या अथोरिटी के कब्ज़े, कस्टडी या नियंत्रण में रखे सभी रिकॉर्ड्स, बुक्स, वाउचज़, सामान या अन्य सरकारी प्रोपर्टी को प्राप्त करने का अधिकार है ।

(5) अपने कार्यों को करने या अपनी अथारिटी और शक्तियों का प्रयोग करने में ओडिटर-जनरल स्वतंत्र है और कोर्ट या निर्धारित लिखित कानून को छोड़कर किसी व्यक्ति या अथॉरिटी के निदेशन या नियंत्रण के अधीन नहीं है ।

(6) ओडिटर-जनरल के ऑफिस में कार्यरत सभी कर्मचारियों (एडमिनिस्ट्रेटिव कर्मचारी सहित) को नियुक्त करने, काम से निकालने और अनुशासित करने की अथॉरिटी ओडिटर-जनरल के पास है ।

(7) ओडिटर-जनरल के पास अथॉरिटी है कि वह ओडिटर-जनरल के ऑफिस में कार्यरत सभी कर्मचारियों की नौकरी से संबंधित सभी मामलों को तय करे, जिनमें शामिल हैं -

(a) नौकरी के नियम और शर्तें;

(b) नियुक्ति के लिए योग्यता की ज़रूरतें और नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जो मेरिट पर आधारित खुली, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी हो;

(c) संसद द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार वेतन, लाभ और अलाउंसस; और

(d) संसद द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार नियुक्त किए जाने वाले आवश्यक कर्मचारियों की कुल संख्या ।

(8) ओडिटर-जनरल के ऑफिस में कार्यरत किसी व्यक्ति को दिए जाने वाले वेतन, लाभ और अलाउंस को कंसॉलिडैटड फंड पर चार्ज किया जाएगा ।

(9) संसद यह सुनिश्चित करेगी कि ओडिटर-जनरल को पर्याप्त फंडिंग और संसाधनों की प्राप्ति हो ताकि वह अपने कार्यों और कर्त्तव्यों को स्वतंत्रता और कुशलता से निभाए ।

(10) संसद की स्वीकृति के अनुसार ओडिटर-जनरल अपने बजट और फाइनेंसस का

नियंत्रण खुद करेगा ।

(11) एक लिखित कानून यह बता सकता है कि किसी निर्धारित बोडी कोर्पोरेट के अकाउंट्स ओडिटर-जनरल द्वारा ओडिट नहीं किए जाएंगे लेकिन उस लिखित कानून में निर्धारित रूप से ओडिट किए जाएंगे ।

(12) अगर लिखित कानून निर्धारित करता है, तो वह ओडिटर-जनरल को शक्ति भी देगा कि वह उन ओडिट्स को देखे और एक रिपोर्ट प्रदान करे ।

(13) ओडिटर-जनरल अपनी रिपोर्ट संसद के स्पीकर को पेश करेगा और एक कॉपी वित्त मंत्री को देगा ।

(14) रिपोर्ट पाने पर 30 दिनों के अन्दर, या अगर संसद सत्र में नहीं है, तो वित्त मंत्री संसदीय सत्र के शुरू होने के पहले दिन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

पार्ट D-रिज़ेर्व बेंक ऑफ फीजी

रिज़ेर्व बेंक ऑफ फीजी

153.-(1) रिज़ेर्व बेंक ओफ फीजी राज्य का केन्द्रीय बेंक है, जिसके मुख्य लक्ष्य हैं -

(a) संतुलित और सस्टेनबल आर्थिक वृद्धि के हित में कर्रन्सी के मूल्य को सुरक्षित रखना;

(b) मोनेटरी पोलिसी को तैयार करना;

(c) प्राइस स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना;

(d) कर्रन्सी प्रदान करना; और

(e) एक लिखित कानून द्वारा निर्धारित अन्य कार्य करना ।

(2) अपने मुख्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रिज़ेर्व बेंक ओफ फीजी को अपना कार्य स्वतंत्र रूप से और बिना डर, पक्षपात और पूर्वाग्रह के करना होगा, लेकिन बेंक और वित्त मंत्री के बीच नियमित राय मशविरा होना चाहिए ।

(3) रिज़ेर्व बेंक ओफ फीजी की वही शक्तियाँ और कार्य हैं जो केन्द्रीय बेंकों को प्राप्त हैं ।

(4) फाइनेंस मंत्री के साथ परामर्श के बाद, कोन्स्टिट्यूशनल ऑफिसस कमीशन की सलाह पर रिज़ेर्व बेंक ऑफ फीजी के गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी ।

(5) एक लिखित कानून रिज़ेर्व बेंक ओफ फीजी के गठन, शक्तियाँ, कार्यों और संचालनों के बारे में बताएगा ।

(6) रिज़ेर्व बेंक को त्रैमासिक और सालाना रिपोर्ट्स संसद को देना होगा, और कानून या रेज़ोलूशन द्वारा ज़रूरी पड़ने पर अन्य रिपोर्ट्स देना होगा ।

चेप्टर 9–आपातकालीन शक्तियाँ

आपात स्थिति

154.–(1) प्रधान मंत्री, पुलिस कमिश्नर और रिपब्लिक ओफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़ के कमांडर की सिफारिश पर, फीजी में या फीजी के एक भाग में आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर सकता है, और आपातकालीन स्थिति से संबंधित नियमों को बना सकता है, अगर विश्वास करने के उचित आधार हैं कि –

(a) पूरे फीजी या फीजी के एक हिस्से की सुरक्षा को खतरा है; और

(b) खतरे की परिस्थितियों के साथ प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए आपातकालीन स्थिति को घोषित करने की आवश्यकता है ।

(2) अगर आपातकाल की स्थिति की घोषणा संसद की बैठक के दौरान की जाती है, तब प्रधान मंत्री को, घोषणा करने पर 24 घंटे के अन्दर, संसद की पुष्टि के लिए संसद में घोषणा का उल्लेख करना होगा ।

(3) अगर आपातकाल की स्थिति की घोषणा संसद की बैठक के दौरान नहीं की जाती है, तब स्पीकर को, घोषणा होने पर 48 घंटे के अन्दर आवश्यक संचार उपायों के माध्यम से संसद सदस्यों से घोषणा की पुष्टि करनी होगी ।

(4) अगर संसद सदस्य बहुमत से प्रधान मंत्री द्वारा की गई घोषणा की पुष्टि करते हैं, तो पुष्टि की तारीख से 1 महीने की अवधि तक घोषणा जारी रहेगी, और संसद में एक और वोट के द्वारा बढ़ाई जा सकती है ।

(5) अगर संसद सदस्य बहुमत से प्रधान मंत्री द्वारा की गई घोषणा की पुष्टि नहीं करते हैं, तो घोषणा और घोषणा के तहत की गई किसी भी कार्रवाई को लागू नहीं समझा जाएगा ।

चेप्टर 10–इम्युनिटी

1990 संविधान के तहत दी गई इम्युनिटी जारी

155. संविधान संशोधन अधिनियम 1997 के निराकरण के होते हुए भी और फीजी के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य (प्रख्यापन) डिक्री 1990 के रद्द होने के बावजूद, 1990 के संविधान का चेप्टर 14 अपने अभिप्राय के साथ जारी है, और 1990 के संविधान के चेप्टर 14 के तहत दी गई उन्मुक्ति आदेश जारी रहेगा ।

लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी फॉर प्रिस्क्राइब्ड पोलिटिकल इवेंट्स डिक्री 2010 के तहत दी गई इम्युनिटी जारी

156.–(1) निर्धारित राजनीतिक घटनाक्रम डिक्री 2010 के लिए दायित्व की सीमा के तहत निर्धारित राजनीतिक घटनाओं के लिए निर्धारित व्यक्तियों को दी गई उन्मुक्ति वर्तमान में जारी रहेगी ।

(2) इस संविधान में निहित कुछ होते हुए भी, निर्धारित राजनीतिक घटनाक्रम डिक्री 2010 के लिए दायित्व की सीमा, अपनी संपूर्णता में, वर्तमान में जारी रहेगी और संसद द्वारा पुनर्विलोकित, संशोधित, परिवर्तित, रद्द या वापस नहीं की जाएगी ।

अतिरिक्त इम्युनिटी

157. पूर्ण और बिना शर्त की इम्यनिटी अपरिवर्तनीय रूप से इन पदों पर, या इन कार्यालयों में पद धारण किए गए किसी भी व्यक्ति (चाहे उनके औपचारिक या निजी या व्यक्तिगत क्षमता में) को प्रदान किया जा सकता है –

(a) राष्ट्रपति;
(b) प्रधान मंत्री और कैबिनेट मंत्री;
(c) रिपब्लिक ओफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़;
(d) फीजी पुलिस फोर्स,
(e) फीजी कॉरेक्शन्स सेवा;
(f) न्यायपालिका;
(g) पब्लिक सर्विस; और
(h) कोई भी पब्लिक ऑफिस,

किसी भी आपराधिक कार्यवाही और सिविल या कोई भी कोर्ट में कोई लायबिलिटी से, ट्रायब्युनलया कमीशन में कोई भी कार्यवाही जिस में लीगल, मिलिट्री, डिसिप्लिनरी या प्रोफेशनल कार्यवाही और किसी कोर्ट, ट्रायब्युनल या कमीशन के किसी आदेश या निर्णय जो 5 December 2006 से लेकर इस संविधान की शुरूआत होने तक से सरकार में किसी

भी तरह से चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भाग लेना, नियुक्ति होना या शामिल रहने के लिए हो, लेकिन कोई भी कार्य या ऑमिशन जो अपराध डिक्री 2009 के सेक्शन 133 से 146 तक, 148 से 236 तक, 236, 288 से 351 तक, 356 से 361 तक, 364 से 374 तक, और 377 से 386 (इस संविधान की शुरूआत होने की तारीख से अपराध डिक्री 2009 में दिए गए) के नीचे एक अपराध है को इम्युनिटी नहीं है ।

इम्युनिटी सुरक्षित

158.-(1) इस संविधान में निहित कुछ होते हुए भी, इस चेप्टर और इस चेप्टर के तहत दी गई या जारी कोई भी उन्मुक्ति पुनर्विलोकित, संशोधित, परिवर्तित, रद्द या वापस नहीं की जाएगी ।

(2) इस संविधान में निहित कुछ होते हुए भी, किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के पास इस संविधान के प्रावधानों के खिलाफ किसी भी चुनौती के संबंध में और इस चेप्टर के तहत दी गई या जारी उन्मुक्ति को स्वीकारने, सुनने या निर्णय करने की अधिकारिता नहीं होगी ।

(3) राज्य द्वारा कोई मुआवजा किसी व्यक्ति को क्षति, चोट या उसकी संपत्ति या व्यक्ति को नुकसान के संबंध में नहीं देना होगा जो इस सेक्शन के तहत दी गई उन्मुक्ति के किसी भी कार्य के परिणामस्वरूप हुआ है ।

चेप्टर 11–संविधान का संशोधन

संविधान का संशोधन

159. सब्सेक्शन (2) के तहत, या इस संविधान के किसी प्रावधान को, इस चेप्टर में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संशोधित किया जा सकता है, और किसी अन्य तरीके से संशोधित नहीं किया जा सकता है ।

(2) इस संविधान में किया गया कोई भी संशोधन –

(a) इस संविधान के चेप्टर 10 में या इस संविधान के चेप्टर 12 के पार्ट D में किसी प्रावधान को रिपील नहीं कर सकता;

(b) इस संविधान के चेप्टर 10 में या इस संविधान के चेप्टर 12 के पार्ट D में किसी प्रावधान के असर का उल्लंघन या अपमानित नहीं कर सकता;

(c) इस सेक्शन के असर को रिपील, उल्लंघन या अपमानित नहीं कर सकता ।

संशोधन की प्रक्रिया

160.–(1) इस संविधान के संशोधन के लिए एक बिल इस संविधान में संशोधन करने के एक अधिनियम के लिए एक बिल के रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए ।

(2) इस संविधान के संशोधन के लिए एक बिल निम्न प्रक्रिया के अनुसार संसद द्वारा पारित किया जाना चाहिए –

(a) बिल संसद में 3 बार पढ़ा जाता है;

(b) दूसरी और तीसरी रीडिंग में, यह संसद के सदस्यों में से कम से कम तीन–चौथाई के वोट द्वारा समर्थित है;

(c) दूसरी और तीसरी रीडिंग के बीच कम से कम 30 दिन बीतने का अंतराल हो और प्रत्येक रीडिंग से पहले बहस के लिए पूरा अवसर है; और

(d) संसद में बिल की तीसरी रीडिंग तब तक न हो जब तक प्रासंगिक स्टेंडिंग समिति संसद में बिल पर रिपोर्ट नहीं देती ।

(3) इस संविधान के संशोधन के लिए एक बिल सब्सेक्शन (2) के अनुसार संसद द्वारा

पारित हो जाता है, तो स्पीकर राष्ट्रपति को सूचित करेगा, जो बिल पर वोट करने के लिए फीजी में पंजीकृत मतदाताओं के लिए एक जनमत संग्रह संचालित करने के लिए बिल को चुनाव आयोग के हवाले देगा ।

(4) सब्सेक्शन (3) के प्रयोजनों के लिए जनमत संग्रह चुनाव आयोग द्वारा लिखित कानून द्वारा निर्धारित रूप में आयोजित किया जाएगा ।

(5) चुनाव आयोग, जनमत संग्रह के तुरंत बाद, परिणाम के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेगा और मीडिया में जनमत संग्रह का नतीजा प्रकाशित करेगा ।

(6) जनमत संग्रह में अगर पंजीकृत मतदाताओं में से तीन-चौथाई ने बिल के पक्ष में मतदान किया है, तो राष्ट्रपति बिल की मंजूरी देगा, जो राष्ट्रपति स्वीकृति की तारीख पर या इस बिल में निर्धारित किसी अन्य तारीख को प्रवृत्त होगा ।

(7) इस सेक्शन में, संशोधन या सुधार शब्द का मोटे तौर पर समझने का इरादा है ताकि यह धारा इस संविधान के प्रावधान या प्रावधानों को रद्द, प्रतिस्थापित, संशोधित, या परिवर्तित करने के किसी भी प्रस्ताव पर लागू हो ।

31 दिसम्बर 2013 से पहले संशोधन

161.-(1) इस चेप्टर में शामिल किसी भी चीज़ पर ध्यान न देते हुए, इस संविधान के प्रारंभ से 3 महीनों के अन्दर, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर, राजपत्र में प्रकाशित डिक्री के द्वारा इस संविधान में बदलाव कर सकता है, जो इस संविधान के प्रावधानों को पूर्ण असर देने के लिए या इस संविधान के प्रावधानों में असंगति या गलती सुधारने के लिए ज़रूरी है ।

(2) संसद राष्ट्रपति को इस संविधान में बदलाव की सलाह तभी दे सकती है जब सब्सेक्शन (1) के नीचे संसद ने सुप्रिम कोर्ट से बदलाव का प्रमाणीकरण ले लिया हो ।

(3) कोई भी शक को दूर करने के लिए यह सेक्शन इस संविधान के प्रारंभ के दिन से 31 December 2013 को रद्द हो जायेगी ।

अध्याय 12–प्रारंभ, व्याख्या, रिपील और संक्रमणकालीन

पार्ट A–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

162.–(1) इस संविधान को फीजी गणराज्य के संविधान के रूप में उद्धृत किया जाएगा ।

(2) यह संविधान राजपत्र में प्रकाशित नोटिस द्वारा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तिथि या तिथियों पर प्रवृत्त होगा ।

पार्ट B–व्याख्या

व्याख्या

163.–(1) इस संविधान में, जब तक कि विपरीत इरादा प्रकट न हो –

"अधिनियम" का मतलब संसद् का अधिनियम, डिक्री या एक घोषणा है;

"वयस्क" का मतलब उस व्यक्ति से है जो 18 साल की उम्र तक पहुँच गया है;

"अधिकारों का बिल" का मतलब चेप्टर 2 में निर्धारित अधिकार और स्वतंत्रता है;

"बच्चा" का मतलब उस व्यक्ति से है जो 18 साल की उम्र तक नहीं पहुँचा है;

"आयोग" का मतलब इस संविधान के तहत स्थापित या अस्तित्व में जारी आयोग है;

"1990 का संविधान" का मतलब फीजी के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य (घोषणा) डिक्री 1990 के संविधान में निर्धारित संविधान का मतलब है;

"भ्रष्टाचार" में शामिल हैं –

(a) एक सार्वजनिक अधिकारी को अनुचित तरीके से प्रभावित करने का कोई भी प्रयास;
(b) नगण्य, रिश्वतखोरी या जबरन वसूली को प्रभावित करना;
(c) व्यक्तिगत लाभ के लिए अंदर की जानकारी का दुरुपयोग;
(d) कोई भी लाभ या अनुरोध स्वीकार करना जिसके लिए एक व्यक्ति कानूनन हकदार नहीं है;

(e) एक व्यक्तिगत लाभ उगाही या अनुचित तरीके से किसी भी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए, किसी भी सेवा, लाभ, निर्णय या निर्णय रोक, या उस व्यक्ति के खिलाफ एक वैध शक्ति के व्यायाम के साथ एक व्यक्ति को धमकी, या किसी भी तरह के अभ्यास जिसका अर्थ कार्रवाई या चूक;

(f) अवैध लेने या किसी भी निजी संपत्ति की माँग;

(g) के दुरुपयोग या दुरुपयोग सार्वजनिक निजी उद्देश्यों के लिए संपत्ति, या सार्वजनिक संपत्ति की चोरी की है, और

(h) में परिवर्तित करने या व्यक्तिगत लाभ के लिए सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री;

"आपराधिक कार्यवाही" एक व्यक्ति ने कथित तौर पर एक अपील पर सहमत हुए, तथ्यों, या कानून आरक्षित की एक प्रश्न के आधार पर प्रस्तुत एक मामले सहित, एक अपराध के लिए मुकद्मा चलाया जाता है, जिसमें एक सैन्य अदालत, के अलावा अन्य किसी भी अदालत के समक्ष कार्यवाही, इसका मतलब है;

"विभाग" एक मंत्रालय के तहत सार्वजनिक सेवा का एक विभाग है, इसका मतलब है;

"विकलांगता" में किसी भी शारीरिक, संवेदी मानसिक, मनोवैज्ञानिक या अन्य शर्त, या बीमारी भी शामिल है –

(a) है, या दूसरों के साथ एक समान आधार पर समाज में पूरी तरह से और प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए एक व्यक्ति की क्षमता पर एक महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव के लिए समुदाय के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से माना जाता है; या

(b) अनुचित भेदभाव का आधार बनता है;

"अनुशासित बल" का अर्थ है –

(a) रिपब्लिक ओफ फीजी मिलिट्री फोर्सेज़

(b) फीजी पुलिस फोर्स; या

(c) फीजी कॉरेक्शन्स सर्विस

"चुनावी अपराध" चुनाव गवर्निंग एक कानून के तहत किसी अपराध में शामिल है और मतदाताओं और राजनीतिक दलों के पंजीकरण के पंजीकरण गवर्निंग किसी भी

कानून के तहत किसी भी अपराध में शामिल है;

"फीजी" या "फीजी गणराज्य" तुरंत 10 अक्टूबर 1970 से पहले फीजी की कॉलोनी का गठन किया और फीजी के हिस्से के रूप में संसद द्वारा घोषित किसी भी अन्य प्रदेशों में शामिल है जो राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

"राजपत्र" से फीजी गणराज्य के सरकारी राजपत्र का मतलब है जो सरकार के आदेश या अथॉरिटी तहत प्रकाशित किया जाता है, या राजपत्र में एक सप्लीमेंट के रूप में;

"सरकार" का मतलब राज्य की सरकार से है;

"न्यायाधीश" उच्च न्यायालय (चीफ जस्टिस सहित) के एक न्यायाधीश, अपील (अपील की कोर्ट के अध्यक्ष सहित) के एक न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय के परास्नातक, मुख्य मंत्री भी शामिल न्यायिक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार और अन्य न्यायिक अधिकारी;

"कानून" सभी लिखित कानून शामिल है;

"बैठक" संसद के संबंध में बैठक, संसद पहला मिलता है जब एक सत्र की शुरूआत में शुरू होने या एक सत्र के दौरान बाद के समय में होने वाली और संसद अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी है जब खत्म होने वाली संसद की बैठक का मतलब है;

"शपथ" प्रतिज्ञान शामिल है;

"निष्ठा की शपथ" अनुसूची १ में निर्धारित निष्ठा की शपथ का मतलब है;

"व्यक्ति" एक कंपनी या व्यक्तियों का संघ या संस्था भी शामिल है कि क्या कंपनी या अनिगमित;

"राजनीतिक पार्टी" राजनीतिक दलों के संगठन को विनियमित करने के लिए एक लिखित कानून के तहत पंजीकृत किया गया है कि फीजी गणराज्य के राजनीतिक जीवन या सरकार में भाग लेने के लिए प्रयास कर रहा है लोगों का एक संगठित समूह या संघ का मतलब

"निर्धारित" एक प्रश्न के लिखित कानून के तहत निर्धारित मतलब है;

"राष्ट्रपति" से फीजी गणराज्य के राष्ट्रपति का मतलब है जिसे चेप्टर 4 के तहत नियुक्त किया जाता है और इस चेप्टर के पार्ट D के तहत नियुक्त किए गए व्यक्ति या पदाधिकारी को शामिल करता है;

"संपत्ति" किसी भी निहित या दल को सही, या में ब्याज या उत्पन्न होने शामिल से –

(क) भूमि, या स्थायी जुड़नार पर, या, देश में सुधार;
(ख) माल या निजी संपत्ति;
(ग) बौद्धिक संपदा; या
(घ) पैसे या लिखत;

"सार्वजनिक कार्यालय" का अर्थ है –

(a) एक कार्यालय द्वारा बनाई गई, या इस संविधान के तहत अस्तित्व में जारी;

(b) इस संविधान के प्रावधानों जो बनाता है के संबंध में एक कार्यालय;

(c) एक आयोग के एक सदस्य के एक कार्यालय;

(d) एक राज्य सेवा में एक कार्यालय;

(e) के न्यायाधीश के पद;

(f) मजिस्ट्रेड या लिखित कानून के द्वारा बनाई गई एक अदालत में एक कार्यालय के एक कार्यालय;

(g) में, या के एक सदस्य के रूप में एक कार्यालय, एक सांविधिक प्राधिकरण, या

(h) लिखा कानून द्वारा स्थापित एक कार्यालय;

"सरकारी अधिकारी" किसी सार्वजनिक पद के धारक का मतलब है;

"सार्वजनिक सेवा" एक नागरिक की हैसियत से राज्य की सेवा का मतलब है, लेकिन शामिल नहीं है –

(a) न्यायिक शाखा में सेवा;

(b) एक आयोग के एक सदस्य के कार्यालय में सेवा, या

(c) एक कार्यालय में सेवा के द्वारा बनाई गई, या इस संविधान के तहत अस्तित्व में जारी;

"सत्र" संसद् के संबंध में, यह पहली बार मिलता है जब संसद् का सत्रावसान या संसद् के विघटन के बाद शुरू करने और संसद् के अगले सत्रावसान है या संसद् के अगले भंग कर रहा है जब खत्म होने वाली संसद् की बैठक का मतलब है;

"कारावास की सजा" एक सजा को निलंबित या एक ठीक करने के विकल्प के साथ कारावास की सजा शामिल नहीं है;

"बैठक" संसद् के संबंध में संसद् में स्थगन बिना लगातार बैठक हैम जिसके दौरान एक अवधि का मतलब है, और संसद् समिति में है, जिसके दौरान किसी भी अवधि भी शामिल है;

"अध्यक्ष" संसद् के अध्यक्ष का मतलब है;

"राज्य" फीजी गणराज्य का मतलब है;

"आपात स्थिति" आपातकालीन स्थिति के एक राज्य के अध्याय ९ के तहत घोषणा का मतलब है;

"राज्य सेवा" सार्वजनिक सेवा और अनुशासित बल का मतलब है;

"अधीनस्थ अदालत" उच्च न्यायालय के अलावा अन्य राज्य, अपील की कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या एक अनुशासनात्मक कानून द्वारा स्थापित एक अदालत के लिए स्थापित कानून के किसी भी अदालत से है;

"अधीनस्थ कानून" एक अधिनियम द्वारा प्रदत्त साधन बनाने के लिए एक शक्ति का प्रयोग में किए गए किसी भी साधन का मतलब है;

"इस संविधान" फीजी 2013 के गणतंत्र के संविधान का मतलब है;

"लिखा कानून" एक अधिनियम, फरमान, एलान और अधीनस्थ उन अधिनियमों के तहत

बनाई गई विधि, आदेशों या प्रोमल्गइशन मतलब है;

(2) किसी सार्वजनिक पद के लिए नियुक्तियों बनाने के लिए एक शक्ति के लिए इस संविधान में एक संदर्भ के लिए एक संदर्भ शामिल है –

(a) एक शक्ति को बढ़ावा देने पर नियुक्तियों बनाने के लिए या कार्यालय को स्थानांतरित करने के लिए; और

(b) एक शक्ति यह रिक्त है या इसके धारक कार्यालय का कार्य करने में असमर्थ है, जबकि कार्यालय में कार्य करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्ति करने के लिए ।

(3) इसके विपरीत इरादा प्रकट होता है जब तक कि इस संविधान में, अपने या अपने कार्यालय निर्दिष्ट अवधि द्वारा एक कार्यालय की धारक के लिए संदर्भ कार्यालय में अभिनय किया जा रहा है समय के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए एक संदर्भ शामिल हैं ।

(4) इस संविधान द्वारा स्थापित एक पद के लिए नियुक्त किया गया है जो एक व्यक्ति को उसके द्वारा हस्तलिखित लिखित नोटिस द्वारा पद से इस्तीफा दे सकते हैं या उसे वह या वह नियुक्य किया गया है जिसके द्वारा व्यक्ति या प्राधिकारी को संबोधित किया, और इस्तीफे प्रभाव ले ता है –

(a) समय पर या नोटिस में निर्धारित तिथि पर; या

(b) नोटिस इसे संबोधित किया है जिसे करने के लिए व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा प्राप्त होता है जब;

बाद में जो भी है ।

(5) एक सार्वजनिक कार्यालय से एक व्यक्ति को दूर करने के लिए एक बिजली के लिए इस संविधान में एक संदर्भ के लिए एक संदर्भ शामिल है –

(a) एक शक्ति व्यक्ति कार्यालय से संन्यास लेने की आवश्यकता होती है;

(b) एक व्यक्ति कार्यरत है जिस पर अनुबंध समाप्त करने की शकित; या

(c) एक शक्ति व्यक्ति कार्यरत है जिस पर अनुबंध को नवीनीकृत करने के लिए नहीं ।

(6) इस संविधान में किसी भी कानून (इस संविधान सहित) में संशोधन करने के लिए एक संदर्भ के लिए एक संदर्भ है –

(a) के साथ या किसी अन्य कानून द्वारा इसे बदले बिना इसे निरस्त;
(b) संशोधन करके इसे संशोधित करने या अन्यथा;
(c) अपने ऑपरेशन को निलंबित करने, या
(d) इसके साथ असंगत है कि अन्य प्रावधान कर रही है ।

(7) कार्य इस संविधान द्वारा प्रदत्त कर रहे हैं जिस पर एक व्यक्ति, प्राधिकारी या निकाय आवश्यक या के लिए किया जाना सुविधाजनक, या के संबंध में सब कुछ है, उन कार्यों का प्रदर्शन करने की शक्ति है ।

(8) का कुछ भी कर के संबंध में मंत्री को इस संविधान में एक संदर्भ है, किसी भी परामर्श या किसी भी रिपोर्ट की प्राप्ति में भागीदारी को कुछ समय के लिए, भाग के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो मंत्री के लिए एक संदर्भ है चिंतित गतिविधि के विषय से संबंधित सरकार की व्यापार की ।

(9) इसके विपरीत इरादा प्रकट होता है जब तक कि एक मंत्री को इस संविधान में एक संदर्भ पहले उल्लेख मंत्री के एक ओर के लिए अभिनय किया जा रहा है समय के लिए मंत्री के लिए एक संदर्भ शामिल है ।

(10) एक व्यक्ति या प्राधिकारी किसी भी अन्य व्यक्ति या कार्यों के निष्पादन में प्राधिकारों या शक्तियों का प्रयोग की दिशा या नियंत्रण के अधीन नहीं है कि प्रभाव के लिए इस संविधान के प्रावधान की एक अदालत प्रीक्लूडिंग के रूप में लगाया जा नहीं रही है पहले उल्लेख किया है व्यक्ति या प्राधिकारी कार्यों प्रदर्शन या इस संविधान के अनुसार या उस व्यक्ति या प्राधिकारी चाहिए या कार्य करते हैं या शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि क्या शक्तियों का प्रयोग किया गया है कि क्या एक प्रश्न के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने से कानून ।

(11) बनाने के लिए अनुदान या मुद्दा किसी भी साधन (एक घोषणा, आदेश, विनियमन या नियम सहित) या किसी भी दिशा देने के लिए इस संविधान द्वारा प्रदत्त एक शक्ति है, तरह-तरह के प्रयोग की शक्ति, को निरस्त करने, रद्द कर देना भी शामिल है, रद्द, संशोधन या साधन या दिशा बदलती है ।

(12) संदेह से बचने के लिए, उसी हद तक इस संविधान के आयात के दायित्व के रूप में यदि शब्द "करेगा" इस्तेमाल किया गया "चाहिए" शब्द का इस्तेमाल करते हैं ।

(13) इस संविधान में नामित एक कार्यालय को इस संविधान में एक संदर्भ परिस्थितियों में इसे लागू करने के लिए आवश्यक कोई औपचारिक परिवर्तन के साथ पढ़ा जा रहा है ।

(14) इस संविधान में, संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित जब तक

(a) एक शब्द या अभिव्यक्ति इस संविधान में परिभाषित किया गया है अगर शब्द या अभिव्यक्ति के किसी भी व्याकरण की विभिन्नता या आत्मीय अभिव्यक्ति संदर्भ द्वारा आवश्यक परिवर्तन के साथ पढ़ने के लिए एक इसी अर्थ है, और

(b) शब्द शामिल मतलब भी शामिल है, लेकिन तक सीमित नहीं है ।

(15) इस संविधान के तहत किसी भी उद्देश्य के लिए दो घटनाओं, समय है अगर व्यक्त बीच समय की गणना करने में –

(a) के दिन के रूप में, पहली घटना होती है, जिस पर दिन बाहर रखा जा रहा है, और पिछले घटना घटित हो सकती है जिसके द्वारा दिन शामिल किया जा रहा है;

(b) महीने के रूप में, समय अवधि प्रासंगिक में दिन की शुरूआत में समाप्त होता माह;

(i) कि उस महीने एक इसी तारीख है, अवधि शुरू किया है जिस पर तारीख के रूप में एक ही नंबर है, या
(ii) किसी भी अन्य मामले में, इस महीने का आखिरी दिन है, या

(c) वर्ष के रूप में, समय की अवधि अवधि शुरू किया, जिस तारीख से मेल खाती है कि प्रासंगिक वर्ष की शुरूआत में समाप्त होता है; या

(d) वर्ष के रूप में, समय की अवधि शुरू किया, जिस तारीख से मेल खाती है कि प्रासंगिक वर्ष की तारीख की शुरूआत में समाप्त होता है ।

(16) किसी भी उद्देश्य के लिए इस संविधान द्वारा निर्धारित समय की अवधि छह दिन या उससे कम है तो रविवार तथा सार्वजनिक छुट्टियों के समय की गणना करते समय गिना नहीं जा रहे हैं ।

(17) अवकाश पर समाप्त होता है, तो अवधि एक रविवार को सार्वजनिक अवकाश नहीं है कि पहली बार अगले दिन तक फैली हुई है ।

(18) एक विशेष समय तक आवश्यक कार्य प्रदर्शन के लिए इस संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, अधिनियम अनुचित देरी के बिना किया जाता है, और जितनी बार अवसर की आवश्यकता के रूप में किया जाना चाहिए ।

(19) किसी भी व्यक्ति को इस संविधान द्वारा निर्धारित समय की अवधि का विस्तार करने के लिए इस संविधान के तहत अधिकार है, तो एक विपरीत इरादा स्पष्ट रूप से अधिकार प्रदान करने के प्रावधान में बताया गया है कि जब तक प्राधिकरण की अवधि के अंत से पहले या बाद में या तो प्रयोग किया जा सकता है ।

(20) योग्य अगर एक व्यक्ति इस संविधान के तहत स्थापित एक कार्यालय को खाली कर दिया है कि अगर इस संविधान, अन्यथा प्रदान करता है कि सीमा को छोड़कर, व्यक्ति, फिर से निर्वाचित, नियुक्त किया जा सकता है या अन्यथा यह संविधान के अनुसार पद धारण करने के लिए चयन कर सकते हैं ।

(21) अनुसूचियों इस संविधान का हिस्सा है, और अभिव्यक्ति इस संविधान के हर इस्तेमाल अनुसूचियों में शामिल हैं ।

(22) निष्ठा से या कार्यालय की शपथ या प्रतिज्ञान लेने के लिए किसी भी कानून के तहत आवश्यक कोई भी व्यक्ति अनुसूची में निर्धारित उचित शपथ या प्रतिज्ञान लेना चाहिए ।

पार्ट C–रिपील

रिपील

164. इस चेप्टर के भाग D और इस संविधान के अन्य प्रावधानों के तहत, निम्नलिखित कानूनों को रिपील कर दिया गया है –

(a) एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ फीजी डिक्री 2009;

(b) रेवेन्यू एंड एक्स्पेंडिचर डिक्री 2009;

(c) स्टेट सर्विसेस डिक्री 2009;

(d) ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेज़िडेंट एंड सक्सेशन डिक्री 2009; और

(e) एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस डिक्री 2009 ।

पार्ट D–संक्रमणकालीन

राष्ट्रपति का ऑफिस

165.–(1) फीजी डिक्री 2009, फीजी डिक्री 2009 की कार्यकारिणी प्राधिकरण के तहत नियुक्त राष्ट्रपति के कार्यकारी प्राधिकरण के निरसन के होते हुए भी फीजी के कार्यकारी प्राधिकरण के अधीन किए गए उसके या उसकी नियुक्ति की अवधि तक पद धारण करता रहेगा डिक्री 2009 और राष्ट्रपति के पद के लिए किसी भी फिर से नियुक्ति इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए ।

(2) फीजी डिक्री 2009 की कार्यकारिणी प्राधिकरण के तहत नियुक्त राष्ट्रपति फीजी के कार्यकारी अधिकार का प्रयोग और कार्यकारी प्राधिकरण के तहत सभी उसमें निहित शक्तियों (मंत्रिमण्डल की सलाह पर डिक्री द्वारा कानून बनाने सहित) या उसका प्रयोग करता रहेगा इस संविधान के तहत पहली बार संसद की पहली बैठक की तारीख तक फीजी फरमान 2009 ।

(3) कोई रिक्ति इस संविधान के तहत पहले संसद की पहली बैठक से पहले राष्ट्रपति के कार्यालय में उठता है, फिर एक और व्यक्ति फीजी डिक्री 2009 की कार्यकारिणी प्राधिकरण के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त किया जाएगा ।

(4) इस संविधान के तहत पहली बार संसद की पहली बैठक की तारीख, जब तक उप–राष्ट्रपति और उत्तराधिकार डिक्री 2009 के कार्यालय के निरसन के होते हुए भी, राष्ट्रपति का पद रिक्त है या अगर राष्ट्रपति ड्यूटी से अनुपस्थित है तो या फीजी से या है, किसी भी कारण के लिए, राष्ट्रपति के पद का कार्य करने में असमर्थ है, तो राष्ट्रपति के पद का कार्य करता है, मुख्या न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, अगले मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रदर्शन या किया जाएगा नियुक्ति की तारीख और आयोजित न्यायिक कार्यालय की प्रकृति को ध्यान में रखते द्वारा निर्धारित वरिष्ठतम मूल न्यायाधीश ।

प्रधान मंत्री और मंत्री

166.–(1) फीजी डिक्री 2009 की कार्यकारिणी प्राधिकरण के निरसन के होते हुए भी, प्रधान मंत्री और फीजी डिक्री 2009 की कार्यकारिणी प्राधिकरण के तहत नियुक्त अन्य मंत्रियों के तहत पहले संसद की पहली बैठक की तारीख तक कार्यालय में जारी करेगा इस संविधान ।

(2) के प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों फीजी डिक्री 2009 इस संविधान के तहत पहली बार संसद की पहली बैठक की तारीख तक के कार्यकारी प्राधिकरण के तहत प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों में निहित सभी अधिकार और शक्तियों का प्रयोग करता रहेगा ।

(3) इसके निरसन के होते हुए भी, फीजी डिक्री 2009 की कार्यकारिणी प्राधिकरण इस संविधान के तहत पहली बार संसद की पहली बैठक की तारीख तक लागू रहेगा ।

(4) इस अध्याय के भाग इ में और इस संविधान के तहत पहली बार संसद की पहली बैठक की तारीख तक इस संविधान में निहित कुछ भी, बावजूद उल्लेख कानूनों के निरसन के होते हुए भी, अधीनस्थ कानून, कानूनों के अनुसार ही किया जाएगा नियम और इस संविधान के प्रारंभ से पहले लागू प्रक्रियाओं ।

पब्लिक या कोन्स्टिट्यूशनल अफसर

167.-(1) इस संविधान के प्रारंभ होने की तारीख से पहले आयोजित करता है या एक सार्वजनिक कार्यालय में काम कर रहा है जो किसी भी व्यक्ति को, इस संविधान पकड़ या कि कार्यालय या इसी सार्वजनिक कार्यालय की स्थापना में कार्य शुरू होने की तारीख से वह या वह इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार ऐसा करने के लिए नियुक्त किया गया था और किसी भी मौजूदा कानून के द्वारा ऐसी नियुक्ति पर किसी भी शपथ आवश्यक ले लिया है, यह समझा जाएगा कि अगर इस संविधान द्वारा, लेकिन प्रदान की है कि जो कोई भी मौजूदा कानून के तहत किसी भी व्यक्ति किसी भी अवधि की समाप्ति पर या किसी भी उम्र की प्राप्ति पर अपने या अपने कार्यालय को खाली करने के लिए आवश्यक हो गया होता उस अवधि की समाप्ति पर या उस उम्र की प्राप्ति पर इस संविधान के तहत अपने या अपने पद रिक्त कर देगा ।

(2) इस धारा के प्रावधानों के कार्यालयों के उन्मूलन के लिए या पकड़े या किसी भी कार्यालय में अभिनय व्यक्तियों के पद से हटाने के लिए प्रावधान बनाने के लिए इस संविधान द्वारा या के तहत प्रदत्त किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाएगा ।

(3) इस संविधान के तहत चुनी गई संसद की पहली बैठक तक, इस संविधान के तहत कोन्स्टिट्यूशनल ऑफिसस कमीशन को दिए गए किसी भी कार्य, शक्ति या कर्त्तव्य को प्रधान मंत्री द्वारा किया जाएगा ।

(4) किसी शक को दूर करने के लिए, सेक्शन 132 के अनुच्छेद (d) और (e) में नामित कोन्स्टिट्यूशनल ऑफिसस कमीशन के सदस्य इस संविधान के तहत चुनी गई संसद की पहली बैठक के बाद नियुक्त किए जाएंगे, और कोन्स्टिट्यूशनल ऑफिसस कमीशन इस संविधान के तहत चुनी गई संसद की पहली बैठक से पहले कोई मीटिंग नहीं करेगा ।

फाइनेंस

168. इस संविधान के चेप्टर 7 के राजस्व और व्यय डिक्री 2009 और प्रावधानों के निरसन के होते हुए भी, राजस्व और व्यय डिक्री 2009 इस संविधान के तहत पहली बार संसद की पहली बैठक की तारीख तक लागू रहेगा ।

संसद और स्पीकर के कार्य

169.-(1) इस अध्याय के भाग ग, इस संविधान में अध्यक्ष द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है कि किसी भी समारोह में वर्णित कानूनों के निरसन होते हुए भी, इस संविधान के तहत पहली बार संसद की पहली बैठक की तारीख तक, प्रधान मंत्री द्वारा प्रदर्शन किया ।

(2) इस अध्याय के भाग ग में वर्णित कानूनों के निरसन के होते हुए भी, इस संविधान में संसद द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है कि किसी भी समारोह में, इस संविधान के तहत पहली बार संसद की पहली बैठक की तारीख तक, मंत्रिमण्डल द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा ।

(3) इस संविधान के तहत चुनी गई संसद की पहली बैठक से पहले, इस संविधान के तहत विपक्ष के नेता को दिए गए किसी भी कार्य, शक्ति या कर्त्तव्य को प्रधान मंत्री द्वारा किया जाएगा ।

चुनाव

170.-(1) इस संविधान के अध्याय ४ में निहित कुछ होते हुए भी, इस संविधान के तहत संसद के सदस्यों के लिए पहली बार चुनाव प्रधान मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जा करने के लिए एक तारीख को आयोजित किया जाएगा, लेकिन प्रदान की पहले चुनाव नहीं बाद में 30 सितंबर 2014 से आयोजित किया जाना चाहिए ।

(2) इस संविधान के तहत संसद सदस्यों के पहले चुनाव के लिए, जिस तारीख को चुनाव होगा उसकी औपचारिक घोषणा राष्ट्रपति द्वारा चुनाव के दिन से 30 दिन पहले की जाएगी ।

(3) इस संविधान के तहत संसद सदस्यों के पहले चुनाव के लिए प्रधान मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति रिट्स जारी करेंगे और रिट्स चुनाव के दिन से 44 दिन पहले जारी किए जाने चाहिए ।

(4) इस संविधान के तहत संसद सदस्यों के पहले चुनाव के लिए एक उम्मीदवार के नॉमिनेशन को प्राप्त करने का आखिरी दिन चुनाव के दिन से 30 दिन पहले है ।

(5) जब तक इस संविधान के तहत इलेक्टोरल कमीशन या सुपरवाइज़र ऑफ इलेक्शन्स की नियुक्ति नहीं होती तब तक इलेक्टोरल कमीशन या सुपरवाइज़र ऑफ इलेक्शन्स के कार्य चुनाव के लिए जिम्मेदार परमानेंट सेक्रेटरी करेंगे ।

इंस्टिट्यूशन्स का उत्तराधिकारी

171.-(1) इस संविधान के तहत स्थापित एक कार्यालय या संस्था इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले मौजूदा इसी कार्यालय या संस्था के कानूनी उत्तराधिकारी होंगे ।

(2) इस संविधान के तहत अपनी नियुक्ति पर, चुनाव पर्यवेक्षक (पंजीकरण राजनीतिक दलों के तहत निर्वाचन (मतदाताओं का पंजीकरण) डिक्री 2012 के तहत मतदाता के रजिस्ट्रार के कार्यालय में और रजिस्ट्रार के कार्यालय को कानूनी उत्तराधिकारी होंगे, संचालन, अनुदान और प्रकटीकरण) डिक्री 2013 ।

अधिकारों और दायित्वों का संरक्षण

172.-(1) इस संविधान में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान करता है कि सीमा को छोड़कर, सभी अधिकारों और दायित्वों, लेकिन राज्य की, उत्पन्न होने वाली है और इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले संविदा इस संविधान के तहत राज्य के अधिकारों और दायित्वों के रूप में जारी करेगा ।

(2) किसी भी परमिट, लाइसेंस, अधिकार या राज्य के समान उपक्रमों किसी भी व्यक्ति के लिए जारी किए गए, और इस संविधान के प्रारंभ की तिथि से एक ही मामले में जारी करेगा बल में तुरंत पहले ।

(3) एक व्यक्ति द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले दिया गया था कि सभी प्रतिनिधिमंडलों इस अध्याय के भाग ग के तहत निरस्त कर किसी भी कानून में संदर्भित इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले सेना में थे, के प्रारंभ होने के बाद सेना में जारी करेगा इस संविधान, इस संविधान में निर्दिष्ट एक इसी कमीशन या व्यक्ति द्वारा दिए गए हों ।

(4) अगर के रूप में एक आयोग या एक व्यक्ति से पहले सभी कार्यवाही शुरू की थी लेकिन इस संविधान के प्रारंभ होने की तिथि पर निर्धारित नहीं किया गया था कि इस अध्याय के भाग ग के तहत निरस्त कर किसी भी कानून में निर्दिष्ट इस संविधान के प्रारंभ होने के बाद जारी करेगा इसी कमीशन या व्यक्ति इस संविधान में निर्दिष्ट से पहले वे शुरू किया गया था ।

(5) कोई भी शिकायत ह्यूमन राइट्स कमीशन जो ह्यूमन राइट्स कमीशन डिक्री

2009 के नीचे स्थापित हुई थी को मिली थी, लेकिन उस का निर्णय इस संविधान की शुरूआत तक नहीं हुई है को ह्यूमन राइट्स एंड एंटी-डिस्क्रिमिनेशन कमीशन जो इस संविधान के सेक्शन 45 के नीचे स्थापित की गई है ध्यान देना जारी रखेगा; लेकिन कोई भी शिकायत ह्यूमन राइट्स एंड एंटी-डिस्क्रिमिनेशन कमीशन को अगर 21 August 2013 के बाद मिलती है तो वह शिकायत सिर्फ उन मामलों, घटनाक्रम या घटनाओं के बारे में हो जो 21 August 2013 को या उस के बाद घटी हो, और ह्यूमन राइट्स एंड एंटी-डिस्क्रिमिनेशन कमीशन किसी भी शिकायत पर ध्यान नहीं देगा जो 21 August 2013 के बाद आया हो और वह संबंध रखती हो मामलों, घटनाक्रम या घटनाओं से जो 21 August 2013 से पहले घटी हों ।

कानूनों का संरक्षण

173.-(1) सब्सेक्शन (2) के तहत, इस संविधान के प्रारंभ (इस चेप्टर के भाग C में निर्दिष्ट कानूनों के अलावा) से पहले जारी सभी लिखित कानून असर में रहेंगे और अगर ये इस संविधान के तहत बने हैं तो इस संविधान के अनुरूप में उन्हें लाया जाएगा ।

(2) इस संविधान में निहित कुछ होते हुए भी, कोई भी एलान, डिक्री या घोषणा (इस चेप्टर के पार्ट C में निर्दिष्ट कानूनों के अलावा) जो 5 दिसंबर 2006 और इस संविधान के तहत संसद की पहली बैठक तक असर में हैं, संपूर्ण रूप से लागू रहेंगे ।

(3)) इस संविधान में निहित कुछ होते हुए भी, कोई भी एलान, डिक्री या घोषणा (इस चेप्टर के भाग C में निर्दिष्ट कानूनों के अलावा) जो 5 दिसंबर 2006 और इस संविधान के तहत संसद की पहली बैठक तक असर में हैं, इस संविधान के प्रारंभ होने पर संसद द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं; बशर्ते इस तरह के किसी भी संशोधन से कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं होगा और इन कानूनों के तहत फैसले किसी तरह से व्यर्थ नहीं होंगे ।

(4) 5 दिसंबर 2006 और इस संविधान के तहत संसद की पहली बैठक तक बने किसी भी एलान, डिक्री या घोषणा की वैधता के खिलाफ किसी भी कोर्ट या ट्रायब्यूनल में चुनौती नहीं दी जा सकती और एडमिनिस्ट्रइशन ओफ जस्टिस डिक्री 2009 की रिपील के बावजूद सेक्शन 5 (3), (4), (5), (6) और (7) लागू रहेंगे ।

(5) सभी लिखित कानून जो इस संविधान के प्रारंभ के समय असर में नहीं आए थे इस संविधान के तहत अपनी शर्तों के अनुसार लागू होंगे ।

जूडिशल कार्यवाहियाँ

174.-(1) एडमिनिस्ट्रइशन ओफ जस्टिस डिक्री 2009 के तहत स्थापित अदालतें मौजूद रहेंगी ।

(2) एडमिनिस्ट्रइशन ओफ जस्टिस डिक्री 2009 के तहत स्थापित अदालतों की कार्यवाहियाँ जो शुरू हो गई थीं लेकिन इस संविधान के प्रारंभ होने की तिथि पर निर्धारित नहीं की गई थीं यह मानकर जारी रहेंगी कि इस संविधान के प्रोविज़न्स शुरू होने पर असर में थे ।

(3) इस संविधान में निहित कुछ होते हुए भी, एडमिनिस्ट्रइशन ओफ जस्टिस डिक्री 2009 के सेक्शन 23, 23A, 23B, 23C, और 23D जारी रहेंगे, और इस संविधान के तहत स्थापित या जारी अदालतों के पास यह अधिकार नहीं होगा कि –

(a) एडमिनिस्ट्रइशन ओफ जस्टिस डिक्री 2009 के तहत जिन मामलों के लिए जुरिस्डिक्शन ओफ कोर्ट्स शामिल नहीं था ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता है; और

(b) एडमिनिस्ट्रइशन ओफ जस्टिस डिक्री 2009 या किसी अन्य लिखित कानून के तहत रद्द की गई कार्यवाहियों की सुनवाई नहीं कर सकता है ।

अनुसूची

शपथ और प्रतिज्ञा

पार्ट A–निष्ठा

निष्ठा की शपथ

मैं, ... कसम खाता/खाती हूँ कि मैं कानून के तहत फीजी गणराज्य के प्रति वफादार और सत्य निष्ठ रहूँगा/रहूँगी और फीजी के संविधान का पालन और सम्मान करूँगा/करूँगी । तो भगवान मेरी मदद करो !

निष्ठा की प्रतिज्ञा

मैं, ... औपचारिक रूप से प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं कानून के तहत फीजी गणराज्य के प्रति वफादार और सत्य निष्ठ रहूँगा/रहूँगी और फीजी के संविधान का पालन और सम्मान करूँगा/करूँगी ।

पार्ट B–ऑफिस लेने के लिए

राष्ट्रपति की शपथ

मैं, ... कसम खाता/खाती हूँ मैं कानून के तहत फीजी गणराज्य के प्रति वफादार और सत्य निष्ठ रहूँगा/रहूँगी और फीजी के संविधान और अन्य कानूनों का पालन और सम्मान करूँगा/करूँगी; और फीजी गणराज्य तथा सभी फीजियन्स की भलाई के लिए अपने आपको समर्पित करूँगा/करूँगी, उनके अधिकारों की सुरक्षा करूँगा/करूँगी और बढ़ावा दूँगा/दूँगी और राष्ट्रपति ऑफिस में फीजी गणराज्य को अच्छी तरह से और सही मायने में सेवा प्रदान करूँगा/करूँगी । तो भगवान मेरी मदद करो !

राष्ट्रपति की प्रतिज्ञा

मैं, ... औपचारिक रूप से प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं फीजी गणराज्य के प्रति वफादार और सत्य निष्ठ रहूँगा/रहूँगी और फीजी के संविधान और अन्य कानूनों का पालन और सम्मान करूँगा/करूँगी; और फीजी गणराज्य तथा सभी फीजियन्स की भलाई के लिए अपने आपको समर्पित करूँगा/करूँगी, उनके अधिकारों की सुरक्षा करूँगा/करूँगी और बढ़ावा दूँगा/दूँगी और राष्ट्रपति ऑफिस में फीजी गणराज्य को अच्छी तरह से और सही मायने में सेवा प्रदान करूँगा/करूँगी ।

मंत्रियों की शपथ

मैं, ... प्रधान मंत्री/मंत्री नियुक्त किए जाने पर, कसम खाता/खाती हूँ कि मैं फीजी गणराज्य के प्रति वफादार और सत्य निष्ठ रहूँगा/रहूँगी और मैं संविधान और राज्य के अन्य कानूनों का पालन करूँगा/करूँगी; और ईमानदारी से वचन देता/देती हूँ कि मैं सम्मान, गरिमा और निष्ठा के साथ अपना पद संभालूँगा/संभालूँगी, एक सच्चा और वफादार परामर्शदाता रहूँगा/रहूँगी, मुझे सौंपी गई किसी भी गुप्त बात का खुलासा नहीं करूँगा/करूँगी, और अपने ऑफिस का कार्य अच्छी तरह से और अपनी पूरी क्षमता से करूँगा/करूँगी । तो भगवान मेरी मदद करो !

मंत्रियों की प्रतिज्ञा

मैं, ... प्रधान मंत्री/मंत्री नियुक्त किए जाने पर, औपचारिक रूप से प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं फीजी गणराज्य के प्रति वफादार और सत्य निष्ठ रहूँगा/रहूँगी और मैं संविधान और राज्य के अन्य कानूनों का पालन करूँगा/करूँगी; और ईमानदारी से वचन देता/देती हूँ कि मैं सम्मान, गरिमा और निष्ठा के साथ अपना पद संभालूँगा/संभालूँगी, एक सच्चा और वफादार परामर्शदाता रहूँगा/रहूँगी, मुझे सौंपी गई किसी भी गुप्त बात का खुलासा नहीं करूँगा/करूँगी, और अपने ऑफिस का कार्य अच्छी तरह से और अपनी पूरी क्षमता से करूँगा/करूँगी ।

जुडिशल अफ्सरों की शपथ

मैं, ... फीजी की अदालतों में एक जुडिशल अफ्सर के रूप में, कसम खाता/खाती हूँ कि मैं फीजी गणराज्य के प्रति वफादार और सत्य निष्ठ रहूँगा/रहूँगी और मैं संविधान और राज्य के अन्य कानूनों का पालन करूँगा/करूँगी; औपचारिक रूप से और ईमानदारी से प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं कानूनों को बनाए रखूँगा/रखूँगी और लोगों के अधिकारों की रक्षा करूँगा/करूँगी, और बिना किसी डर, पक्षपात या पूर्वाग्रह के संविधान और कानून के तहत सभी लोगों के साथ न्याय करूँगा/करूँगी । तो भगवान मेरी मदद करो !

जुडिशल अफ्सरों की प्रतिज्ञा

मैं, ... फीजी की अदालतों में एक जुडिशल अफ्सर के रूप में, औपचारिक रूप से प्रतिज्ञा करता/करती हूँ मैं फीजी गणराज्य के प्रति वफादार और सत्य निष्ठ रहूँगा/रहूँगी और मैं संविधान और राज्य के अन्य कानूनों का पालन करूँगा/करूँगी; औपचारिक रूप से और ईमानदारी से प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं कानूनों को बनाए रखूँगा/रखूँगी और लोगों के अधिकारों की रक्षा करूँगा/करूँगी, और बिना किसी डर, पक्षपात या पूर्वाग्रह के संविधान और कानून के तहत सभी लोगों के साथ न्याय करूँगा/करूँगी ।

संसद सदस्यों की शपथ

मैं, ... फीजी की संसद के सदस्य के रूप में, कसम खाता/खाती हूँ कि मैं फीजी गणराज्य के प्रति वफादार और सत्य निष्ठ रहूँगा/रहूँगी और मैं संविधान और राज्य के अन्य कानूनों का पालन करूँगा/करूँगी; औपचारिक रूप से और ईमानदारी से प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं कानूनों को बनाए रखूँगा/रखूँगी और लोगों के अधिकारों की रक्षा करूँगा/करूँगी, तथा संविधान और कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों को सच्चाई और पूरी लगन के साथ निभाऊँगा/निभाऊँगी । तो भगवान मेरी मदद करो !

संसद सदस्यों की प्रतिज्ञा

मैं, ... फीजी की संसद के सदस्य के रूप में, औपचारिक रूप से प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं फीजी गणराज्य के प्रति वफादार और सत्य निष्ठ रहूँगा/रहूँगी और मैं संविधान और राज्य के अन्य कानूनों का पालन करूँगा/करूँगी; औपचारिक रूप से और ईमानदारी से प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं कानूनों को बनाए रखूँगा/रखूँगी और लोगों के अधिकारों की रक्षा करूँगा/करूँगी, तथा संविधान और कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों को सच्चाई और पूरी लगन के साथ निभाऊँगा/निभाऊँगी ।

संसद के स्पीकर/डिप्टी स्पीकर की शपथ

मैं, ... संसद के स्पीकर/डिप्टी स्पीकर के रूप में, कसम खाता/खाती हूँ / कि मैं फीजी गणराज्य के प्रति वफादार और सत्य निष्ठ रहूँगा/रहूँगी और मैं संविधान और राज्य के अन्य कानूनों का पालन करूँगा/करूँगी; औपचारिक रूप से और ईमानदारी से वादा करता/करती हूँ कि मैं कानूनों को बनाए रखूँगा/रखूँगी और लोगों के अधिकारों की रक्षा करूँगा/करूँगी, अपनी पूरी क्षमता से संसद की गरिमा और सम्मान को बनाए रखूँगा/रखूँगी और बिना किसी डर, पक्षपात या पूर्वाग्रह के संविधान और कानून के तहत काम करूँगा/करूँगी । तो भगवान मेरी मदद करो !

संसद के स्पीकर/डिप्टी स्पीकर की प्रतिज्ञा

मैं, ... संसद के स्पीकर/डिप्टी स्पीकर के रूप में, औपचारिक रूप से प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं फीजी गणराज्य के प्रति वफादार और सत्य निष्ठ रहूँगा/रहूँगी और मैं संविधान और राज्य के अन्य कानूनों का पालन करूँगा/करूँगी; औपचारिक रूप से और ईमानदारी से वादा करता/करती हूँ कि मैं कानूनों को बनाए रखूँगा/रखूँगी और लोगों के अधिकारों की रक्षा करूँगा/करूँगी, अपनी पूरी क्षमता से संसद की गरिमा और सम्मान को बनाए रखूँगा/रखूँगी और बिना किसी डर, पक्षपात या पूर्वाग्रह के संविधान और कानून के तहत काम करूँगा/करूँगी ।

ग्लोसरी–शब्दावली

अलाउंस	–	भत्ता
अटॉर्नी–जनरल	–	महान्यायवादी
ऑफिस	–	कार्यालय
ऑडिटर–जनरल	–	लेखा परिक्षक जनरल
अथॉरिटी	–	प्राधिकरण
इम्युनिटी	–	उन्मुक्ति
इलेक्टोरल	–	चुनावी
इलेक्शन्स	–	चुनाव
इंडिपेंडेंट लीगल सर्विसेस कमीशन	–	स्वतंत्र कानूनी सेवा अयोग
इंस्टिट्यूशन्स	–	संस्थाओं
एप्लीकेशन	–	आवेदन
एग्जीक्यूटिव	–	कार्यकारी अधिकारी
एक्सप्रेशन	–	अभिव्यक्ति
एनफोर्समेंट	–	प्रवर्तन
एंटी–डिस्क्रिमिनेशन	–	भेदभाव विरोधी
कंसॉलिडैटड फंड	–	समेकित निधि
कमीशन	–	आयोग
कोर्ट	–	अदालत
चीफ जस्टिस	–	मुख्य न्यायाधीश
चेप्टर	–	अध्याय

जस्टिस	–	न्याय
जुडिशल अथॉरिटी	–	न्यायिक प्राधिकरण
जुडिशल सर्विसेज़ कमीशन	–	न्यायिक सेवा अयोग
टेक्स	–	कर
डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसेक्युशन्स	–	अभियोजन निर्देशक
डिप्टी	–	उप
डिस्प्युटेड	–	विवादास्पद
नॉमिनेशन	–	नामांकन
पब्लिक	–	सार्वजनिक
पब्लिक सर्विस कमीशन	–	सार्वजनिक सेवा अयोग
पब्लिक सर्विस डिसिप्लिनरी ट्रायब्यूनल	–	सार्वजनिक सेवा अनुशासन ट्रायब्यूनल
परमानेंट सेक्रेटरीस	–	स्थायी सचिव
पेटिशन्स	–	याचिका
प्राइवेसी	–	गोपनीयता
मिनरल्स	–	खनिज
मेर्सी कमीशन	–	दया आयोग
रिम्यूनरेशन	–	पारिश्रमिक
रिपब्लिक	–	गणराज्य
रेवेन्यू	–	राजस्व
रेगुलेशन	–	विनियमन
लीगल एड कमीशन	–	कानूनी सहायता आयोग

लेजिस्लेटिव	–	विधायी
स्टैंडिंग ऑर्डर्स	–	स्थायी आदेश
स्पीच	–	भाषण
सुपरवाइजर	–	पर्यवेक्षक
सोलिसिटर–जनरल	–	महान्यायभिकर्त्ता
सेक्युलर	–	धर्मनिरपेक्ष
सेक्रेटरी–जनरल	–	महासचिव
हूयूमन राइट्स	–	मानवाधिकार